लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

Twelfth Session

सत्यमेव जयते

1-6-92
20-12-83
...ment Library

[खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 15—सोमवार, 6 सितम्बर, 1965/15 भाद्र, 1887 (शक)

No. 15—*Monday, September* 6, 1965/*Bhadra* 15, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर//ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
419	अमरीकी टैंकों के फोटो	Photographs of U. S. Tanks.	1551–54
421	प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति	Committee on Broadcasting and Information Media	1555–58
422	सीमा क्षेत्रों में प्रचार	Publicity in Border Areas	1558–60
423	उपभोक्ता सहकारी स्टोर और उचित मूल्य की दुकानें	Consumers' Co-operative Stores and Fair Price Shops	1560–62
424	रूस से पनडुब्बियां	Submarines from U.S.S.R.	1562–65
426	भारतीय श्रम सम्मेलन	Indian Labour Conference	1565–67
427	मोम्बासा में भारतीय	Indians in Mombasa	1567–68
429	व्यक्तियों का अवैध रूप से श्रीलंका जाना	Illicit Immigration to Ceylon	1568–69
430	जकर्त्ता में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन	Demonstration before Indian Embassy in Jakarta.	1569–72
अ० सू० प्र० संख्या S.N.Q. No.			
3	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की पदावनति	Reversion of C. P. W. D. Engineers	1572–74

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
420	बन्दरगाहों में माल उतारने-चढाने के लिये श्रमिक सहकारी समितियां	Labour Co-operatives for loading and unloading at Ports	1575
425	राजनयिकों के लिये आचार-संहिता	Code of Conduct for Diplomats	1575
428	लाठीटीला-डूमाबारी क्षेत्र	Lathitilla-Dumabari Area	1575–76
431	"पाकिस्तान टाइम्स" में प्रकाशित मानचित्र	Map Published in "Pakistan Times"	1576

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
432	ब्रिटन से हंटर जेट-फाइटर विमान	Hunter Jet-fighters from U.K. .	1576
433	समाचारपत्रों के पृष्ठों के आधार पर उनका मूल्य निर्धारण	Price-page Schedule for Newspapers	1576–77
434	भारतीय जल-प्रांगण का जल-वर्णना-सर्वेक्षण	Hydrographic Survey of Indian Waters	1577
435	सरकारी क्षेत्र में रोज़गार	Employment in Public Sector . .	1577
436	रोहडेशिया में निर्वाचन	Elections in Rhodesia . . .	1577–78
437	गुजरात—पश्चिमी पाकिस्तान सीमा समझौता	Gujarat—West Pakistan Boarder Agreement	1578
438	ब्रिटेन गये हुए भारतीय लोग	Indian Immigrants to U.K. . .	1579
439	भारत के सम्बन्ध में लन्दन के एक मजिस्ट्रेट का मत	Remarks of a London Magistrate about India	1579
440	पाकिस्तानी घुसपैठियों के पास पाई गई भारतीय मुद्रा	Indian Currency found with Pakistani Infiltrators . . .	1579–80
441	भारत में विज्ञापन	Advertising in India . . .	1580
442	चीनी परमाणु आक्रमण का खतरा	Threat of Chinese Nuclear Attack	1580
443	बर्मा में भारतीयों की आस्तियां	Assets of Indians in Burma . .	1581
444	पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने का समझौता	No-War Pact with Pakistan . .	1581
445	विदेशों में भारतीय प्रचार अधिकारी	Indian Publicity Officers in Foreign Countries	1581
446	मलयेशिया से सिंगापुर का अलग होना	Secession of Singapore from Malaysia	1582
447	भारतीय वायु सेना के फ्लाइंग लफ्टिनेन्ट सिक्का	Flt. Lt. Sikka of the I.A.F. . .	1582
448	विदेश प्रचार	External Publicity . .	1582

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1525	औद्योगिक ट्रूस संकल्प का उल्लंघन	Violation of Industrial Truce Resolution	1583
1526	केरल में रबड़, चाय और काफी बागानों के श्रमिकों के वेतन	Wages of Rubber, Tea and Coffee Plantation Labourers in Kerala	1583
1527	केरल में बीड़ी तथा सिगार उद्योग	Bidi and Cigar Industry in Kerala	1583–84
1528	ट्यूनिशिया के साथ आर्थिक सहयोग	Economic Co-operation with Tunisia	1584
1529	सड़क बनाने के लिये भूमि अर्जन	Acquisition of land for Road Construction	1584
1530	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उपभोक्ता स्टोर	Consumer Stores in Public and Private Sector Undertakings .	1585

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	पृष्ठ Pages
1531	खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Agricultural Labour 1585
1532	ब्रिटिश स्वयंसेवक	British Voluntary Workers . 1585–86
1533	केरल में डाक और तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for P. & T. Employees in Kerala 1586
1534	राष्ट्रमण्डल सचिवालय तथा राष्ट्रमण्डल प्रतिष्ठान	Commonwealth Sectt. and Commonwealth Foundation . . 1586
1535	आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन	A. I. R. News Bulletins . . 1587
1536	तिब्बत में भारतीय माल का चोरी छिपे जाना	Smuggling of Indian Goods to Tibet 1587
1537	केन्द्रीय मंत्रियों की आस्तियां	Assets of Central Ministers . . 1587–88
1538	विदेश मंत्री की विदेश यात्रा	Foreign Minister's visit abroad . 1588
1539	मरमागोआ बन्दरगाह	Marmagao Port . . . 1589
1540	"आर्डनेंस कोर" में लोअर डिवीजन क्लर्क	L. D. C.s in Ordnance Corps . 1589
1541	मृत सैनिकों की पेंशन	Pensions of Deceased Soldiers . 1589
1542	भारतीय विदेश सेवा में सूचना अधिकारी	Information Officers in Indian Foreign Service . . . 1589
1543	एशियाई और अफ्रीकी देशों में आकाशवाणी के संवाददाता	A. I. R. correspondents in Asian and African Countries . . 1590
1544	नेपाल को वित्तीय सहायता	Financial aid for Nepal . . 1590
1545	अमरीका और रूस में भारतीय दूतावास	Indian Embassies in U.S.A. and U.S.S.R. 1590–91
1546	सेना मेडिकल कोर, केन्द्र लखनऊ. में विफोस्ट	Explosion in Army Medical Corps Centre, Lucknow . . . 1591–92
1547	संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से बिना तार का सम्पर्क	Wireless Link with U. N. Headquarters 1592
1548	ब्रिटेन में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की मृत्यु	Death of an I. A. F. Officer in U. K. 1592
1549	मैसूर में डोमालुर खान में दुर्घटना	Accident in Domalur Mine (Mysore) 1593
1550	उत्तर प्रदेश में अप्रयुक्त भूमि	Unused Land in U. P. . . 1593
1551	पूर्वी क्षेत्र में विमान दुघटना	Flying accident in Eastern sector 1594
1552	कपूरथला में सैनिक स्कूल	Sainik School, Kapurthala . . 1594
1553	पंचायत समिति कार्यालय	Panchayat Samities Offices . 1594
1554	पंजाब में बेरोजगार लोग	Unemployed Persons in Punjab 1594–95
1555	पंजाब में डाकघरों का स्तर ऊंचा किया जाना	Upgrading of Post Offices in Punjab 1595

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1556	मोज़म्बीक से स्वदेश लौटाये गये भारतीय	Indian Repatriates from Moxambique	1595
1557	भर्ती केन्द्र	Recruiting Centres	1596
1558	दिल्ली बैंगकाक रेडियो टेलीफोन सम्पर्क	Delhi-Bangkok Radio Telephone Link	1596
1559	राष्ट्रीय छात्र सेना दल की संख्या	Strength of N.C.C.	1596–97
1560	कोटा में मकानों पर अवैध कब्जा	Illegal Occupation of Houses in Kotah	1597
1561	अल्जीयर्स में पत्रकार सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मन्त्री द्वारा एक भारतीय संवाददाता को धमकी	Pak. Foreign Minister's Threat to an Indian Correspondent at a Press Conference in Algiers	1597–98
1562	बेनिस में फिल्म समारोह	Film Festival at Venice	1598
1563	"डकन हेराल्ड" द्वारा "इण्डियन एक्सप्रैस" के विरुद्ध लेख याचिका	Writ Petition by "Deccan Herald" against "Indian Express"	1598
1564	महाराष्ट्र में टेलीफोन	Telephone Connections in Maharashtra	1599
1565	जापानी राकेट विशेषज्ञ की भारत यात्रा	Visit of Japanese Rocket Expert	1599
1566	मंत्रियों की विदेश यात्रा	Ministers' Visit to Foreign Countries	1599–1600
1567	भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों को विमान से भूमि पर गोली चलाने का प्रशिक्षण	Training of I. A. F. Personnel in Air-to-Ground Firing	1600
1568	उत्तर प्रदेश में आयुध कारखानों में समयोपरि भत्ते की बकाया राशि	Overtime Arrears in Ordnance Factories in U. P.	1600
1570	संयुक्त राष्ट्र संघ की निधियां	U. N. Funds	1600
1571	भारतीय राष्ट्र जनों के लिये पारगमन सुविधायें	Transit facilities for Indian Nationals	1601
1572	चाय बागान के मजदूर	Tea Plantation Workers	1601
1573	तकनीकी कर्मचारियों के लिये साहित्य का अभाव	Paucity of Literature for Technical Workers	1601–02
1574	चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में भारतीय क्षेत्र	Area under Illegal Occupation of China and Pakistan	1602
1575	न्यू केन्डा कोयला खान (पश्चिम बंगाल) में दुर्घटना	Accident in New Kenda Colliery (West Bengal)	1602
1576	डाकघर बचत बैंक खाते	Post Office Saving Bank Accounts	1602–03
1577	लन्दन में भारतीय विद्यार्थी पर प्रहार	Assault on Indian Student in London	1603
1578	छिपे नागा	Underground Nagas	1603–04
1579	अखबारी कागज की चोर-बाजारी	Black Marketing in Newsprint	1604

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1580	छावनी निधि कर्मचारी नियम	Cantonment Fund Servants Rules	1604
1581	मिग विमानों के कारखाने के लिय नासिक में भूमि का अर्जन	Acquisition of Land in Nasik for M. I. G. Factory . . .	1604–05
1582	भूटान में कारखाने	Factories in Bhutan . . .	1605
1583	बम्बई की टलीफोन व्ववस्था	Bombay Telephone System . .	1605
1584	दिल्ली में डाकघर	Post Offices in Delhi . . .	1606
1585	अग्रिम क्षेत्रों में तैनात सैनिक दस्तों को यात्रा सम्बन्धी रिसायतें	Travelling Concession to Troops in Forward Areas	1606
1586	कारों में टेलीफोन	Telephone in Cars . . .	1607
1587	धोखे से मनीआर्डर लेने वाले	Money Order Forgers . . .	1607
1588	मलयेशिया को भारत का समर्थन	Indian Support to Malaysia . .	1607
1589	कलाई कुण्डा के समीप भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना	I. A. F. Plane Crash near Kalai Kunda	1608
1590	कोयला खानों की संख्या में कमी	Decrease in Number of Coal Mines	1608
1591	रोजगार निदेशालय का प्रतिवेदन	Report of the Directorate of Employment	1608–09
1592	सरकारी कार्यालयों में उच्च प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन लगाना	Installation of Telephones on Top Priority Basis in Government Offices	1609
1593	हिन्दी में टेलीफोन निर्देशिका	Telephone Directory in Hindi .	1610
1594	फिजी की जनता	People of Fiji . .	1610
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	1611
	भारतीय सेना द्वारा सीमा पार कर लाहौर क्षेत्र में बढने के बारे में वक्तव्य—	Statement Re : Advance of Indian Army Across Border in Lahore Sector—	
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan .	1612
	पंजाबी सबे के बारे में वक्तव्य—	Statement Re : Punjabi Suba—	
	श्री नन्दा	Shri Nanda	1613–16
	कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
	उन्तालीसवां प्रतिवेदन	Thirtyninth Report . . .	1616–17
	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—	Aligarh Muslim University (Amendment) Bill—	
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass :	
	श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh .	1617–20
	श्री ही०ना० मुकर्जी	,, H. N. Mukerjee . .	1620–21
	श्री मुहम्मद ताहिर	,, Mohammad Tahir . .	1621–22
	डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney . . .	1622–23
	श्री मुहम्मद इस्माईल	Shri Muhammad Ismail . .	1623
	श्री सिंहासन सिंह	,, Sinhasan Singh . .	1624
	श्री मु० क० चागला	,, M. C. Chagla . .	1624

विषय	Subject	पृष्ठ Page
अधिलाभांश की अदायगी अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और अधिलाभांश अदायगी विधेयक—	Statutory Resolution Re : Payment of Bonus Ordinance and Payment of Bonus Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani . .	1625–26
श्री संजीवय्या	,, D. Sanjivayya . . .	1626–28
श्री नारायण दांडेकर	,, N. Dandeker . .	1628–29
श्री काशीनाथ पांडे	,, K. N. Pande . .	1629–30
श्री इन्द्रजीत गुप्त	,, Indrajit Gupta . . .	1630–31
श्री अ० प्र० शर्मा	,, A. P. Sharma . .	1631–32
श्री बड़े	,, Bade	1633
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	1633–34
श्री अल्वारेस	Shri Alvares	1634–35
श्री अ० ना० विद्यालंकार	,, A. N. Vidyalankar . .	1635–36
श्री नी० श्रीकान्तन नायर	,, N. Sreekantan Nair . .	1636–37
श्री श्यामलाल सर्राफ	,, Sham Lal Saraf . .	1637
श्री सेझियान	,, Sezhiyan . . .	1637–38

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 6 सितम्बर, 1965/15 भाद्र, 1887 (शक)
Monday, September 6, 1965/Bhadra 15, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अमरीकी टैंकों के फोटो

+

*419. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी पैटन टैंकों के भारत द्वारा विमान से लिये गये चित्रों का पाकिस्तान ने यह आरोप लगाते हुए भारत के विरुद्ध प्रचार करने के लिये उपयोग किया है कि वे कच्छ भिड़न्त में भारत द्वारा प्रयोग किये गये "भारतीय सेना के पैटन टैंक" थे;

(ख) क्या यह सच है कि ये फोटो मई, 1965 में मध्य-पूर्व में कुछ चुने हुए समाचारपत्रों को दिये गये थे और उनमें से कुछ समाचारपत्रों ने उनको प्रकाशित किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : ईरान के एक समाचार-पत्र ने गलत शीर्षक से पैटन टैंकों के चित्र छापे थे ।

(ग) संबद्ध संपादक का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया गया था और भूल सुधारकर प्रकाशित कर दी गई थी ।

Shri Yashpal Singh : Do we have Pattan Tanks as wrongly alleged by Pakistan ?

Shri Dinesh Singh : Their propaganda is wrong, this much I can say. Whether we have Pattan tanks or not much details can be given by the Defence Minister only.

Shri Yashpal Singh : Has the matter been taken up with U. S. A. that a wrong propaganda is being carried on about the things, which have not been supplied to us ?

Shri Dinesh Singh : The question of taking it up with the U. S. Government does not arise. Those responsible for the wrong propaganda had published a correction the next day.

श्री दी० चं० शर्मा : केन्द्रीय संधि संगठन Cento (सेन्टो) तथा दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन Ceato (सीटो) तथा अन्य समझौतों के अन्तर्गत लिए गए अमरीकी टैंको तथा अन्य शस्त्रास्त्रों से पाकिस्तान अमरीका के चिन्ह मिटा देता है। क्या सरकार ने ऐसे किसी शस्त्र को पहचाना है और अमरीका सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि पाकिस्तान उन चिन्हों को मिटा रहा है, जो शस्त्र देते समय उनपर अंकित थे ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे खयाल में इस तथ्य का कि कच्छ में पाकिस्तान ने पैटन टैंकों का प्रयोग किया है, किसी ने विरोध नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो केवल यह है कि क्या अमरीका सरकार को यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान उन चिन्हों को मिटाने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री दिनेश सिंह : चिन्हों के बारे में तथा उनके मिटाये जाने के बारे में तो मैं नहीं जानता, परन्तु यह निर्विवाद है कि ये टैंक अमरीका द्वारा दिए गए हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : अमरीकी टैंकों के फोटोग्रफों के प्रश्न के सम्बंध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां। संयुक्त राष्ट्र को यह ज्ञात है कि पाकिस्तान ने इन टैंकों का प्रयोग किया है। सब जगह इसका प्रचार किया गया था।

श्री दाजी : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या संयुक्त राष्ट्र को यह ज्ञात है या नहीं, परन्तु यह है कि क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को यह बताया है कि नहीं कि वे इन टकों का प्रयोग करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ है कि सरकार ने कोई विशेष कार्यवाही नहीं की है परन्तु वे यह बात जानते हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि अमरीका ने हमें बार बार यह आश्वासन दिये थे कि यदि पाकिस्तान को दिये गये अमरीकी शस्त्रास्त्रों का भारत के विरुद्ध आक्रमण में प्रयोग किया गया तो अमरीका तुरन्त संयुक्त राष्ट्र में तथा संयुक्त राष्ट्र के बाहर उस को रोकने के लिए उचित कार्यवाही करेगा ? राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा श्री नेहरु को लिखे गए पत्र में यह शब्द प्रयोग किये गये हैं। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं (क) क्या अमरीका को अभी यह विश्वास नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने कच्छ और काश्मीर में हमारे ऊपर आक्रमण किया, (ख) क्या अमरीका को यह विश्वास नहीं है कि कच्छ और काश्मीर में पाकिस्तान अमरीकी शस्त्रास्त्रों का प्रयोग कर रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : अमरीका को पूर्ण विश्वास हो गया है कि पाकिस्तान अमरीकी शस्त्रास्त्रों का प्रयोग कर रहा है। मैं यह नहीं जानता कि उन्हें इस बात का कितना विश्वास हुआ है और यह कि पाकिस्तान द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण के बारे में खुली तौर पर वे कितना कुछ कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह बताना तो बहुत कठिन है कि उन्हें इस बात का कितना विश्वास हो गया है और यह कि उन्हें विश्वास हुआ है या नहीं।

श्री हेम बरुआ : मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका ने यह आश्वासन दिया था कि यदि पाकिस्तानको दिए गए अमरीकी शस्त्रास्त्रों का भारत के विरुद्ध आक्रमण में प्रयोग किया गया तो अमरीका संयुक्त राष्ट्र में तथा उसके बाहर उसे रोकने के लिए उचित कार्यवाही करेगा।

श्री दिनेश सिंह : मुझे खेद है कि मुझे प्रयुक्त शब्दों की जानकारी नहीं है जिसे कि मैं इस समय बता सकूं। परन्तु, श्रीमान्, जैसा कि आप को ज्ञात है हमने इस विषयपर इस सदन में विस्तार से चर्चा की थी कि अमरीकाने क्या आश्वासन दिये थे।

Shri M. L. Dwivedi : It has been published in daily papers that some American observers would go to the forward areas to examine whether these tanks were American. India had granted the necessary permission, but Pakistan withheld the clearance. May I know the latest position in this connection ?

Shri Dinesh Singh : We also have seen a report in the newspapers to the effect that Pakistan had not agreed to allow them to go there.

श्री मं० रं० कृष्ण : उपमंत्री महोदय ने अभी बताया कि अमरीका को यह ज्ञात हो गया है कि पाकिस्तान हमारे विरुद्ध उन शस्त्रास्त्रों का प्रयोग कर रहा है, जो उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिये दिए गए थे। यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार ने किसी समय अमरीका से यह कहा है कि वह सहायता को रोक दे और जो विमान आदि उसने उन्हें दिए हैं उनकी मरम्मत आदि की व्यवस्था न करे ?

श्री दिनेश सिंह : हमने बहुत कड़े शब्दों में अमरीका सरकार से यह कहा है कि वह पाकिस्तान को अमरीकी शस्त्रास्त्रों का हमारे विरुद्ध प्रयोग करने से रोके।

श्री मं० रं० कृष्ण : श्रीमान्, मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था .....

अध्यक्ष महोदय : हम उनकी मरम्मत आदि के बारे में क्या कह सकते है कि आया उन्हें फालतू पुर्जे देने चाहिये या नहीं अथवा अन्य कोई कार्यवाही करनी चाहिये या नहीं ? हम केवल यह विरोध कर सकते है कि हमें उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वह पाकिस्तान को उन शस्त्रास्त्रों को हमारे विरुद्ध प्रयोग नहीं करने देंगे।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि इन 16 वर्षों के प्रयत्नों के बावजूद भी मध्य-पूर्वी देशों के समाचार पत्र एवं जनता, पाकिस्तान के सर्व मुस्लिमवाद से भारत की धर्म निरपेक्षता की अपेक्षा अधिक प्रभावित है और यदि हां तो उनका इस सम्बध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ? यह प्रश्न सूची में दिये गए प्रश्न से सीधा उठता है।

अध्यक्ष महोदय : मै समझता हूँ कि यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न होता है, परन्तु इस के साथ ही मै यह भी समझता हूं कि यह पूछा नहीं जाना चाहिए। मेरा यही निवेदन है।

श्री कपूर सिंह : आपके निवेदन को मैं स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बड़ी कृपा है।

Shri Bagri : In reply to a question the hon. Minister had stated that he had also seen the report appearing the Pakistani newspapers. Whether he will state the action taken by the Government on seeing the report to counteract the Pakistani step ?

Shri Dinesh Singh : I think the hon'ble Member is perhaps referring to the incident where Americans wanted to visit the Pakistani side. What can we do about it ?

श्री स्वैल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान कुछ समाचार-पत्रों की इस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि अमरीकी सरकार पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों के प्रयोग को अधिक महत्व नहीं देती है। और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन रिपोर्टों पर अपनी प्रतिक्रिया अमरीकी सरकार को बता दी है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे अफसोस है कि मैं ठीक तरह नहीं समझ सका कि अधिक महत्व नहीं देने से क्या अभिप्राय है। जैसा मैंने पहले बताया हमने अमरीकी सरकार को पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों के प्रयोग के बारे में बहुत कड़े शब्दों में अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है और मैं समझता हूं कि अमरीकी सरकार स्वयं बहुत चिन्तित है।

श्री स्वैल : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकारने इस कथन के बाद, कि पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग अधिक महत्व की बात नहीं है, तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया अमरीकी सरकारको सूचित की थी ?

श्री दिनेश सिंह : अमरीकियोंनें यह कभी नहीं कहा है कि वह इसे अधिक महत्व नहीं देती है। आश्वासन बिल्कुल स्पष्ट था कि सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पाकिस्तान को दिये गये अमरीकी हथियार भारत के विरुद्ध प्रयोग नही किये जायेंगे। वे कैसे कह सकते है कि वह इसे अधिक महत्व नहीं देते हैं ? **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है। इतने सारे सदस्यों को एक साथ नहीं बोलना चाहिए ?

श्री स्वैल : क्या हमने अमरीकी सरकार का ध्यान समाचार पत्रों की इन रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है जिसमें यह कहा गया हो कि वह इसे अधिक महत्व नहीं देते है।

श्री भागवत झा आजाद : आश्चर्य की बात हैं ?

श्री दाजी : प्रत्येक समाचार पत्र ने इसे प्रकाशित किया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने अमरीकी सरकार से सम्पर्क स्थापित कर रखा है और उसने यह कभी नहीं कहा कि वह इसे अधिक महत्व नहीं देती है। यदि कोई पत्रकार कोई बात लिखता रहे तो हमारे लिए उसके बारे में और कुछ बताने की कोई बात नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारी सरकार को जहां तक पता है क्या पाकिस्तान ने किसी भी स्थिति में अमरीकी सरकार अथवा संयुक्त को अथवा हमें अपने किसी पत्र आदि में इस बात से इन्कार किया है कि वह कच्छ काश्मीर में अमरीकी हथियारों का, विशेष रूप से टैंकों का, प्रयोग कर रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि उसने ऐसा किया है ।

Committee on Broadcasting and Information Media

+

*421. **Shri Prakash Vir Shastri :**	**Shri Ravindra Varma :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :	**Shri Bagri :**
Shri P. C. Borooah :	**Shri D. C. Sharma :**
Shri M. L. Dwivedi :	**Shrimati Jyotsna Chanda :**
Shri S. C. Samanta :	**Shrimati Renuka Barkataki :**
Shri Subodh Hansda :	**Shri P. R. Patel :**
Shri P. R. Chakravorti :	**Shri Hari Vishnu Kamath :**
Shri P. Venkatasubbaiah :	

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) the extent of work completed by the Committee on Broadcasting and Information Media so far;

(b) the main recommendations made by the Committee; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) The Chanda Committee has so far submitted two interim reports on certain aspects of the activities of All India Radio—one on "Radio coverage for border areas" and the other on "Broadcasts for rural areas."

(b) and (c). A statement showing the main recommendations contained in these two interim reports and the action proposed to be taken thereon laid on the Table of the House. [**Placed in the Library**—*See* **L.T. No. 4759/65.**]

Shri Prakash Vir Shastri : The hon'ble Minister has given the detailed information regarding expansion of publicity programme in view of the present situation in the border areas. I want to know whether any special allocation has been made for this purpose in the Fourth Five Year Plan ? It so, what is the amount thereof ?

Shrimati Indira Gandhi : The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised and then only it will be known.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon'ble Minister must have submitted the proposals.

Shrimati Indira Gandhi : Of course, we have submitted proposals but we cannot disclose them unless these are accepted.

Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister **of Information and Broadcasting** kindly place on the table of the House the full text of the report ? If not, what is the difficulty ?

Shrimati Indira Gandhi : Only an interim report has been submitted and the final report has not yet been received. We consider it better to place it before the House when the final report is also received so that it may present a complete picture.

श्री प्र० चं० बरुआ : चन्दा समिति की नियुक्ति के बाद एक समरूप विषय पर विचार करने के लिए एक अन्य उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि एक अन्य समिति स्थापित करने की क्या आवश्यकता है जबकि यह विषय चन्दा समिति को सौंपा जा सकता था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कोई अन्य उच्च स्तरीय समिति स्थापित नहीं की गई है। टेलीविजन सम्बन्धी तकनीकी मामलों पर विचार करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति अवश्य है।

Shri M. L. Dwivedi : At page 2 of the Statement laid on the Table of the House it has been stated that two transmitters of one thousand Kilowatts each are to be installed in Calcutta and Saurashtra. Further at page 6 it is stated that high priority is being given to the installation of a medium wave 1,000 Kws. transmitter in Saurashtra region. I want to know whether the transmitter at Calcutta will be installed thereafter ? If not, when both of them will be installed ?

Shrimati Indira Gandhi : These questions have been replied more than once. The transmitter for Calcutta is being supplied by Russia and will be installed in about a year's time. The experts have already arrived to select a suitable site. Negotiations for installation of the transmitter in Saurashtra, are going on.

श्री रु० चं० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि चन्दा समिति का अंतिम प्रतिवेदन कब तक मिलने की संभावना है और क्या सरकार उसकी अन्तिम सिफारिशों पर निर्णय करने से पहले उनका व्यापक प्रचार करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूं कि पूरा प्रतिवेदन मिलने में एक साल लगेगा। मैं नहीं समझती कि शब्द के साधारण अर्थ में व्यापक प्रचार उचित होगा, लेकिन हम निश्चित रूप से उसे अपने परामर्श-दात्री समिति के सामने रख देंगे और उनपर उसके विचार जान लेंगे।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से यह दिखायी पड़ता है कि पाकिस्तानी प्रचार के प्रभाव को समाप्त करने के लिए केवल कुछ ही रेडिओ स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है, जैसे श्रीनगर, जम्मू, जालंधर और दिल्ली। मैं जानना चाहता हूं कि अन्य रेडिओ स्टेशनों का विस्तार क्यों नहीं किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : हमने विवरण के पृष्ठ 2 पर पूर्ण ब्यौरा दिया है। भुज भी उनमें से है। राजस्थान में भी एक रेडियो स्टेशन होगा। कलकत्ता और सौराष्ट्र में बड़ ट्रांसमिटर होंगे। कोहिमा, सिलचर, गोलपाड़ा, जोरहाट आदि के बारे में भी हम जल्दी कर रहे हैं। ये चौथी योजना में रखे गये हैं लेकिन उन सभीपर शीघ्रता से काम किया जा रहा है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समिति ने इस विषय के विशेषज्ञों का एक बोर्ड जिसमें मनोवैज्ञानिक, भाषाशास्त्री तथा प्रचार विशेषज्ञ भी शामिल होने चाहिए, स्थापित करने की विशेष सिफारिश की है, फिर ऐसे बोर्ड की स्थापना में, जो निस्संदेह वर्तमान समिति से अधिक अच्छा होगा, क्या रुकावट है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूं कि इस समय आपतकाल में ऐसा बोर्ड बेढंगा और दुसाध्य होगा। गृह मंत्रालय प्रचार के मनोवैज्ञानिक पहलू पर विचार कर रहा है और हम अन्य मंत्रालयों से भी बराबर सम्पर्क रखते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Forty five minutes each in the morning and evening have been allocated for Tibetan people. In this connection I want to know whether any complaints have been received. This time is very little and it should be increased ? May I know the views of the Committee in this behalf ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मुझे निजी रूप से शिकायत के बारे में मालूम नहीं है। हम अवश्य ही इस पर विचार करेंगे ।

Shri Bade : I want to know whether one and a half hour should be increased or not ?

Mr. Speaker : Whether the Committee is of the opinion that one and a half hour should be increased ?

Shrimati Indira Gandhi : We are doing our best within the available time. It will be difficult to increase it at present ?

श्री दी० चं० शर्मा : चन्दा समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के सम्बध में की जाने वाली कार्यवाही सम्बंधी विवरण में यह कहा गया है कि :

"जब कि ट्रांसमिटर का ज़िलावार प्रबन्ध सम्भव नहीं है, विभिन्न सांस्कृतिक यूनिटों के लिए ट्रांसमिटरों का प्रबन्ध करने की सम्भावना की जांच की जा रही है ताकि स्थानीय संस्कृतियों को पर्याप्त समय मिल सके।"

क्या मैं उन सांस्कृतिक यूनिटों के बारे में जान सकता हूं जिनका इस समिति ने उल्लेख किया है और इन सांस्कृतिक यूनिटों की जांच कौन कर रहे हैं तथा ये यूनिट कब स्थापित हो जायेंगे ताकि स्थानीय सांस्कृतियों को पर्याप्त अवसर मिल सकें ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इन एककों की स्थापना हो चुकी है। समिति ने जो कहा है, उस का यह मतलब है। देश में ऐसे क्षेत्र हैं अर्थात् आन्ध्र प्रदेश में तेलंगना, बुन्धेलखण्ड आदि जहां इस बात की बडी मांग है कि स्थानीय कलाकारों को कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिले और नियमित रूप से मोसम सम्बधी समाचार भी सुनाये जायें क्योंकि साधारणतया इन क्षेत्रों में मोसम समान रहता है और कृषकों को आसानी से परामर्ष दिया जा सकता है।

Shri Bhagwat Jha Azad : From all the transmitters referred to in the Report, one at Calcutta will be installed only after a year. May I know whether Government feel that these transmitters are enough to meet the present requirements and if they are not enough whether Government propose to take some immediate steps to meet this requirement in the context of Pakistani aggression.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हमारे पास पहले ही 250 किलोवाट के शार्टवेव के दो ट्रांसमिटर हैं। जैसा कि मंत्री महोदयां ने कहा है हम पूर्वी क्षेत्र के लिये 1000 किलोवाट के मिडियम वेव ट्रांसमिटर तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिये एक अन्य 1000 किलोवेट के मिडियम वेव ट्रांसमिटर, जो शायद बम्बई में लगाया जायेगा, का प्रबन्ध कर रहे हैं। ये ट्रांसमिटर शीघ्र ही हमें मिल जायेंगे।

श्री भगवत झा आजाद : यह तो एक वर्ष के बाद होगा । मैं इस समय के बारे में पूछ रहा हूं ।

डा० सरोजिनी महिषी : प्रसारण निगमों का अध्यन करने के लिये जो अध्ययन दल विदेशों में गया था उसने अपने अंतरिम प्रतिवेदन में क्या सिफारिशे की है और सरकार उनमें से कितनी स्वीकार करेगी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वे अभी अभी विदेश के अपने दौरे से वापस आये हैं। वे रूस, ब्रिटेन इटली तथा संयुक्त अरब गणराज्य गये। परन्तु उन्होंने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है।

श्री कपूर सिंह : क्या मंत्री महोदया के ध्यान मे यह बात आई है कि प्रसारण सम्बन्धी समिति में अकाली दल के सदस्य भी होने चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ।

श्री कपूर सिंह : मैं अपनी अनुमति से अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सरकार को यह सुझाव दिया है कि अकाली दल के सदस्य भी उस समिति में होने चाहियें।

श्री कपूर सिंह : उनको कम से कम यह बताना चाहिए कि क्या यह बात उनके ध्यान में आई है।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्रालय का ध्यान इस ओर गया है कि अकाली दल के सदस्यों को भी, जिनका सम्बन्ध स्वतंत्र पार्टी से है।

श्री कपूर सिंह : महान स्वतंत्र पार्टी।

अध्यक्ष महोदय : महान स्वतंत्र पार्टी से है, इस समिति का सदस्य बनाया जाये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कम से कम इस समय तो इस ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है।

सीमा क्षेत्र में प्रचार

+

*422. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेमराज :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा क्षेत्रों में प्रचार कार्यों को अधिक प्रबल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : एक विवरण सदन-पटल पर रखा जा रहा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4760/65।]**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : कार्यक्रमों को वास्तव में प्रभावशाली बताने के लिये उचित समय, पर्याप्त अवधि तक तथा लोगों द्वारा पूरी तरह समझी जाने वाली बोलियों में प्रसारण आरंभ करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हम विभिन्न केन्द्रों में दर समय ही क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर देते हैं। जहां तक उन विदेशकों का सम्बन्ध है, उन्हें कुछ सीमा तक स्वायत्तता पर्याप्त है। कार्यक्रम को स्थानीय लोगों के लिये यथासम्भव आकर्षक बनाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस समस्या की अविलम्बनीयता की ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस बात का नियमित रूप से पता लगाने के लिए क्या कोई अनुसंधान शाखा स्थापित की है जो इस बात का नियमित रूप से पता लगाये कि क्षेत्रीय प्रचार कार्यक्रमों के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री चे०रा० पट्टाभिरामन : इस मंत्रालय में श्रोताओं सम्बन्धी अनुसंधान की एक नियमित शाखा है। श्रोताओं सम्बधी अनुसंधान के लिए हम एक पृथक विभाग स्थापित करने का विचार कर रहे हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या आसाम, नेफा तथा नागा लैंड जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये चलते फिरते ट्रांसमिटरों के बारे में चन्दा समिति ने कोई सिफारिश की है ? यदि हां, तो कितने ट्रांसमिटरों का सुझाव दिया गया है तथा समयानुसार कितने ट्रांसमिटरों स्थापित किये गये हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: हमारे पास पहले ही चलते फिरते यूनिट हैं। उन्होंने भी ऐसे यूनिटों के बारेमें सिफारिश की है। हम इस प्रयोजन के लिये, यदि छोटे यूनिट नहीं तो बड़े ट्रकों का प्रबन्ध करने का प्रयत्न कर रह हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को मुझे कुछ संकेत करना चाहिए कि वह अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ताकि मुझे बारी बारी से उन्हें प्रश्न पूछने के लिये स्वयं न बुलाना पडे ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या सरकार को यह पता लगा है कि संयुक्त अरब गणराज्य, इज़रायल तथा अन्य देशों ने पहले ही यह कहा है कि आज कल के विश्व में 1000 किलोवेट का ट्रांसमिटर भी पर्याप्त नहीं है । यदि हां, तो क्या इन मित्र देशों के अनुभव के आधार पर क्या सरकार अधिक शक्ति वाले ट्रांसमिटर प्राप्त करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : उदाहरणार्थ मैं यह कहूंगा कि यदि हम कलकत्ता के निकट 1000 किलोवाट मिडियम वेव का एक ट्रांसमिटर लगा दें तो हमारे कार्यक्रम वियतनाम से परे कम्बोडिया तथा फिलिप्पाइन तक में सुने जायेंगे । इससे आप अनुमान लगा सकते है कि यह ट्रांसमिटर पर्याप्त है या नहीं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : दूसरे देशों का अनुभव से यह जानकारी मिली है कि पड़ौसी देशों द्वारा किये जाने वाले प्रचार को समाप्त करने के लिये 1000 किलोवाट वाले ट्रांसमिटर पर्याप्त नहीं हैं । इस लिये मैंने यह प्रश्न पूछा है ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : तकनीकी परामर्श के आधार पर हमने अब 1,000 किलोवाट के मिडियम वेव के दो ट्रांसमिटर प्राप्त करने की योजना बनाई है । पश्चिम क्षेत्र में एक ट्रांसमिटर स्थापित करने से पश्चिमी अफ्रीका तक एक बहुत बड़े क्षेत्र में हमारे कार्यक्रम सुने जा सकेंगे ।

श्री शामलाल सर्राफ : जिन क्षेत्रों में प्रचार के लिये स्थानीय बोलियों में प्रसारण किये जाते हैं तो क्या इन बोलियों में प्रसारण की सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच की जाती है ? यदि हां, तो वे प्राधिकारी कौन हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं माननीय सदस्य की बात नहीं समझ सका ।

श्री शामलाल सर्राफ : जब सीमांत क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों में प्रसारण किया जाता है तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या स्थानीय बोलियों में प्रसारित किये जाने वाली इन समाचारों की क्या कोई जांच की जाती है, यदि हां, तो कौनसी ऐजेंसी द्वारा यह जांच की जाती है और क्या इस ऐजेंसी पर निर्भर किया जा सकता है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं ने पहले ही कहा कि हमने श्रोतांओं सम्बन्धी अनुसंधान कार्य आरम्भ किया है । जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किये गये क्षेत्रों का सम्बन्ध है यह सम्भव है कि लद्दाखी तथा अन्य भाषाओं के लिये यह कठिन हो परन्तु हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि सरकार ने एक अनुसंधान शाखा खोली हैं जो समय समय पर साक्ष्य एकत्रित करती है **और** सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार के प्रभाव की जांच करती है । क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में उस अनुसंधान शाखा का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखेंगे ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वास्तव में हमें माननीय सदस्य की समिति अर्थात् विद्यालंकार समिती के प्रतिवेदन से लाभ पहूंचा है और अप्रत्यक्ष रूप में सामन्त समिति ने भी इस पर विचार किया । जहां तक क्षेत्रप्रचार का सम्बन्ध है, हमने यूनिटों की संख्या 50 से बढ़ा कर 94 कर दी है और भारत के अन्य भागों के 50 यूनिटों में से 25 यूनिट हम सीमावर्ती क्षेत्रों में ले गये हैं । इसके अतिरिक्त जहां तक मूल्यांकन का सम्बन्ध है, क्षेत्र प्रचार यूनिट हमें जानकारी दे रहे हैं । हमारे पास और अधिक जानकारी नही है ।

Shri D. N. Tiwary : It is a general experience that rumours spread in the villages on the border areas. May I know the steps being taken to counteract these remours ?

Shrimati Indira Gandhi : Whenever we receive any such information, we endeavour to suggest suitable remedies for that.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को यह पता है कि आजकल चीन भिन्न-भिन्न स्थानीय भाषाओं में नेफा तथा उत्तरी बंगाल के लोगों में भारत के हित के प्रतिकूल पत्र बांट रहा है; यदि हां, तो सरकार ने अपना साहित्य बांट कर चीन के इस प्रचार के प्रभाव को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री इन्दिरा गांधी : हम इसकी जांच कर रहे हैं। हमने अपने क्षेत्र प्रचार यूनिटों की संख्या में भी वृद्धि की है। शत्रु के प्रभाव को समाप्त करने के लिये संगीत तथा नाटक विभाग वहां नाटक प्रदर्शित करने का प्रबन्ध करते हैं।

श्री स्वैल : माननीय मंत्री को अवश्य ही यह पता होगा कि उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में भारी संख्या में आदिम जातियों के लोग रहते हैं। क्या सरकार ने अपने प्रचार कार्य के लिये आदिमजातियों की भिन्न-भिन्न भाषाओं में समाचार-पत्रों का उपयोग किया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार में अभी हमने ऐसा नहीं किया है; परन्तु यह एक बहुत अच्छा सुझाव है और हम इसका ध्यान रखेंगे।

Shri Bagri : May I know whether some clarification is made regarding the A. I. R. broadcasts ? Yesterday there was a news that two rockets had been fired in the Amritsar area and this news ended abruptly but no further details were broadcast about the same. Until some details are given regarding such news, they can have wrong effect. May I know whether the hon. Minister is aware of it and the steps being taken in regard thereto ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 15 अगस्त से हमने इस सम्बन्ध में प्रसारण का समय 3 1/2 घंटों से बढ़ा कर 6 1/2 घंटे कर दिया है। समाचारों की संख्या बढ़ रही है और माननीय सदस्य ने देखा होगा कि जहां आवश्यक हो खण्डन भी किया जाता है।

उपभोक्ता सहकारी स्टोर और उचित मूल्य की दुकानें

+

***423. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री राम हरख यादव :
श्री काशीनाथ पाण्डे :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा केन्द्रीय विधान बनाने का विचार है जिससे सभी औद्योगिक संस्थानों के लिये अपने कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता सहकारी स्टोर तथा उचित मूल्य वाली दुकानें खोलना अनिवार्य हो जाये; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) तथा (ख) : अगस्त, 1962 में हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को, जिनके कर्मचारियों की संख्या 300 या इससे अधिक है उपभोक्ता स्टोर तथा उचित मूल्य की दुकानें खोलनी पड़ती हैं।

इस बारे में विधेयक लाने के सम्बन्ध में सरकार कुछ समय से विचार कर रही है। अब तक ऐसे 3683 औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने, जिनमें कि कर्मचारियों की संख्या 300 या इससे अधिक है, 2204 उपभोक्ता स्टोर तथा उचित मूल्य वाली दुकाने (1691 उपभोक्ता स्टोर तथा 513 उचित मूल्य वाली दुकानें) खोली हैं। इसके अतिरिक्त 129 ब्रांच स्टोर भी हैं। बाकी प्रतिष्ठानों को कहा गया है कि वे सितम्बर, 1965 तक उपभोक्ता स्टोर उचित मूल्य वाली दुकानें खोले। इस अवधि में इन प्रतिष्ठानों से मिलने वाले उत्तर पर विधेयक लाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या आने वाले वर्षों में सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा ऐसी दुकानें तथा स्टोर खोलने के लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री संजीवय्या : वर्तमान् कार्यक्रम केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों के बारे में हैं जहां 300 अथवा इससे अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं; यह कार्यक्रम पूर्ण हो जाने के बाद शायद हम दूसरे कार्यक्रम आरम्भ करें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को पता है कि इन प्रतिष्ठानों में सहकारी स्टोर तथा उचित मूल्य वाली दुकानों को माल नहीं मिलता, यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये हैं कि उन्हें उपभोक्ताओं की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये सामान उपलब्ध कराया जाये ?

श्री संजीवय्या : प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर हां में हैं। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने राज्य सरकारों से कहा है कि उन्हें माल उपलब्ध करायें।

श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या आनाज के अपर्याप्त सम्भरण के कारण बहुत सी उचित मूल्य की दुकानें तथा सहकारी स्टोर बन्द नहीं हो गये हैं। क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री संजीवय्या : इस ओर हमारा ध्यान नहीं दिलाया गया है। यदि इस ओर हमारा ध्यान दिलाया गया तो हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि यह सामान उन्हें उपलब्ध कराया जाये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether Government have issued instructions to the industrialists to open consumer co-operatives in their establishments ? May I also know whether Government have received complaints regarding bungling and embezzlement in these stores ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya) : We have asked the establishments employing more than 300 or 200 workers to open such stores, and sixty per cent of the establishments have complied. But we have no information regarding bungling and if such cases are brought to our notice by the hon. Member, we will look into them.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे कर्मचारियों के लिये पहले जैसी उचित मूल्य वाली दुकानें खोलने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री संजीवय्या : इस समय हम रेलवे मंत्रालय को पहले जैसी दुकानें खोलने के लिये नहीं कह रहे हैं ; हम रेलवे तथा दूसरे मंत्रालयों का ध्यान इस ओर दिला रहे हैं कि वे उचित मूल्य वाली दुकानें खोलें तथा सहकारी समितियां स्थापित करें।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्योंकि केवल 60 प्रतिशत कारखानों ने ही उचित मूल्य की दुकानें तथा स्टोर खोले हैं, इसलिये सरकार को विधेयक लाने में क्या कठिनाई है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि यदि अगले सत्र तक नियोजकों ने ये दुकानें न खोली तो विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री संजीवय्या : मैंने अपने उत्तर में पहले ही कहा है कि हमें सितम्बर के अन्त तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि इसमें संतोषजनक सफलता नहीं मिलती है तो निश्चय ही सरकार विधेयक लाने पर विचार करेगी।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैंने पूछा है कि क्या आप अगले सत्र में विधेयक लायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि वह इसपर विचार करेंगे।

डा० रानेन सेन : नियोजकों द्वारा भी यह आम शिकायत की गई है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में माल नहीं मिल रहा है और इसलिये उद्योगों में असंतोष है। क्या सरकार ने यह कठिनाई दूर करने के लिये कोई नई योजना बनाई है ?

श्री संजीवय्या : हां श्रीमान्; हमने खाद्य मंत्रालय तथा विभिन्न राज्य सरकारों से उस बारे में बातचीत आरम्भ की है।

श्री ओझा : क्या सरकार का विचार विधेयक में यह उपबन्ध करने का है कि सहकारिता की भावना कर्मचारियों में ही उत्पन्न होनी चाहिये और यह नियोजकों द्वारा उनपर थोपी नहीं जा सकती क्योंकि इससे सहकारिता का विकास भली प्रकार नहीं होगा।

श्री संजीवय्या : हां श्रीमन्, हम नियोजकों अथवा कर्मचारियों पर सहकारिता थोप नहीं सकते। यह कार्य नियोजकों तथा कर्मचारियों द्वारा ही किया जाना चाहिये। इसके बावजूद भी हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते; यह एक स्वेच्छापूर्वक संगठन है।

श्री प्रिय गुप्त : क्या मैं पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये आश्वासनों की दृष्टि में यह पूछ सकता हूं कि श्रम मंत्री रेलवे मंत्रालय द्वारा रेल्वे कर्मचारियों के लिये खोली गई कुछ दुकानों में आटा तथा चावल (जो खाद्य पदार्थों में मुख्य हैं) उपलब्ध कराने में कहां तक सफल हुये हैं तथा क्या रेलवे कर्मचारी उचित मूल्य वाली दुकानें खोलने के बजाय दूसरी दुकानें खोल सकते हैं ?

श्री संजीवय्या : भारतीय श्रम सम्मेलन में किया गया निर्णय उसी प्रकार रेलवे मंत्रालय पर भी लागू होगा जैसे कि दूसरे मंत्रालयों पर।

Submarines from U.S.S.R.

+

***424. Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Raghunath Singh :
Shri D. C. Sharma :
Shri Gulshan :
Shri P. K. Deo :
Shri Tan Singh :
Shri Madhu Limaye :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Basappa :
Shrimati Maimmona Sultan :
Shri Bagri :
Shrimati Tarkeshwari Sinha :
Shri Kapur Singh :
Shri Solanki :
Shri Narasimha Reddy :
Shri Surendra Pal Singh :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri P. C. Borooah :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri D. D. Puri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Russia is prepared to supply to India 6 submarines in order to meet India's demand in this regard; and

(b) if so, Government's reaction to this deal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri D. S. Raju) : (a) and (b). The Government of U.S.S.R. has agreed to supply some submarines to India. It is not in the public interest to disclose further details.

Shri Vishwa Nath Pandey : I would like to know that by which time these submarines will arrive in India.

डा० द० स० राजू : इस का अधिक ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है।

Shri Vishwa Nath Pandey : By which time these will arrive in India and what will be the total cost of all of them.

डा० द० स० राजू : हमारे शत्रु इस सूचना से बहुत प्रसन्न होंगे।

Shri Bagri: Negotiations are going on with the Soviet Union for the purchase of submarines. May I know whether India had discussed this matter with other countries. If so, whether any other country has promised to supply these submarines.

श्री द० स० राजू : जी, हां सोवियत सरकार के साथ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इस के अतिरिक्त किसी अन्य देश से भी बातचीत की गई थी।

डा० द० स० राजू : ब्रिटेन के साथ बातचीत हुई थी।

Shri Bagri : Mr. Speaker. Your question has only partly been answered by him.

Mr. Speaker : He does not want to answer the other part of the question.

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ऐसी पनडुब्बियां बनाने की कोशिश कर रही है जैसी पाकिस्तान के पास हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जब आवश्यक होगा हम कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि हाल ही में जो प्रतिनिधि मंडल सोवियत संघ गया था क्या उस ने भारत सरकार की ओर से किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं या नहीं।

प्रतिरक्षा मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां, उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं परन्तु मुझे खेद है कि मैं इस का ब्यौरा नहीं बता सकता।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस विषय में पाकिस्तान के साथ तकनीकी और मात्रा सम्बन्धी समानता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठा रही है? यदि सरकार बताने को तैयार है तो क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन कौन से कदम है?

श्री यशवंतराव चव्हाण : सरकार इस समय इस के सम्बन्ध में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि रूस सरकार चीन को दी गई पनडुब्बियों से निम्न श्रेणी की पनडुब्बियां भारत को देना चाहती है।

श्री द० स० राजू : नहीं, श्रीमान्।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच जो समझौता हुआ है उसकी यूनाईटिड किंगडम में विपरीत प्रतिक्रिया हुई हैं और उन्होंने इस पर चिंता प्रकट की है कि यदि हमने अपने नौसैनिक बेड़े को सोवियत पनडुब्बियों से लैस किया कि तो वे हमारे साथ अपने लीडर वर्ग पोत बनाने वाले समझौते को रद्द कर देंगे। यह वही पोत है जो भारतीय पनडुब्बियों की मश्कों के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी ओर से कोई विपरीत टिप्पणी नहीं हुई है और नहीं लीडर परियोजना को रद्द करने का कोई प्रश्न है।

श्री सुरेंद्रपाल सिंह : रूस से जो पनडुब्बियों आ रही है उन के फालतुपुर्जों के लिये सोवियत सरकार से क्या प्रबन्ध किया गया है। क्या वे देश में ही बनाये जायेंगे या जरूरत पड़ने पर उनका आयात किया जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा विचार है कि इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : सोवियत पनडुब्बियों के चालन और इनको बनाये रखने के लिये भारतीय कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षण देने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं या किये जा रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा मैंने कहा यह सब ब्यौरे की बातें हैं। समझौते पर हस्ताक्षर करते समय इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है।

श्री म० रं० कृष्ण : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हवाई लड़ाई अधिक गम्भीर और अपरिहार्य हो गई है क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने पनडुब्बियों के स्थान पर मिग–21 हवाई जहाजों को लेना अधिक ठीक समझा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न होगा।

श्री शामलाल सर्राफ : यह जो अविलम्बता की स्थिति उत्पन्न हो गई है उस को देखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी सरकार जितनी जल्दी हो सके अपनी नौसैनाकी शक्तिशाली पनडुब्बियों से लैस करने की स्थिति में है। यदि हां, तो कितनी जल्दी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसी ओर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री कृ० चं० पंत : क्या मैं जान सकता हूं कि सोवियत संघ से यह समझौता हो जाने के बाद ब्रिटेन ने भी हमें पनडुब्बियों बेचने की कोशिश की है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा विचार है कि मैंने समस्या का पूर्ण विवरण पहले ही बता दिया है। ब्रिटेन ने हमें एक पनडुब्बि बेचने या हमारे लिये एक पनडुब्बि बनाने की इच्छा प्रगट की थी परन्तु उधार-सुविधाओं के कारण कठिनाई उत्पन्न हो गई। वे अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण हमें उधार की सुविधायें नही दे सकें।

श्री दाजी : चूंकि श्री माथुर सभा के काम से बाहर गये हुए हैं इसलिए यह प्रश्न अध्यक्ष की ओर से किया गया समझा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं मजबूर हूं।

भारतीय श्रम सम्मेलन

+

*426. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन में केन्द्रीय मज़दूर संगठनों के प्रतिनिधित्व का आधार बदल दिया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में मज़दूर संघों की सदस्य संख्या काफी बदल गयी है जिससे भारतीय श्रम सम्मेलन में उनके प्रतिनिधित्व के आधार में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है;

(ग) क्या भारतीय श्रम सम्मेलन में स्थान प्राप्त करने का पात्र बनने के लिये कोई विशेष सदस्य संख्या होने का सुझाव दिया गया है: और

(घ) क्या सरकार ने सुझाव पर अपनी प्रतिक्रिया बता दी है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां।

(ख) 31 मार्च, 1963 को पूरे होने वाले पिछले पांच वर्षों में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ए० आई० टी० यू० सी०), जिसकी सदस्य संख्या लगभग स्थिर रही है, के अलावा, अन्य केन्द्रीय श्रम यूनियनों की सदस्य संख्याओं में कुछ वृद्धि हुई है। लेकिन इन परिवर्तनों से अभी तक भारतीय श्रम सम्मेलन में प्रतिनिधित्व के लिये निश्चित् आधार को बदलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है।

(ग) जी हां, राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस ने कम से कम ढाई लाख प्रमाणित सदस्य संख्या का सुझाव दिया था।

(घ) सरकार ने यह उत्तर दिया है कि वर्तमान पद्धति में कोई भी परिवर्तन करने के लिये भारतीय श्रम सम्मेलन या स्थायी श्रम समिति की राय लेना आवश्यक होगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस सचाई को ध्यान में रखते हुये कि आधार दस वर्ष पूर्व नियत किये गये थे और कि 'इन्टक' ने अधिक संख्या होने से श्रम क्षेत्रों में अपना नेतृत्व बना लिया है क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार 'इन्टक' के सुझावों को कार्यन्वित करने में कोई कठिनाई महसूस करती है ?

श्री संजीवय्या : यह कहना ठीक नहीं है कि आधार दस वर्ष पूर्व नियत किये गये थे। यह 5 सितम्बर, 1959 को नियत किये गय थे केवल 6 वर्ष पूर्व। दूसरे यदि कोई वांछित है तो वह भारतीय श्रम सम्मेलन के परामर्ष से ही की जाती है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : हिन्द मजदूर सभा और संयक्त मजदूर कांग्रेस की सदस्यता की संख्या को देखते हुए क्या सरकार महसूस करती है कि इन को अभी केन्द्रीय संगठन ही रहना चाहिये ?

श्री संजीवय्या : हम कोई विचार व्यक्त करना नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि सारा मामला त्रिपक्षीय सम्मेलन के पास पेश किया जाये, भारतीय श्रम सम्मेलन या स्थायी श्रम समिति के सामने पेश किया जाये और वहीं पर इस का निर्णय किया जाये।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से अवज्ञत है कि मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या ने आजाद व्यापार संघों में नाम लिखा लिया है और कि यह संघ किसी भी अखिल भारतीय व्यापार संघ सम्मेलन से सम्बन्ध नहीं रखते हैं यदि हां तो क्या सरकार इन को श्रम सम्मेलन में अनुपाती प्रतिनिधित्व देना वांछनीय समझती है।

श्री संजीवय्या : जी, नहीं। ऐसा नहीं है क्यूंकि 5 सितम्बर, 1959 के निर्णय में ऐसा है कि जो संगठन भारतीय श्रम सम्मेलन में प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं उन की बहुत से राज्यों में कम से कम एक लाख की सदस्यता होने के साथ उन का अखिल भारतीय स्वरूप होना चाहिये। और बहुत से उद्योगों में भी उन की सदस्यता की एक बड़ी संख्या होनी चाहिये।

श्री अ० प्र० शर्मा : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यप्र ाली, जिस को भारत ने भी स्वीकार किया है, यह है कि जिस संगठन की सबसे अधिक सदस्य होंगे उस को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस मामले में भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस कार्यप्रणाली को अपनाने में श्रम मन्त्रालय की क्या कठिनाई है।

श्री संजीवय्या : कठिनाई यह है कि हमारी परम्परा है और मैं नहीं चाहता कि हम उस परम्परा से प्रस्थान कर जायें।

श्री अ० प्र० शर्मा : यह परम्परा गलत है और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्य-प्रणाली की विरोधी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मन्त्री महोदय ने कारण सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि त्रिपक्षीय सम्मेलन में बनाये गये प्रबन्धों को उलटने के लिये 'इन्टक' क्यूं इतनी उत्सुक है।

श्री संजीवय्या : मैंने कारण सुनिश्चित नहीं किये हैं। जो कुछ मैंने उन से कहा था वह यह कि सरकार इस विषय में कोई विनिश्चय नहीं करेगी और कि इस मामले को त्रिपक्षीय सम्मेलन में पेश किया जायेगा।

श्री प्रिय गुप्त : क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह समिति अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शिष्टमण्डल भेजते समय व्यापार संघों के बड़े केन्द्रीय संगठनों को भेजने की उसी प्रक्रिया की सिफारिश करेगी।

श्री संजीवय्या : जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में कर्मकारों की ओर से शिष्ट-मण्डल भेजने का सम्बन्ध हैं हम ने प्रक्रिया बनाई है हम पहले चारों केन्द्रीय संगठनों को प्रार्थना करेंगे कि वह एक संमत तालिका पेश करें। ऐसा कभी नहीं होगा और इस की अनुपस्थिति में हमारे पास सबसे अधिक प्रतिनिधियों वाली निकाय अर्थात् 'इन्टक' है।

Shri Hukam Chand Kachhawaiya : It appears from the answer given by the Hon. Minister that INTUC wants a change in the basis of representation so that other unions may not come in the field and progress. I would like to know whether it is a fact ?

Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment

(Shri R. K. Malviya) : I do not think so.

श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या यह सच है कि 'इन्टक' सदस्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग करती है और किसी केन्द्रीय संगठन के अपवर्जन की मांग नहीं करती।

श्री संजीवय्या : यह ठीक है।

मोम्बासा में भारतीय

*427. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मोम्बासा से भारतीयों को निकालने के लिये प्रबल आन्दोलन आरम्भ किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले मई मास में अनेक सार्वजनिक सभाओं में एशियावासियों को, विशेष रुप से भारतीयों को निकालने के लिये संकल्प स्वीकृत किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri D. N. Tiwary : May I know that the Government has ever tried to know whether the news published in the Indian newspapers in May about the situation there is correct or not. If it is correct then what action is being taken by the Government.

Shri Dinesh Singh : The Government is aware of the happenings there. The Hon. Member might be knowing that Kenya Government has openly declared that they will not differentiate among the people of Asia, Africa and Europe. They will also not make any distinction in the colour.

Shri D. N. Tiwary : Whether it is a fact that the people of that country has got such feelings although Kenyan Government does not have any such thing for which the people of Asia particularly Indians are afraid of.

Shri Dinesh Singh : If the people of those countries have got any such feeling in their hearts then the people of the Indian origin should try to remove it by mingling themselves with those people. Government cannot help it.

Shrimati Tarkeshwari Sinha : Whether it has come to the notice of the Government that not only in Mombasa but in African and other Central Asian Countries also the relations between Indians and the people of those countries are deteriorating. If so, what action is proposed or is being taken by our Government so that unity may be established there.

Shri Dinesh Singh : I do not think there is any such thing.

Shrimati Tarkeshwari Sinha : That is your misunderstanding.

Mr. Speaker : After this the misunderstanding should be removed.

Shri Dinesh Singh : Yes, Sir.

Shri Bhagwat Jha Azad : Whether it is a fact that there are difficulties in acquiring the citizenship in Mombasa as compared to the facilities available in other African countries and for this reason the people of Indian origin, who are desirous of acquiring the citizenship of that country normally, are not able to do so.

Shri Dinesh Singh : There is no such difficulty in the Mombasa City. The question of the citizenship is still open in Kenya and the people of the Indian origin can acquire the citizenship by the end of December.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नही है कि सरकार के कुछ सदस्य और कुछ निजी अभिकरण जिन पर की उस क्षेत्र की जन संख्या का प्रभुत्व और नियंत्रण है और जिन को वही लोग चलाते हैं यह कहते हैं कि उनका देश केवल उन के देशी लोगों के लिये है और कि दुसरे सब लोगों के लिये चाहे वे वहां कितनी ही देर से क्यू न रहते हों, उन के देश में कोई स्थान नहीं है। यदि हां तो क्या सरकार ने अपने राजदूत की मार्फत या किसी दुसरे अधिकरण की मार्फत इस प्रचार को निषिद्ध करने की कोशिश की है और एशिया और भारतीय लोगों के दिलों में यह बात बिठाने की कोशिश की है कि उन का स्थान वहां पर सुरक्षित है।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य किस देश के बारे में कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मोम्बासा।

श्री दी० चं० शर्मा : मेरे विचार में माननीय सदस्य यह भी नहीं जानते ....

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बता दिया है कि वह मोम्बासा है। अब उन्हें बैठ जाना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : मेरे विचार में उन्हें भूगोल की जानकारी नहीं है।

श्री कृ० चं० शर्मा : वे बहुत पहले उसे भूल चुके हैं।

श्री दिनेश सिंह : मोम्बासा एक नगर है, देश नहीं। फिर भी इस बारे में मुख्य बात यह है कि हमें भारतीय नागरिकों के प्रश्न के साथ भारतीय उद्भव के व्यक्तियों का प्रश्न नहीं जोड़ना चाहिये। कीनिया में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को यह छूट है कि वह कीनिया की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जहां तक कीनिया के नागरिकों के आपसी सम्बन्ध का प्रश्न है, वह उन के अपने निर्णय का विषय है। भारत सरकार इस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

श्री राम सहाय पाण्डेय : भारतीय उद्भव के बहुत से लोग कई कारणों से अफ्रीकी देशों को छोड़कर भारत वापिस आना चाहते हैं। उन को क्या सुविधायें दी जा रही हैं?

श्री दिनेश सिंह : वे निवास स्थान को बदलने की सुविधाओं के हकदार हैं। सीमा-शुल्क में भी उन्हें कुछ विशेष सुविधायें दी गई हैं। इनका मैंने सदन में विस्तार पूर्वक ब्यौरा दिया है।

व्यक्तियों का अवैध रूप से श्रीलंका जाना

*429. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण भारत में उन एजेन्टों (टाउट्स) की गतिविधियों के बारे में जानकारी है जो व्यक्तियों को अवैध रूप से श्रीलंका जाने के लिये मना रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक व्यक्ति जो पहिले श्रीलंका छोड़ आये थे अथवा वहां से निकाल दिये गये थे, अवैध रूप से वापस जाते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जब कभी आवश्यक हुआ, सरकार अवैध उत्प्रवास को रोकने के लिए बराबर उपाय बरतती रही है । जो लोग इस काम में मदद देते हुए पकड़े जाते हैं; उनके खिलाफ भी काईवाई की जाती है ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के भाग (क) के सरकार के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह प्रचार किया जा रहा है कि श्रीलंका की नई सरकार का रवया भारतीयों के श्रीलंका के आप्रवसान के प्रति सहानुभूति पूर्ण है, व आराम से वापिस जा सकते हैं और इस प्रकार लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे निश्चन्त होकर, 18 मील की जलसंधि को नावों या कटभरनों द्वारा पार कर के वापिस जा सकते हैं । यदि सरकार को इन गतिविधियों का पता है, तो इन्हें रोकने के लिये, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : कुछ लोगों द्वारा किये जा रहे हैं इस प्रचार के बारे में सरकार जानती है । यह बात समाचार पत्रों में भी छपी है । हम ने अपनी सुरक्षा विषयक कार्यवाही दृढ़ कर ली है ताकि कोई भी व्यक्ति अनुज्ञा बिना भारत से बाहर न जावे । अवैध आप्रवासन को रोकने के बारे में उपाय सोचने के लिये, मई में एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया था, जिस में लंका के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि यदि श्रीलंका से आये लोगों के पुनर्वास के लिये सरकार ने उचित कार्यवाही नहीं की तो उस प्रचार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है ? क्या यह सच नहीं है कि इस प्रचार का प्रभाव केवल तभी पड़ेगा, यदि उन लोगों की अच्छी तरह देखभाल न की गई और उनका पुनर्वास संतोषजनक न हुआ ?

श्री दिनेश सिंह : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । यह अपनी अपनी मत का विषय है । उनके पुनर्वास का पूर्ण यत्न किया जा रहा है । फिर भी यदि उन्हें पुनर्वास में किसी कठिनाई का अनुभव करना पड़ तो यह लंका वापिस जाने के लिये कोई नहीं है ।

श्री वारियर : क्या इस बारे में कि अवैध रूप से अभी तक कितने लोग श्रीलंका वापिस जा चुके हैं, सरकार को उच्चायुक्त से कोई सूचना प्राप्त हुई है ?

श्री दिनेश सिंह : यदि हमारे पास कोई सूचना होती तो उन्हें जाने से ही रोक दिया जाता ।

जकर्ता में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन

+

*430. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बागड़ी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1965 में जकर्त्ता में 2,000 से अधिक इंडोनेशियाई प्रदर्शनकारियों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत करने की अनुमति मिलने से पहले भारतीय

दूतावास पर पत्थर फैंके तथा नारे लगायें जिस में मांग की गयी थी कि नई दिल्ली मलयेशिया का समर्थन करना बन्द करे;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सम्पत्ति की अथवा अन्य हानि हुई; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 23 जून 1965 को लगभग 2,000 इंडोनेशिया वासियों ने जकर्ता-स्थित भारतीय राजदूतावास के सामने प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारियों ने भारत और मलयेशिया के खिलाफ नारे लगाए। चार नेताओं को राजदूत के समक्ष ज्ञापन देने की अनुमति दी गई जिसमें मलयेशिया के प्रति भारत सरकार के समर्थन की कड़े शब्दों में आलोचना की गई थी।

(ख) संपत्ति को कोई हानि नहीं हुई और न कोई अन्य नुकसान हुआ।

(ग) जकर्ता-स्थित भारत के राजदूतावास ने इंडोनेशिया के विदेश कार्यालय के पास फौरन ही विरोध पत्र भेज दिया। दिल्ली–स्थित इंडोनेशिया के राजदूतावास के पास भी एक विरोध-पत्र भेजा गया।

श्री दी० चं० शर्मा : इंडोनेशिया में अब इस प्रकार के प्रदर्शन होते ही रहते हैं हमारे राजदूत से वहां पर हाथापाई की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री निश्चय ही विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं संसदीय कार्य के मन्त्री की अंससदीय गतिविधियों के ध्यान में रखने के लिय आप का धन्यवाद करता हूं। मैं यह कह रहा था कि इन्डोनेशियन की ओर यह जो प्रदर्शन इन सब दिनों में होते रहे हैं यह इन्डोनेशिया में एक निरन्तर क्रिया बन गई है। सवप्रथम यह मलेशिया के बारे में थे, फिर हमारे राजदूत से हाथापाई की गई और अब यह प्रदर्शन काश्मीर के सम्बन्ध में हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत और इन्डोनेशिया में सम्बन्ध बिगड़ने के क्या कारण हैं जब कि भारत और इन्डोनेशिया में बहुत ही मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। सरकार इन्डोनेशिया के साथ फिर से अच्छे, भाई-चारे के और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिय क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : म नहीं जानता कि मन्त्री महोदय को इस का ध्यान है कि माननीय सदस्य अब 'क्या मैं जान सकता हूं' कहने पर आ गये हैं।

श्री दिनेश सिंह : यदि मैं यह कहूं कि प्रश्न काल में, भारत और किसी दुसरे देश के सम्बन्धों के बारे में कि वह बिगड़े हैं या उन में सुधार हुआ है, चर्चा करना मेरे लिये बहुत कठिन होगा। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि इन्डोनेशिया में, जिस प्रकार से हमारे दूतावास के विरुद्ध खासतौर से काश्मीर के बारे में जो कि भारत का घरेलू मामला है प्रदर्शन हो रहे हैं हम इस से बहुत अप्रसन्न हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि उन्होंने इन्डोनेशिया के विदेश कार्य मन्त्रालय को कुछ विरोध पत्र भेजे हैं मेरा विचार है कि वह इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति को भेजे गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इनका कुछ उत्तर आया है यदि उत्तर आया है तो वह क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : कोई उत्तर नहीं आया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether Government has taken some special steps to safeguard the embassy so that we may not have to bear the loss further. Hon. Minister has said that no reply has been received to our protest notes. May I know whether some more steps have been taken in that regard ?

Shri Dinesh Singh : As I have said our embassy has not suffered any loss. We have also not received any reply to our protest note. We have taken this matter with their ambassador here.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether some steps for its defence have been taken ?

Shri Parkash Vir Shastri : There have been some demonstrations and other uncivilised incidents outside our embassy in Jakarta. May I know whether our Government has received any information about the chinese hand in these demonstrations and incidents ?

Shri Dinesh Singh : It is very difficult for us to say this with any confidence. But we have received such information.

श्री नाथ पाई : यह घटनायें इन दोनों देशों में कमजोर सम्बन्ध होने की एक झलक थी । क्या यकर्त्ता के साथ सम्बन्धों को सुधारने के लिये प्रतिष्ठित भूतपूर्व मुख्य मन्त्री को जकार्ता की यात्रा पर भेजा गया था और कि क्या उन की यात्रा से सम्बन्धों में सुधार हुआ है ..... क्या वह इसका उत्तर देंगे ।

श्री दिनेश सिंह : मैं यह नहीं मानता कि भारत और इन्डोनेशिया में सम्बन्ध खराब हैं । समय समय पर कुछ दुर्भाग्य पूण घटनायें होती रहती हैं परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि दोनों देशों में सम्बन्ध खराब हैं । जहां तक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री की यात्रा का सम्बन्ध है वह एक निजी यात्रा पर थे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार यकर्त्ता और इन्डोनेशिया के दूसरे भागों में भारतियों की बिगड़ती हुई हालत से अवगत है । सरकार ने उन की जिंदगी और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैं ऐसा नहीं मानता कि वहां पर भारतियों की हालत बिगड़ रही है । समय समय पर वहां कुछ व्यापार प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिनका प्रभाव उन पर भी हुआ है ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री विजू पटनायक ने यकर्त्ता में ऐसा प्रभाव बनाया है कि वह प्रधान मन्त्री के विशेष दूत ह और इन्डोनेशिया के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिये आय हैं । उन्होंने वहां के समाचार पत्रों के संवाददाताओं से भी भेंट की है । प्रधान मंत्री तथा अणशवित मन्त्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा यह उन की वैयक्तिक यात्रा थी ।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि इन्डोनेशिया की ओर से जो शत्रुता का सामना करना पड रहा है वह अधिकतर हमारी अपनी ही बनाई हुई है क्योंकि हम ने रिकटी मलेशिया गणराज का समर्थन करके उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को उभारा है ।

श्री दिनेश सिंह : नहीं महोदय ।

श्री रंगा : जब बिजू पटनायक जैसा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारा प्रधान मंत्री या सरकार को अपराधारोपक या अन्तर्ग्रस्त करने की बात कहते हैं तो हमारी सरकार ने, यह कह कर कि यह उन की वैयक्तिक यात्रा थी और कि उन की इस यात्रा से हमारे प्रधान मंत्री यह ऐसे किसी संदेश का जो उन्होंने इन्डोनेशिया की सरकार या उस के राष्ट्रपति को दिया हो, विरोध करना उचित नहीं समझा है।

श्री दिनेश सिंह : इस की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह एक वैयक्तिक यात्रा थी। जैसे ही कोई शक पैदा हुआ हमने उस की सफाई दे दी है।

श्री रंगा : उन को अपने तौर पर इस का विरोध करना था।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इस की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजिनियरों की पदावनति

3. श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अगस्त, 1965 के "मार्च आफ दि नेशन" नामक साप्ताहिक में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनेकों इंजीनियरों की पदावनति की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को सम्बन्धित अधिकारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई संसद् सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिया है और व्यक्तिगत रूप में प्रधान मन्त्री को एक पत्र भेजा है; और

(घ) क्या इतने बड़े पैमाने पर पदावनति की कार्यवाही करने से पहले, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को निरन्तर मुकदमेबाजी में पड़ना पड़ सकता है, सरकार ने इस सम्बन्ध में विधि मन्त्रालय से कोई परामर्श लिया था ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) उक्त रिपोर्ट को सरकार ने देख लिया है।

(ख) दो अधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उनका दावा है कि उनकी नौकरी का रिकार्ड बुरा नहीं और यदि उनकी कानफीडेन्शीयल रिपोर्ट में कोई विपरीत रिमार्क था तो वह या तो पूर्वाग्रहात्मक अथवा अन्यायपूर्ण था, तथा एक लम्बी अवधि तक स्थानापन्न रूप में कार्य करने के बाद उनकी पदावनति नहीं करनी चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद कार्रवाई की गयी है।

श्री कपूर सिंह : उप विधि मंत्री ने जिन की फाईल राय के लिये भेजी गई थी, कहा है—मेरे पास यहां उस की प्रतिलिपि है—कि '3–15 वर्ष का विचारण काल नहीं हो सकता' और 'जिन परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर कमी किये जाने के आदेश हुए हैं, न्यायालय की दृष्टि प्रत्यवर्तन शक्ति का असद्भावी प्रयोग है और यदि मन्त्रालय "अवांछनीय अधिकारियों को निकालना चाहती है" तो उसको अधिकारियों भ्रष्टाचार और अदक्षता के अपराधों के सीधे साधे तरीके आरम्भ करने चाहिये। और 'उन अधिकारियों की जोकि बहुत देर तक उंचे पदों पर रह चुके हों अस्पष्ट आधारों पर अवनति करना शक्ति का दुरुपयोग करना है और यदि हां तो निर्माण तथा आवास मन्त्रालय ने कैसे इस जायेदार और उचित परामर्श की अपेक्षा की है।

श्री मेहरचन्द खन्ना : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रश्न क्या है।

श्री कपूर सिंह : माननीय मन्त्री प्रश्न जानना चाहते हैं तो प्रश्न यह है कि उप विधि मन्त्री आप को एक बुद्धिमानों वाला, इमानदारी वाला और अच्छा परामर्श दिया था। जिस की आप ने उपेक्षा की ओर दुसरे परामर्श ले लिया। मैं पूछना चाहाता हूं कि आपने एक इमानदार आदमी की तरह उस परामर्श पर काम क्यूं नहीं किया।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जब फाईल मंत्रालय को भेजी गई थी, वह विधि, वित्त या गृह कोई मंत्रालय हो सकता है, तो उस में बहुतसी टिप्पणियां थी, परन्तु जब फाईल को मन्त्री के सामने रखा गया तो उस पर उन्होंने जो परामर्श दिया हमने आमतौर पर उसी परामर्श पर काम किया है।

श्री कपूर सिंह : क्या वह यह मानते हैं कि उन्होंने उपविधि मन्त्री के परामर्ष के अनुसार काम नहीं किया है। यदि हां, तो इस के विरूद्ध परामर्श लाने को क्यूं आवश्यक समझा था ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : उपविधि मन्त्री के परामर्श के अलावा मेरा यह कहना है कि हम उन को अदक्षता के आधार पर प्रत्यावर्तन कर रहे हैं। उनको दंड या उनको सजा देने का कोई प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही दो प्रश्न कह चुके हैं। मैं आप को बाद समय दूंगा।

Shri Gulshan : May I know whether this file was sent to Prime Minister for decision and I would like to know whether he has given some decision. If so, then what ?

Shri Mehr Chand Khanna : This file concerns my ministry and we have taken a decision thereon after a careful consideration. We had sent it to the Law and Home Ministries also. We have also obtained advice from the Cabinet Secretariat and U.P.S.C.

Shri Bagri : Mr. Speaker, the question was whether it was sent to the Prime Minister or not ?

Shri Mehr Chand Khanna : Prime Minister receives thousands of letters every month.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस का जबाब लूंगा, सदस्य इतने उतावले क्यूं हैं ? Hon. Member wants to know whether the file was sent to the Prime Minister ?

Shri Mehr Chand Khanna : No Sir, the file was not sent to the Prime Minister.

श्री कपूर सिंह : प्रधान मंत्री को फाईल आदेशों या निर्देशों के लिये भेजी गई थी। He says that he did not send it.

Shri Mehr Chand Khanna : The representations received by the Prime Minister are generally forwarded to the Ministries concerned and action taken thereon is communicated to the Prime Minister. The Prime Minister was informed about the proposed action in the matter and not a final decision.

श्री कपूर सिंह : क्या गह मंत्रालय ने अपने परिपत्र संख्या एम. एन. ओ. एफ/ 44/1/59 (MNOF 44/1/59) दिनांक 15-4-1959 द्वारा यह निर्धारित किया है कि प्रशिक्षार्थियों (ओ. टीज़) को दो वर्ष से अधिक समय के लिये परिक्षणाधीन न रखा जाये ? यदि हां, तो उन अनुदेशों के अधीन कोई कार्यवाही उस कालावधी में क्यों नहीं की गई, जो अब की जा रही है ?

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या एक या दो व्यक्तियों का मामला इस प्रकार से इस सदन में उठाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक कर्मचारी वर्ग से सम्बन्धित है, न कि एक या दो व्यक्तियों से। यदि मुझे यह प्रत्यक्ष होता कि यह एक ही व्यक्ति से सम्बन्धित है, तो मैं इस की आज्ञा न देता। **(अन्तर्बाधा)**

शांति, शांति, मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

श्री मेहरचन्द खन्ना : यदि माननीय सदस्य उस परिपत्र की प्रतिलिपि सहित, जिसका कि उन्होंने अभी जिकर किया है, मेरे को इस बारे में लिखेंगे, तो मैं अवश्य इस पर विचार करूंगा।

श्री दाजी : क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती कि यदि उन व्यक्तियों का, जो किसी पद पर 8, 10, या 15 वर्षों के समय से स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं, प्रत्यावर्तन करना आरम्भ कर दिया, तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जायेगी ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरे इस बढ़ते हुए विभाग में लगभग 200 स्थानापन्न अधिकारी है। इन में से लगभग 170 कार्यपालक अभियन्ता (इंजिनियरिंग) और लगभग 30 इलैकट्रीकल अभियन्ता हैं।

इन सब 200 अधिकारियों के मामलों पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जिस की अध्यक्षता संघीय लोक सेवा आयोग के एक सदस्य ने की थी, विचार किया गया था और उन्होंने इन 28 अधिकारियों के बारे में जो इस प्रश्न से सम्बन्धित है यह मत व्यक्त किया था कि इन का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। अतः इनको प्रत्यावृत किया जाये। स्थिति इस प्रकार है। 202 अधिकारियों में से हम इस समय 28 के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र के प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि हम ने इतने वर्ष के बाद यह कार्यवाही क्यों की। म निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उन्हें सुधार का हर संभव मौका दिया परन्तु जब हमें विश्वास हो गया कि वह सुधार नहीं कर सकते तो उन्हें प्रत्यावृत कर दिया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बन्दरगाहों में माल उतारने-चढाने के लिये श्रमिक सहकारी समितीयां

*420. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़तालों को रोकने तथा श्रमिकों का शोषण न होने देने के लिये बन्दरगाहों में सामान उतारने-चढ़ाने और अनाज उतारने के लिये श्रमिक सहकारी समितियां बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजनयिकों के लिये आचार संहिता

*425. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति संबंधी विषयों पर मिशनों के अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों तथा उनकी पत्नियों द्वारा खुले आम विचार प्रकट करने तथा निजी तौर पर बातचीत करने के बारे में कोई आचार-संहिता है;

(ख) यह आचार-संहिता कैसे लागू होती है; और

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों में कभी इस संहिता को भंग किया गया है तथा इसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) विदेशों में काम करने वाले मिशन प्रमुखों और अन्य अधिकारियों के सार्वजनिक भाषणों के बारे में सरकार ने हिदायतें जारी की हैं। इसके अलावा, सभी अधिकारियों पर आचरण तथा अनुशासन नियम और सरकारी गोपनीयता अधिनियम (आफिशल सिक्रेट्स एक्ट) लागू होते हैं। जब कि नियमों में अधिकारियों की पत्नियों का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी सब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि विदेशों में भेजे गए अधिकारियों को यह निश्चित रूप से देखना चाहिए कि उनके परिवार भारत के हितों के विरूद्ध कार्रवाई न करे, अथवा ऐसे कोई बयान न दें जिनसे सरकार को उलझन हो।

(ख) जब इन नियमों के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आता है, तो नियम भंग करने वाले के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी नहीं।

लाठीटीला-डूमाबारी क्षेत्र

*428. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने आसाम के लाठीटीला-डूमाबारी क्षेत्र में पांच गांव मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) : असम-पूर्व पाकिस्तान सीमा के पास पांच गांव का एक क्षेत्र है (लाठीटीला, बड़ापूतनी, डूमा-बाड़ी, कर्कनापूतनी और पूतनी) जिसपर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को अंकित करने के बारे में रैडक्लिफ़ अवार्ड को लेकर कुछ झगड़ा है। यह झगड़ा मुख्य रूप से इस कारण खड़ा हुआ है कि रैडक्लिफ़ अवार्ड के मूलपाठ में और इस अवार्ड से संलग्न एक निदर्श-मानचित्र (इलस्ट्रेटिव-मैप) में अंतर है। पाकिस्तान समूचे लाठीटीला और कर्कनापूतनी पर तथा डूमाबाडी, बड़ापूतनी और पूतनी के काफी बड़े हिस्सों पर अपना दावा जताता है। यह दावा इस अवार्ड के लिखित वर्णन के विपरित है, जिसके अनुसार सीमा रेखा को पाथरकंडी और कुलौरा के थानों को विभाजित करना चाहिये। चूंकि ये पांच गांव सदा असम के पाथरकंडी थाने के प्रशासनिक नियंत्रण में रहे हैं, इसलिए हमारा कहना यह है कि ये गांव भारत के ही अंग होने चाहिये। रैडक्लिफ़ ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि अगर इस अवार्ड के मूल पाठ में और इससे संलग्न निदर्श-मानचित्र में कोई अन्तर हो तो लिखित विवरण ही सही माना जाएगा।

"पाकिस्तान टाइम्स" में प्रकाशित मानचित्र

*431. **श्री बासप्पा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहौर के 'पाकिस्तान टाइम्स' में प्रकाशित मानचित्र में कच्छ के रन के भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे का खण्डन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को यह समझाने के लिये कि उसका दावा झूठा है, इस मानचित्र का क्या उपयोग किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय समाचार पत्रों ने इस तथ्य को प्रकाशित किया कि यह नक्शा पाकिस्तानी दावों का खंडन करता है। यह तथ्य विदेश-स्थित हमारे मिशनों के पास भी पहुंचा दिया गया था जिससे कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में समुचित प्रचार कर लें।

ब्रिटेन से हंटर जेट-फाइटर विमान

*432. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन से हंटर जैट-फाइटर विमानों की सप्लाई आरम्भ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने विमान भारत आ चुके हैं;

(ग) कितने विमान अभी और आयेंगे; और

(घ) ये विमान किन शर्तों पर भारत को दिये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) : सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

समाचार पत्रों के पृष्ठों के आधार पर उनका मूल्य निर्धारण

*433. **श्री सोलंकी** :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० के० देव :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **सूचना** तथा **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की संस्था के प्रधान ने पृष्ठों के आधार पर समाचारपत्रों के मूल्य निर्धारण तथा उनमें छपने वाले विज्ञापनों तथा पठनीय सामग्री के बीच कोई अनुपात निर्धारित करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार को समाचार पत्रों में छपे समाचारों से यह पता चला है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की संस्था के प्रधान ने 30 जून, 1965 को यह सुझाव दिया था, जब कि वह संस्था की चौबीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में भाषण दे रहे थे।

(ख) और (ग) : उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को देखते हुए, जिसमें उन्होंने पृष्ठों के आधार पर मूल्य निर्धारण अमान्य ठहराया है, फिलहाल कोई और कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

भारतीय जल-प्रांगण का जल-वर्णना-सर्वेक्षण

*434. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की जल-वर्णना सर्वेक्षण समिति ने 13-7-65 की अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि भारतीय जल-प्रांगण तथा तट के पास के द्वीपों के जल-वर्णना सर्वेक्षण के पुनरीक्षण-चक्र को उचित अवधि में पूरा करने के लिये, इलेक्ट्रानिक यंत्रों से युक्त तथा पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित कर्मचारियों समेत कम से कम चार सर्वेक्षण जहाज लगातार इसी काम पर लगे रहने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये सरकार के पास पर्याप्त उपकरण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जल सर्वेक्षण के लिये भारतीय नौसेना के पास 4 सर्वेक्षण जलपोत हैं। स्थिति निर्धारण के लिये नौसैनिक जल सर्वेक्षण सेवा में आधुनिक इलेक्ट्रानिकी सहायक (साज़सामान) पुरस्थापित किये गये हैं। लागत, विदेशी मुद्रा की प्राप्यता और पहले से प्रयोग में लाए जा रहे सेटों की कार्यदक्षता इत्यादि का ध्यान रखते हुए अतिरिक्त साज़सामान की प्राप्ति का, प्रावस्थाओं में विभाजन करना ही पड़ता है।

सरकारी क्षेत्र में रोजगार

*435. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकारी क्षेत्र में रोजगार में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

Elections in Rhodesia

*436. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the activities of the present minority Government in Rhodesia in connection with the holding of fresh elections ;

(b) whether Government's attention has also been drawn to the statement made by the British Defence Secretary that they will not take any military action against the present Government in Rhodesia even if it resorts to revolt; and

(c) if so, the action that the Government of India propose to take in collaboration with other Afro-Asian and other countries against the present Government in Rhodesia ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a). and (b). Yes, Sir. Government have seen press reports in this regards.

(c) Government of India are firmly of the view that a majority Government based on one-man-one-vote should precede the declaration of Independence of the country and that Britain should, without any further delay, convene a constitutional conference of all elements in the population of Rhodesia. These views were expressed by our Prime Minister during the Commonwealth Prime Ministers' Conference and are in tune with the other African countries. Government are in constant touch with other like-minded Afro-Asian countries.

गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा समझौता

*437. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री गुजरात-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा समझौते के बारे में 18 अगस्त, 1965 के वाद--विवाद के प्रधान मंत्री द्वारा दिय गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री स्तर पर बातचीत न करने तथा विवाद को सीधे न्यायाधिकरण को सौंपने के सरकार के निर्णय के बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) न्यायाधिकरण कब बनाया जायेगा;

(ग) न्यायाधिकरण के सभापति तथा दो सदस्यों के नाम क्या है;

(घ) न्यायाधिकरण कब कार्य आरंभ करेगा; और

(ङ) इसके निर्देश-पद क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) पाकिस्तान ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और इस मामले पर अगली कार्रवाई करने यानी इसे न्यायाधिकरण (ट्रिबुनल) को सौंपने पर राज़ी हो गया है।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) : अक्तूबर 1965 के अंत तक यह न्यायाधिकरण बन जाना चाहिये और उसके बाद इसे अपना काम शुरू कर देना चाहिये। न्यायाधिकरण का सहारा इसलिये लिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के दावों की रोशनी में और वे इसके सामने जो प्रमाण पेश करें उनकी रोशनी में यह कच्छ और सिंध के बीच की सीमा निश्चित करे। यह न्यायाधिकरण जो फैसला करेगा वह अंतिम होगा और दोनों पक्ष उसे मानेंगे। यह न्यायाधिकरण तब तक बना रहेगा जबतक कि इसके निष्कर्षों पर अमल पूरा नहीं हो जाता।

इस न्यायाधिकरण के सदस्यों तथा इसके अध्यक्ष के नाम चुनने के सवाल पर विचार किया जा रहा है।

ब्रिटेन गये हुए भारतीय लोग

*438. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने राष्ट्र-मण्डलीय देशों से आने वाले लोगों का अभ्यंश घटाकर 7,500 प्रति वर्ष करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में भारत से उस देश में औसतन कितने व्यक्ति गये; और

(ग) हाल ही में अभ्यंश में की गई कटौती के परिणामस्वरूप प्रव्रजकों की संख्या में कितनी कमी होने की संभावना हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) : एक ब्यौरा सदन की मेज़ पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालयमें रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4761/65**]

भारत के सम्बन्ध में लन्दन के एक मेजिस्ट्रेट का मत

*439. **श्री हेम बरुआ :** **श्री राम हरख यादव :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : **श्री मुरली मनोहर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अगस्त, 1965 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि लन्दन के एक मजिस्ट्रट ने अपने हाल ही में जारी किये गये आदेश में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतंत्र गणराज्य न मानकर ब्रिटेन के बाहर एक ब्रिटिश डोमिनियन माना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारेमें ब्रिटेन सरकार से बातचीत की गई है ताकि भारत का जो गलत रूप संसार के सामने रखा गया उसे ठीक किया जा सके ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। यूनाइटेड किंगडम मेन्टेनन्स आर्डर्स (फैसिलिटीज़ फार एनफोर्समेन्ट) एक्ट, 1920 के अंतर्गत, मजिस्ट्रेटों के उपयोग के लिये एक फार्म निर्धारित किया गया है। इस फार्म के अंतर्गत, अदालत ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध आदेश दे सकती है जो "यूनाइटेड किंगडम से बाहर महामहिम की डोमिनियनों के किसी भाग" में रह रहा हो जहां उक्त अधिनियम (एक्ट) लागू होता हो। यह फार्म 1920 में निर्धारित किया गया था और तब से लेकर अब तक विभिन्न स्वाधीन राष्ट्रमंडल देशों में रहने वाले किसी प्रतिवादी के विरुद्ध-आदेश देने के लिये कोई विशेष फार्म निर्धारित नहीं किया गया है; पुराना फार्म अब भी इस्तेमाल हो रहा है।

(ख) इस फार्म में समुचित फर-बदल करने के लिये लंदन-स्थित भारत के हाई कमीशन ने यूनाइटेड किंगडम की सरकार के साथ मामले को उठाया है।

Indian Currency found with Pakistani Infiltrators

*440. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Sivamurthi Swamy : Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large amount of Indian currency has been found with the Pakistani infiltrators;

(b) if so, whether Government have enquired about the sources from which they got the Indian currency;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a), (b), (c) and (d). Approximately Rs. 5,000 in Indian currency were recovered from one of the captured officers. According to the information given by the captured infilatrators, Pakistan authorities had given to each Company Commander Rs. 9,000 for purchase of rations etc., in Indian territory.

भारत में विज्ञापन

*441. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विज्ञापनों से अनुमानतः कुल वार्षिक आय कितनी है तथा इस राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिकांश व्यापार पूर्णतः विदेशी कम्पनियों के हाथ में है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या पिछले सत्र में इस मामले के उठाये जाने के बाद किसी और विदेशी सहयोग के लिये मंजूरी दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भारत में कुल कितने रुपये के विज्ञापन प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, इसकी प्रामाणिक सूचना नहीं है। परन्तु गैर-सरकारी अनुमान है कि यह 30 करोड़ रु० है। इसकी तफ़सील नहीं मालूम।

(ख) पता चलता है कि, पूर्णतः विदेशी विज्ञापन एजन्सियों के हाथ में जो काम है, वह देश में कुल विज्ञापनों का लगभग 40 प्रतिशत है।

(ग) सरकार चाहती है कि भारतीय विज्ञापन एजन्सियों की बढ़ती हो।

(घ) जी, नहीं।

चीनी परमाणु आक्रमण का खतरा

*442. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री दलजित सिंह :
श्री साधू राम :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर संभावित चीनी परमाणु आक्रमण का सामना करने के लिये सरकार कोई राजनयिक तथा सनिक उपाय कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख): चीन द्वारा आणविक हथियारों की क्षमता प्राप्त कर लेने से अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो गंभीर खतरा पैदा हुआ है उसकी ओर सरकार ने ध्यान दिलाया है और यह प्रस्ताव किया है कि ऐसे विश्वसनीय प्रबन्ध किए जाने चाहिये जिनसे उन सभी देशों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाये जिन्हें आणविक युद्ध का खतरा है ताकि आणविक हथियारों का उत्पादन आगे रोका जा सके। भारत की सुरक्षा को दृष्टि में रखकर चीन से आणविक खतरे के संभावित प्रभावों पर बराबर निगाह रखी जा रही है।

बर्मा में भारतीयों की अस्तियां

*443. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम हरख यादव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में बर्मा से आने वाले भारतीयों को मुआवज़ा दिलाने के प्रश्न पर बातचीत करने के लिये अगस्त, 1965 के दूसरे सप्ताह में एक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल रंगून भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने 10 से 14 अगस्त 1965 तक रंगून की यात्रा की।

(ख) उस शिष्टमंडल ने बर्मा में भारतीय राष्ट्रिकों की परिसंपत्ति की समस्या पर बर्मी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। यह उस बातचीत के सिलसिले में थी जो दोनों सरकारों के बीच चली आ रही है।

पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने का समझौता

*444. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने प्रधान मंत्री की भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध न करने के समझौते की पेशकश को नामंजूर कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने कई बार पाकिस्तान से युद्ध न करने की संधि के बारे में पेशकश की है लेकिन इसे निरंतर अस्वीकार कर दिया गया है। जैसा कि हाल की घटनाओं से पता चलता है, पाकिस्तान ने जान-बूझकर आक्रमण का रास्ता अपनाया है। इसके कारण जो स्थिति पैदा हुई उसका प्रभावकारी ढंग से मुकाबला किया जा रहा है।

Indian Publicity Officers in Foreign Countries

*445. **Shri Hukam Chand Kacchavaiya:**
Shri Bade :
Shri Onkar Singh :
Shri Omkar Lal Berwa :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Sivamurthi Swamy :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian publicity officers posted in foreign countries propagate in favour of Pakistan;

(b) if so, whether any investigation has been made in the matter; and

(c) the results thereof and, if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir.

(b) and (c): Do not arise.

मलयेशिया से सिंगापुर का अलग होना

*446. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर मलयेशिया संघ से अलग हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मलयेशिया सरकार और/अथवा सिंगापुर सरकार ने अलग होने के कारणों के बारे में सरकार को कोई सूचना दी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 9 अगस्त, 1965 को सिंगापुर मलयेशियाई संघ से अलग हो गया और एक स्वाधीन राज्य बन गया।

(ख) मलयेशिया तथा सिंगापुर, दोनों की सरकारों ने भारत सरकार को सूचित कर दिया है कि अलगाव आपस की रज़ामंदी से हुआ।

भारतीय वायु सेना फ्लाईंग लेफ्टिनेन्ट सिक्का

*447. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारतीय वायु सेना के फ्लाईंग लेफ्टिनेन्ट सिक्का को भारत को लौटा दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सरकार ने बताया था कि श्री सिक्का इतने बीमार हैं कि वह चल नहीं सकत;

(ग) क्या सरकार ने फ्लाईंग लेफ्टिनेन्ट सिक्का की बीमारी के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करने के लिये भारत को सुविधा देने से इन्कार करने के बारे में पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) अफसर को स्ट्रेचर पर स्वदेश लाया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश प्रचार

*448. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री बागड़ी :**
श्री रघुनाथ सिंह : **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार मंत्री ने अपनी हाल की विदेश यात्रा के बाद बताया कि भारत की विदेश प्रचार व्यवस्था अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) बताया जाता है कि संचार मंत्री ने यह कहा है कि "विदेशों में भारतीय प्रचार-व्यवस्था कमज़ोर है"।

(ख) विदेशों में अपने प्रचार कार्य में सुधार करन के प्रश्न पर बराबर निगाह रखी जाती है और जहां सम्भव होता है आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

औद्योगिक टूल्स संकल्प का उल्लंघन

1525. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कन्नन देवन कम्पनी, मुन्नर (केरल) ने औद्योगिक टूल्स संकल्प का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावदन प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु केरल सरकार द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कम्पनी ऐच्छिक पंच-फैसले द्वारा, जैसा कि औद्योगिक शान्ति संकल्प में परिकल्पित है, विवादों का निपटारा करने के लिये अनिच्छुक थी ।

(ख) इस मामले पर राज्य कार्यान्विति और मूल्यांकन समिति तथा बागान मजदूर समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

केरल में रबड़, चाय और काफी बागानों के श्रमिकों के वेतन

1526. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में रबड़, चाय और काफी बागानों के श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी में 1952 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) केरल के चाय और रबड़ बागानों के श्रमिकों की मजूरी की न्यूनतम दरों में 1-3-1965 से संशोधन कर दिया गया है । काफी बागानों के श्रमिकों की मजूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन का प्रश्न केरल सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में बीड़ी तथा सिगार उद्योग

1527. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बीड़ी तथा सिगार उद्योग में मालिक लोग वह महंगाई भत्ता देना नहीं चाहते जिसकी उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक संबंध समिति ने सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो सिफारिश को त्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को मजदूरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) केरल में इस उद्योग में कितने मजदूर काम कर रहे हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) कैन्नोर जिला (केरल) में बीड़ी और सिगार उद्योगों के कुछ प्रबंधकों ने उद्योग की औद्योगिक संबंध समिति द्वारा की गई महंगाई भत्ते से संबंधित सिफ़ारिशों को पूर्ण रूप से त्रियान्वित नहीं किया ।

(ख) बीड़ी और सिगार उद्योग संबंधी औद्योगिक संबंध समिति ने इस प्रश्न की जांच करने और समस्या को हल करने के लिये संबंधित पक्षों के साथ बात करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की थी। इस उप-समिति ने नियोजकों और कामगारों के प्रतिनिधियों से इस मामले में विचार-विमर्श किया लेकिन कोई समझौता न हो सका। केरल सरकार के जिला श्रम अफ़सर, केन्नोर अब आपसी समझौता कराने के लिये इस मामले पर आगे बात-चीत कर रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) लगभग 1,30,000।

ट्यूनिशिया के साथ आर्थिक सहयोग

1528. **श्री राम हरख यादव :**
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सरकार ने ट्यूनिशिया सरकार के साथ कोई ऐसा करार किया है कि दोनों देश तकनीकी, आर्थिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग देंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस करार का स्वरूप तथा शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। ट्यूनीशिया सरकार और भारत सरकार के बीच मित्रता तथा तकनीकी, आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग के एक करार पर 24 जून, 1965 को हस्ताक्षर हुये थे।

(ख) इस करार की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०/4762/65।**]

Acquisition of Land for Road Construction

1529. **Shri Hem Raj :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the Border Roads Organisation had acquired agricultural lands in Eleyu, Shanag and Chachog villages in Kulu Valley in 1964;

(b) if so, whether compensation was paid for these lands to their owners;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the amount of compensation due to them and the time by which it is likely to be paid ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, land has been acquired at Eleyu, Shanag and Chachog villages in Kulu valley for Border Roads Construction.

(b), (c) and (d): In view of the reply to (a) above, these questions do not arise.

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में के उपक्रमों में उपभोक्ता स्टोर

1530. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **श्रम** तथा **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे कितने उपक्रमों में उपभोक्ता स्टोर खोले गये हैं जिनसे 300 से अधिक मज़दूर काम करते हैं;

(ख) कितने उपक्रमों में ये स्टोर अभी तक नहीं खोले गये हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) एक विवरण, जिसमें निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्यवार और सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में मंत्रालयवार स्थिति दर्शाई गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा जाता है। देखिय संख्या एल० टी–4763/65 ।]**

(ख) 1479 ।

(ग) कुछ नियोजकों द्वारा स्थान, वित्त और माल की नियमित सप्लाई प्राप्त करने के बारे में कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। यह भी प्रतीत होगा कि कुछ दोषी नियोजकों ने योजना को यथेष्ट प्राथमिकता नहीं दी है।

खेतीहार मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी

1531. श्री अ० क० गोपालन : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में खेतिहार मज़दूर की किन श्रेणियों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू होता है;

(ख) अधिनियम लागू करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) गत वर्ष अधिनियम का पालन न करने के कितने मामलों की सरकार को सूचना मिली;

(घ) अधिनियम का पालन न करने के लिये गत वर्ष कितने मुकदमें चलाये गये;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम को अन्य कृषि-कार्यों पर लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो वे क्या है ?

श्रम ओर रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (च) : अपेक्षित सूचना केरल सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

ब्रिटिश स्वयंसेवक

1532. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के निमंत्रण पर बडी संख्या में ब्रिटिश स्वयंसेवक अनेक परियोजनाओं में काम करने के लिये भारत आये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे भारत में कितने समय तक ठहरेंगे ?

वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ब्रिटिश वालन्टरी सर्विस ओवरसीज़ प्रोग्राम 1965-66 के अंतर्गत 51 स्वयंसेवक (वालन्टियर) भारत आए हैं; ये भारत सरकार के नियंत्रण पर नहीं आए।

(ख) इन स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओं में 25 स्नातक (ग्रेजुएट) हैं और 26 हाई स्कूल पास। ये लोग यहां अंशतः अनुभव प्राप्त करन के लिये और अंशतः स्कली अध्यापन में सहायता करने के लिये आए हैं।

(ग) स्नातक दो वर्ष के लिये आए है और हाई स्कूल पास एक वर्ष के लिए।

केरल में डाक और तार कर्मचारियों क लिये क्वार्टर

1533. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में डाक और तार विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं;

(ख) दस वर्ष की सेवा के बाद भी जिन कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं मिले हैं उनकी संख्या क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 642।

(ख) 4110।

(ग) उपलब्ध जमीन पर अनेक स्थानों पर क्वार्टर बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। निम्नलिखित स्थानों पर जमीन प्राप्त करने के प्रस्तावों को स्वीकृति द दी गई है–

1. एर्नाकुलम
2. कोट्टायम
3. कन्नानूर
4. त्रिवेन्द्रम
5. अलप्पे
6. कोझीकोडे
7. त्रिचूर

राष्ट्रमण्डल सचिवालय तथा राष्ट्रमण्डल प्रतिष्ठान

1534. **श्री हेमराज** : क्या वदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रमण्डल सचिवालय तथा राष्ट्रमण्डल प्रतिष्ठान के लिये अंशदान के रूप में भारत को कितना पैसा देना होगा ?

वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत सचिवालय (सेक्रटेरियट) के खर्च का 11.4 प्रतिशत और फाउंडशन के खर्च का 8.1 प्रतिशत देग जो कि एक साल में कुल मिलाकर लगभग 30,000 पौंड होगा।

A. I. R. News Bulletins

1535. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdav Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All-India Radio proposes to start a five-minute news bulletin in Hindi preceding the 06·40 hrs. English bulletin;

(b) whether the question of broadcasting Hindi news bulletin in the night is also under consideration of the A. I. R.; and

(c) if so, when it is likely to be introduced ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). Yes Sir, a five minute Hindi News bulletin at 6·35 A.M. was introduced from the 29th August, 1965. It has been decided to start another Hindi news bulletin at 10·35 P.M. from the 26th September, 1965 for the same duration.

Smuggling of Indian Goods to Tibet

1536. Shri Bibhuti Mishra : **Shri D. D. Puri :**
Shri K. N. Tiwary : **Shri Madhu Limaye :**
Shri Sarjoo Pandey : **Shri Bagri :**
Dr. Mahadeva Prasad :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian goods are being smuggled into Tibet;

(b) If so, whether this has started after the Chinese attack; and

(c) the measures taken by Government to check it ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Export of goods from India to Tibet has been banned *vide* Government of India's notification No. 15/4/51-EI, dated 15-12-1962. The Government of India has, however, seen occasional reports of smuggling of certain categories of Indian goods into Tibet either directly or through Nepal.

(b) Some smuggling was noticed immediately after the regular trade between India and Tibet came to a stop after the expiry of the India-China Treaty of 1964 on June 3, 1962. No noticeable increase has taken place since China's massive aggression of October 1962.

(c) A series of measures like increasing the number of checkposts, intensifying patrolling and confiscation of smuggled goods by customs authorities etc. have been taken to prevent smuggling activities across the border. At the instance of the Government of India the Nepal Government has also issued several notifications during 1962-63 banning the re-export of goods imported from India into Nepal.

केन्द्रीय मंत्रियों की आस्तियां

1537. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रधान मंत्री** 31, मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 661 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रियों की आस्तियों संबंधी घोषणाओं में से किसी से यह पता लगता है कि उसकी आस्तियों और आय में भारी अन्तर है;

(ख) क्या किसी मामल में आस्तियों की अपेक्षा दायित्व अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित मामलों में कोई जांच या कार्यवाही आरंभ की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा घोषित अस्तियां केवल उनके मंत्रीपद की अवधि के समय की ही नहीं हैं, अपितु मंत्री बनने से पूर्व जो आस्तियां उन्होंने प्राप्त की थीं वह भी शामिल हैं। इसलिये इन आस्तियों की तुलना उनकी मंत्री पद की अवधि के समय की आय से करना अवास्तविक होगा।

(ख) नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेश मंत्री की विदेश यात्रा

1538. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री गुलशन :
श्री मणियंगाडन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने पिछले तीन महीनों में अलजीयर्स में अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन के अवसर पर किन देशों की यात्रा की; और

(ख) उन्होंने किन प्रश्नों पर इन देशों को भारतीय दृष्टिकोण समझाया तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) विदेश मंत्री ने कीनिया, उगांडा, इथियोपिया और संयुक्त अरब गणराज्य की यात्रा की।

(ख) इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था इन देशों और भारत के बीच सद्भाव और सहयोग की भावना बढ़ाना और आम हित के मामलों पर विचार-विनिमय करना। उपनिवेशवाद, जातिगत संघर्ष, निरस्त्रीकरण तथा संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया, विशेषकर अफ्रो-एशियाई सम्मेलन के संदर्भ में। अफ्रीका में भारतीय समुदाय की भूमिका पर भी विचार किया गया।

हमारे विदेश मंत्री ने इन विभिन्न मसलों पर भारत का पक्ष स्पष्ट किया। अफ्रो-एशियाई सम्मेलन के सिलसिले में उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का रचनात्मक समाधान खोजना; दुतरफ़ा झगड़ों को इसके दायिरे से बाहर रखना; और इसके प्रतिनिधायी स्वरूप का सुनिश्चय करना, बिना इस ओर ध्यान दिए कि उसके सदस्य देशों के सामाजिक और राजनीतिक तंत्रों में अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे विदेश मंत्री ने यह पाया कि इन देशों में बहुत सी बातें भारत की सी हैं और उनके दृष्टिकोणों में भी साम्य है।

मरमागोआ बन्दरगाह

1539. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खान :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक अशांति के कारणों का पता लगाने और मरमागोआ बन्दरगाह के मालिकों और मज़दूरों के बीच औद्योगिक संबंधों में सुधार करने के उद्देश्य से अपनाये जाने वाले उपचारी, उपाय सुझाने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त जांच अदालत ने कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह अपना प्रतिवेदन कब देगी ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रधान अधिष्ठाता ने 2 सितम्बर 1965 को बम्बई में सुनवाई निश्चित की है और उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है ।

'आर्डनेंस कोर' में लोअर डिविजन क्लर्क

1540. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 22 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1344 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सैनिक 'आर्डनेंस कोर' के लोअर डिविजन क्लर्कों को केन्द्रीय रोस्टर पर लाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मामला अभी निरीक्षणाधीन है ।

मृत सैनिकों की पेंशन

1541. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **रक्षा** मंत्री 29 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 619 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेपाल में रहने वाले सभी 350 हताधिकारियों के पेंशन के मामले इस बीच निबटाये जा चुके हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जी नहीं । अब तक 150 मामलों का फैसला हो चुका है; और शेष मामलों को यथासंभव शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

भारतीय विदेश सेवा में सूचना अधिकारी

1542. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 29 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 618 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि भारतीय विदेश सेवा में ऐसे कितने सूचना अधिकारी हैं जिन्हें न तो पत्रकारिता का कोई अनुभव है और न ही उन्होंने कभी किसी समाचारपत्र अथवा प्रचार संस्था में काम किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारतीय विदेश सेवा में कोई सूचना अधिकारी नहीं हैं । बहरहाल, मुख्यालय में और विदेशों में जो प्रचार केन्द्र हैं उन सभी में भारतीय विदेश सेवा क/ख और भारतीय सूचना सेवा के सदस्य काम करते हैं । कुल 75 प्रचार केन्द्रों में से 53 में भारतीय सूचना सेवा के सदस्य है और शेष 22 केन्द्रों में भारतीय विदेश सेवा क/ख के सदस्य है । प्रचार में कुल मिलाकर जो 75 अधिकारी हैं, उनमें से 37 को पहले पत्रकारिता का कोई अनुभव नहीं था ।

एशियाई और अफ्रीकी देशों में आकाशवाणी के संवाददाता

1543. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई और अफ्रीकी देशों में आकाशवाणी का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्णकालिक संवाददाताओं की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये किन किन देशों को चुना गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) फ़िलहाल दो संवाददाताओं को विदेश में तैनात करने का प्रस्ताव है। एक अफ्रीका और पश्चिमी एशिया की खबरों के लिये काहिरा में तैनात होगा और दूसरा दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की खबरों के लिये हांगकांग में ।

Financial Aid for Nepal

1544. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Nepal Government have requested the Government of India for additional financial assistance for the establishment of a college and further development of small scale industries in Nepal; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The request is under consideration of the Government of India. Indian Specialists are being deputed to Nepal to investigate the Possibilities of establishing a Medical College and the further development of Small-Scale Industries in that Country.

अमरीका और रूस में भारतीय दूतावास

1545. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका और रूस स्थित भारतीय दूतावासों में 1959-60 से 1964-65 तक (30 जून, 1965 तक) कितने कर्मचारी थे;

(ख) क्या कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है तथा उससे क्या परिणाम निकला; और

(घ) उक्त अवधि में कितना वार्षिक व्यय हुआ ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वाशिंगटन और मास्को में भारत के राजदूतावासों में काम करने वाले कर्मचारियों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	वाशिंगटन	मास्को
1959-60	87	29
1960-61	93	29
1961-62	94	30
1962-63	95	34
1963-64	93	33
1964-65	94	49
1965-66 (30 जून, 1965 तक)	100	45

(ख) सभी स्थायी और अस्थायी पदों की प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है और केवल उन्हीं पदों को अगले वर्ष के लिये जारी रखा जाता है जो काम के भार के आधार पर जायज़ ठहरती है।

(ग) हाल के वर्षों में वाशिंगटन और मास्को-स्थित हमारे राजदूतावासों की गतिविधियों बहुत बढ़ गई है। इसलिये कर्मचारियों की संख्या कम नहीं की जा सकी है।

(घ) वार्षिक खर्च के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	वाशिंगटन	मास्को
	(रूपयों में)	(रूपयों में)
1959-60	34,03,176	8,36,301
1960-61	37,90,043	10,08,900
1961-62	37,45,937	12,54,471
1962-63	40,72,367	13,36,896
1963-64	43,46,994	15,09,182
1964-65	41,87,717	16,96,398
1965-66 (30 जून, 1965 तक)	18,72,644	4,05,225

Explosion in Army Medical Corps Centre, Lucknow

1546. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a hand-grenade exploded at Army Medical Corps Centre (North), Lucknow during May, 1965 as a result of which an Instructor was killed and some trainees were injured;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the action being taken in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Two grenades exploded on 10th May, and 22nd May 1965, at Kukrail Grenade throwing range, Lucknow, where recruits of the A.M.C. Centre (North), Lucknow, were carrying out grenade throwing practice as per their training programme. In the first explosion, one trainee was injured while the second explosion resulted in the death of an N.C.O. Instructor and injuries to a J.C.O. Instructor and a trainee.

(b) and (c). A court of inquiry is in progress and further action will be taken on the results of the proceedings.

संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से बिना तार का सम्पर्क

1547. श्री हेडा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्राधिकारियों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय तथा नई दिल्ली के बीच बिना तार का संचार सम्पर्क स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार इस प्रबंध पर कोई खर्च नहीं करेगी क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है।

ब्रिटेन में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की मृत्यु

1548. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 26 अप्रैल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2608 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस विमान दुर्घटना की जिसमें भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की मृत्यु हुई थी, जांच अदालत द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट अब ब्रिटेन की सरकार से प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) यू० के० सरकार द्वारा स्थापित कोर्ट आफ इन्क्वायरी के अनुसार उड़ान सम्यक् अधिकृत थी, और संबंधित सभी आदेशों का पालन किया गया था। दुर्घटना का मुख्य कारण था बैरोमीटरी दाब नियन्त्रण में खराबी के कारण सीधे हाथ के इंजन की शक्ति का ह्रास। सहायक कारण था, बहुसंख्यक इंजनों वाले, विमान को चलाने के, सीमित अभ्यास के कारण, विमान चालक का उसे, काबू में न रख पाना। विमान से बच निकलने की सुविधाओं का प्रयोग नहीं किया गया था।

बैरोमीटरी दाब नियन्त्रण में कोई फालतू चीज़ सीधे हाथ के इंजन में शक्ति के ह्रास का कारण बनी थी। तदपि तकनीकी निरीक्षण में त्रुटि, अथवा सेवा में त्रुटि का कोई उदाहरण नहीं मिला था।

Accident in Domalur Mine (Mysore)

1549. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 11 workers were buried alive when a portion of the mine collapsed while working in a mine at Domalur in Bangalore;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether any compensation has been paid by Government to the families of the deceased workers; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Labour and Employment (Shri Sanjivayya) : (a) and (b). There is no mine at Domalur, and the accident referred to is not a mining accident. The accident occurred in Domalur lay-out within Bangalore Corporation limits. 18 casual labourers were engaged in digging and removing earth at the foot of an excavation made for levelling the ground to prepare house-sites when the side of the excavation collapsed. The persons including a child, 4 years old, were killed instantaneously and 3 injured, of whom two succumbed to the injuries after two days.

(c) and (d). It is understood that a sum of Rs. 20 each towards funeral expenses was paid by the City Improvement Trust and the dependents of eight victims also received Rs. 500 each from the Chief Minister's Distress Relief Fund. One victim left no dependents, and the position is being ascertained by the local authorities regarding the dependents of three other victims.

Unused Land in U. P.

1550. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some cultivable land has been lying unused for years in some Western Districts of U. P. specially Meerut, Moradabad, Bareilly, Bulandshahr, Aligarh, Agra, Saharanpur, Dehradun, Rampur and Nainital and it is not being utilised for military purposes or for cultivation;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the acreage of such unused land, district-wise; and

(d) whether Government propose to give this land on lease to cultivators ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). No land in the districts mentioned is lying unused. However, an area of about 54·77 acres in Meerut District was lying unutilised until recently as there was no demand for the same. The same has since been leased out.

(d) Does not arise.

Flying Accident in Eastern Sector

1551. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Brij Raj Singh : Shri Bade : Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether an enquiry has been held on the death of a pilot officer in a plane crash in the Eastern Sector on the 15th June, 1965; and

(b) if so, the findings thereof ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the findings of the Court of Inquiry, the aircraft was fully serviceable and correctly loaded. The pilot was competent to carry out the flight and was correctly briefed and authorised. The primary cause of the accident could not be determined but the ultimate cause of the accident was rapid opening of the throttle causing the engine to flame-out at a low speed and at low height. The Court has not held any person directly or indirectly responsible for the accident.

कपूरथला में सैनिक स्कूल

1552. श्री दलजीत सिंह : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपूरथला में सैनिक स्कूल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के दाखले के लिये कितना कोटा सुरक्षित किया गया है; और

(ख) उक्त सैनिक स्कूल में 1963-64 और 1964-65 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने उम्मीदवारों को दाखिल किया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत में सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों और कबीलों के लिए कोई कोटा नियत नहीं है। तदपि अनुसूचित जातियों। कबिलों के उम्मीदवारों को प्रवेश के लिये विशेष सुविधा दी जाती है, कि चाहे अर्हतासूची में उनका कोई भी स्थान हो उन्हे उत्तीर्णता के लिये पर्याप्त अंक प्राप्त होने पर ही प्रविष्ट कर लिया जाता है।

(ख) एक भी नहीं, क्योंकि प्रविष्टि परीक्षा में कोई उत्तीर्ण नहीं हुआ।

पंचायत समिति कार्यालय

1553. श्री दलजीत सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में कितने पंचायत समिति कार्यालयों में अभी तक तार तथा टेलीफोन की व्यवस्था नहीं की गई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : पंचायत समिति कार्यालयों वाले 51 स्थानों पर तार-सुविधाएं नहीं दी गई हैं और ऐसे ही 46 स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं (सार्वजनिक टेलीफोन घर) नहीं दी गई हैं।

पंजाब में बेरोजगार लोग

1554. श्री दलजीत सिंह : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1965 तक पंजाब के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितने बेरोज़गार व्यक्तियों के नाम पंजीबद्ध थे;

(ख) उनमें मैट्रिक से अधिक योग्यता वाले कितने व्यक्ति थे; और

(ग) उनमें शिक्षित महिलाओं की कितनी संख्या थी ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 1,01,785।

(ख) 35,682।

(ग) 8,525।

पंजाब में डाकघरों का स्तर ऊंचा किया जाना

1555. श्री दलजीत सिंह : क्या **संचार** मंत्री 10 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 3370 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाकघरों का स्तर ऊंचा करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है तथा पंजाब के पिछड़े हुअे पहाड़ी क्षेत्रों में डाकघरों का स्तर ऊंचा करने के लिये क्या विशेष रियायत दी जाती है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : शाखा डाकघरों, अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों तथा उप डाकघरों को पदोन्नत करने के लिये निम्नलिखित मानदंड अपनाये जाते हैं:—

(क) यदि शाखा डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों में कम से कम पांच घंटे का काम हो, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें पदोन्नत करने के कारण विभाग को वार्षिक 500 रु० से अधिक का घाटा न हो तो इन डाकघरों को विभागीय उप डाकघरों में पदोन्नत कर दिया जाता है।

(ख) प्रत्येक जिले में एक प्रधान डाकघर होना चाहिये बर्शते कि उसके साथ 20 उप डाकघरों को सम्बद्ध किया जा सके। अन्य मामलों में जब अपने मूल प्रधान डाकघर से (जिसका विभाजन होना है) सम्बद्ध रहने वाले उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो तो किसी एक उप डाकघर को पदोन्नत करके प्रधान डाकघर बना दिया जाता है। यह भी आवश्यक है कि इस परिवर्तन के परिणामस्वरुप पुराने और नये प्रधान डाकघरों में से प्रत्येक के अधीन कम से कम 20 उप डाकघर होने चाहिये। फिर भी, पिछड़े इलाकों और उन क्षेत्रों में जहां शाखा डाकघरों व उप डाकघरों को आर्थिक सहायता देने पर निश्चय ही सुधार होने की संभावना हो, वहां निचले स्तर के मानदंड अपनाये जा सकते हैं।

पंजाब के पिछड़े पहाड़ी इलाकों में स्थित डाकघरों को पदोन्नत करने में उपरोक्त मानदंडों को लागू किया जाएगा।

मोज़म्बीक से स्वदेश लौटाये गये भारतीय

1556. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 10 मई, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1252 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिज़बन स्थित मैक्सिको के मंत्री से, मोज़म्बीक से स्वदेश लौटाये गये भारतीयों द्वारा वहां पर छोड़ी गई कुल सम्पत्ति के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

भर्ती केन्द्र

1557. **श्री हेमराज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय स्थायी तथा अस्थायी राज्यवार कितने केन्द्र हैं;

(ख) पिछले वर्ष कितने केन्द्र बन्द किये गये;

(ग) क्या कांगड़ा जिले के हमीरपुर भर्ती केन्द्र को स्थायी बनाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी–4764/65।**]

(ख) भर्ती के 7 कार्यालय मई 1964 में बन्द कर दिये गए थे।

(ग) हमीरपुर में भर्ती कार्यालय की प्रस्तावित समाप्ति के विरूद्ध आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

(घ) अभी उस कार्यालय की समाप्ति स्थगित करने का तथा बाद में मामले पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया गया है।

दिल्ली-बैंगकाक रेडियो टेलीफोन सम्पर्क

1558. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-बैंगकाक रेडियो टेलीफोन सम्पर्क 21 जून, 1965 को आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसे पूरा करने पर क्या लागत आई है; और

(ग) ऐसे सम्पर्क किन किन देशों के साथ स्थापित किये जा चुके हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) यह सेवा उपलब्ध करने में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया क्योंकि इसे वर्तमान उपस्कर और कर्मचारियों का उपयोग करके ही आरंभ कर लिया गया है।

(ग) भारत से थाईलैण्ड समेत 26 देशों के लिये सीधी रेडियो-टेलीफोन सेवा उपलब्ध है इन देशों के नाम सभा पटल पर रखे गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी–4765।65।**]।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल की संख्या

1559. **श्री राम हरख यादव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय छात्र सेना दल की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि विश्वविद्यालयों ने सभी बालक विद्यार्थियों के लिये एन० सी० सी० प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है, चौथी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालयों में बढ़ती संख्या को खपाने के लिये वरिष्ट एन० सी० सी० डिवीज़न का प्रसार आवश्यक है। आशा है कि चतुर्थ योजना के अन्त पर प्रसार वर्तमान 11 लाख छात्रों से लगभग 15 लाख तक का होगा। चौथी योजना के अंत तक वरिष्ट तथा कनिष्ट एन० सी० सी० डिवीज़नों की जनशक्ति में समता की भी आशा है। आशा है कि कनिष्ट एन० सी० सी० डिवीज़न की जनशक्ति 6 लाख से बढ़ कर 15 लाख हो जाएगी।

(ग) सुझाव योजना आयोग के साथ वार्तालाप अधीन हैं। खर्चे का अनुमान लगभग 4919 लाख रुपये का है, जिस में से केन्द्रीय सरकार 3174 लाख रुपये का खर्च सहन करेगी और शेष राज्य सरकारें।

Illegal Occupation of Houses in Kotah

1560. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain cases of litigation regarding illegal occupation of houses on Station Road, Kotah (Rajasthan), which are in the military area are pending in Law courts;

(b) if so, the progress made so far; and

(c) the circumstances under which the house owners have been allowe d to occupy the houses ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Land measuring about 54 bighas in Kherli Prohitji and Dadwara on the Station Road Kotah, along with other lands came to the share of the Army in 1950 under the Federal Financial Integration Scheme. It was however later discovered that the City Improvement Trust, Kotah, had sold plots out of the land in question to private persons. The validity of the allotments made by the Improvement Trust is being examined in consultation with the Ministry of law.

Pak. Foreign Minister's Threat to an Indian Correspondent at a Press Confeference in Algiers

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Onkar Lal Berwa :
1561. Shri Ram Sewak : Shri P. G. Sen :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while addressing a Press Conference on the night of 27th June, 1965 in Algiers, Pakistan's Foreign Minister, Mr. Z. A. Bhutto threatened an Indian journalist to have him thrown out when he put a direct and categorical question;

(b) whether it is also a fact that the said journalist was invited to the Press Conference; and

(c) If so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. This is according to information obtained from the journalist concerned and other journalists who were present.

(b) The Press Conference was open to all correspondents.

(c) The threat of Pakistan Foreign Minister was disapproved by the Journalists and as such no further action by Government of India was considered necessary.

वेनिस में फिल्म समारोह

1562. श्री हेडा :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेनिस फिल्म समारोह में कितनी फिल्में भेजी गई है; और

(ख) फिल्म समारोह की प्रारम्भिक जांच समिति ने किन किन भारतीय फिल्मों को स्वीकार किया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 24 अगस्त, 1965 से 6 सितम्बर, 1965 तक वेनिस में होने वाले अन्तरर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में भारत सरकार ने निम्नलिखित तीन फ़ीचर फ़िल्में भेजी हैं :

(1) "का पुरुष" मैसर्स आर. डी० बी० एंड कम्पनी, कलकत्ता द्वारा निर्मित।

(2) "गीत गाया पत्थरों ने" मेसर्स वी० शांताराम प्रोडक्शन्स, बम्बई, द्वारा निर्मित।

(3) "अनुष्टुप छन्द" मेसर्स बी० के० प्रोडक्शन्स, कलकत्ता द्वारा निर्मित।

(ख) "का पुरुष" और "गीत गाया पत्थरोंने" इन दोनों फ़िल्मों को, प्रारंभिक चुनाव समिति के सामने, निर्माताओं ने भेजी थी, लकिन समिति ने केवल "का पुरुष" को ही प्रतियोगिता के लिये स्वीकार किया।

"डेकन हैराल्ड" द्वारा "इंडियन एक्सप्रैस" के विरुद्ध लेख याचिका

1563. श्री बासप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर उच्च न्यायालयों में "इण्डियन एक्सप्रेस" के विरुद्ध "डेकन हैरार्ल्ड" द्वारा फाइल की गई लेख याचिका में संघ सरकार को एक पक्ष बनाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार को पक्ष बनाने के क्या कारण हैं तथा क्या संघ सरकार ने कोई शपथपत्र फाइल किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां। मैसूर उच्च न्यायालय में, अंग्रेज़ी दैनिक "डेकन हैरार्ल्ड" और कन्नड दैनिक "प्रजावाणी" के प्रकाशक मैसर्स प्रिंटर्स मैसूर (प्राइवेट) लिमिटेड ने एक रिट की याचिका दी है। इसमें भारत संघ को भी एक मुद्दालेह बनया गया है।

(ख) याचिकादाताओं ने एक परमादेश या कोई और उपयुक्त रिट या आदेश या निदेश मांगा है, जिसमें भारत संघ, भारत के अखबारों के रजिस्ट्रार और मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात, नई दिल्ली, को इस बात से रोका जाए कि वे इंडियन एक्सप्रैस और संडे स्टैंडर्ड, बंगलोर के प्रकाशनार्थ अखबारी कागज़ या उसका कोटा दें, या किसी अन्य स्थान से प्रकाशित होने वाले इंडियन एक्सप्रैस आदि की दिए गए अखबारी कागज़ या इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। भारत सरकार की ओर से प्रति-शपथपत्र फाइल कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन

1564. **श्री मा० ल० जाधव :** **श्री तुलसीदास जाधव :**
श्री जेधे : **श्री कांबले :**
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में टेलीफोनों की बड़ी भारी मांग है;

(ख) क्या टेलीफोन तारों तथा अन्य सामान की कमी होने के कारण यह मांग पूरी नहीं की जाती; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों को टेलीफोन से जोड़ने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) सभी बड़े नगरों और सभी राज्यों में टेलीफोन कनेक्शनों की भारी मांग हैं।

(ख) आम तौर पर पर्याप्त साधनों की कमी के कारण मांगों की पूर्ति नहीं हो पाती। खासकर विभिन्न कारणों से मामले लटके रहते हैं—जैसे जमीन मिलने में देरी, इमारतों के निर्माण तथा तारों सहित उपस्कर व अन्य सामान आदि की कमी।

(ग) महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में 237 महत्वपूर्ण स्थानों पर जिसमें विकास खंड मुख्यालय व महाल शामिल हैं, टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं और इस तरह के अन्य स्थानों पर 38 दूरवर्ती सार्वजनिक टेलीफोन घर और खोलने की मंजूरी जारी की जा चुकी है।

जापानी राकेट विशेषज्ञ की भारत यात्रा

1565. **श्री सोलंकी :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जापानी राकेट विशेषज्ञ भारत आया था;

(ख) उसकी भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था; और

(ग) उसके साथ क्या बातचीत की गई ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) राकेट चलाने के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करने।

(ग) राकेट अनुसंधान और विकास ग्रुप और अन्तरीक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिक केन्द्र की स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर उससे विचार विमर्श किया गया था।

मंत्रियों की विदेश यात्रा

1566. **श्री बागड़ी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेश यात्रा पर जाने वाले मंत्रियों के लिये निश्चित आचरण नियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आचरण नियम बनाने से क्या उद्देश्य अभिप्रेत है;

(ग) क्या मंत्रीगण अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारत सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में अपनी निजी राय प्रकट कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह बात मंत्री परिषद् के संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) सरकार इसे आवश्यक नहीं समझती ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ): मंत्रीपरिषद् के संयुक्त उत्तरदायित्व को देखते हुए, मंत्री जब दौरे पर जाते हैं तो केवल सरकार की नीतियों का प्रचार करते हैं ।

भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों को विमान से भूमि पर गोली चलाने का प्रशिक्षण

1567. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों ने विमानचालकों की विमान से भूमि पर गोली चलाने का प्रशिक्षण देने के लिये एक सीमुलेटर तैयार किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जी, हां ।

उत्तर प्रदेश में आयुध कारखानों में समयोपरि भत्ते की बकाया राशि

1568. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में आयुध कारखानों के गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को 1 जून, 1961 से समयोपरि भत्ते की बकाया राशि अभी तक नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बकाया राशि का भुगतान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं । यदि इशारा 27-11-63 के आदेशों की ओर है, चूंकि यह आदेश भत्तों की गुंजाइश को बढ़ौती देते हैं, उनका स्वरूप स्पष्टीकरण का नहीं है । इसलिये, उन्हें 1-6-61 की पिछली तिथि से लागू करना संभव नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की निधियां

1570. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की बकाया राशि के प्रश्न पर भारतीय दृष्टिकोण का किसी अन्य देश ने भी समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : संयुक्तराष्ट्र महासभा के उन्नीसवें अधिवशन में इस बात पर मतैक्य था कि बक़ाया रक़म का सवाल स्वेच्छा अंशदान के तरीके से तय किया जाना चाहिये और महासभा का सामान्य कामकाज फिर शुरू हो जाना चाहिये ।

भारतीय राष्ट्रजनों के लिये पारगमन सुविधायें

1571. श्री किन्दल लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी भी भारतीय राष्ट्रजन को पाकिस्तान होकर सड़क अथवा रेल द्वारा अफगानिस्तान तक जाने के लिये पाकिस्तान सरकार द्वारा पारगमन सुविधायें नहीं दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चाय बागान के मजदूर

1572. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, तराई और दुआरस क्षेत्रों में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की इस शिकायत की ओर उनको न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अन्तर्गत निर्धारित महंगाई भत्ते के रूप में उनके वैध भत्ते नहीं दिये गये और परिणामस्वरूप उनके मालिकों के विरुद्ध उक्त क्षेत्रों में चाय बागान के मजदूरों ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया था; आकर्षित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है और पता चला है कि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

तकनीकी कर्मचारियों के लिये साहित्य का अभाव

1573. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि इंजीनियरों के लिये तो पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, परन्तु 'फिटर' 'रिगर्स' आदि अन्य सामान्य तकनीकी कारीगरों के लिये पुस्तिकाओं तथा प्रारम्भिक पाठ्य-पुस्तकों की कमी है;

(ख) क्या इस्पात कारखाने तथा अन्य बड़ी इंजीनियरी परियोजनाओं के निर्माण के समय या अब हो रहे निर्माण में इस तरह की कठिनाई अनुभव की गई है; और

(ग) क्या इस कमी को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है तथा क्या निर्माणाधीन अथवा भविष्य में बनाई जाने वाली परियोजनाओं में तकनीकी काम करने वाले हमारे कारीगरों की आवश्यकता पुरी करने का काम किस एजेंसी या एजेन्सियों को सौंपा गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के अधीन काम सीखने वालों को पढ़ाते समय कक्षा में 'नोट्स' दिये जाते हैं ।

चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में भारतीय क्षेत्र

1574. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में भारत का कुल कितना और कौन सा क्षेत्र है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : चीन ने लद्दाख में जिस भारतीय प्रदेश पर गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है उसका क्षेत्रफल लगभग 14,500 वर्गमील है ।

पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर में जिस भारतीय प्रदेश पर गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है उसका क्षेत्रफल लगभग 32,500 वर्गमील है ।

न्यू केन्डा कोयला खान (पश्चिम बंगाल) में दुर्घटना

1575. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1965 में न्यू केन्डा कोयला खान (पश्चिम बंगाल) में दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए;

(ग) दुर्घटना का स्वरूप क्या था;

(घ) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) तीन व्यक्ति मरे और दो घायल हुए ।

(ग) जब शौर्ट फायरर अपने सहायक के साथ शौर्ट-होल्स में बारूद को आग लगा रहा था और दो ड्रिलर्स प्रतीक्षा में उसके पीछे खड़े थे तथा दो लोडर मशीन से किये गये छेद को सामने की तरफ साफ कर रहे थे, तब कोयले की छत जिसकी लम्बाई चौड़ाई 6 मीटर गुणा 5.4 मीटर और मोटाई 0.7 मीटर थी, 2.1 मीटर की ऊंचाई से अचानक गिर गई जिसमें शौर्ट फायर और उसके सहायक को सख्त चोटें आई और दो ड्रिलर्स और एक लोडर की मृत्यु हो गई । दूसरे लोडर को कोई चोट नहीं आई ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) अपघात ।

डाकघर बचत बैंक खाते

1576. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों के बचत बैंकों में धन जमा करने वाले लोगों के 44 लाख खाते, जिनकी पूंजी 11 करोड़ रुपये की है, ऐसे हैं जिनमें छः वर्ष से अधिक समय से कोई राशि न तो जमा कराई गई है और न ही निकलवाई गई है; और;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि जप्त कर ली जायेगी अथवा ये खाते बन्द कर दिये जायेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां।

(ख) जी नही। सरकार का इन दोनों में से कोई भी कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। रक़म सरकार द्वारा जप्त नहीं की जाती बल्कि जब जमाकर्ता या उसका उत्तराधिकारी उसके लिये आवेदन करता है तो ब्याज सहित इन लेखाओं की रक़म अदा कर दी जाती है।

लन्दन में भारतीय विद्यार्थी पर प्रहार

1577. **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री लक्ष्मी दास :
श्री कोल्ला वेंकैय्या :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जुलाई में लन्दन में गोरे नवयुवकों के एक दल ने एक भारतीय विद्यार्थी, कुमार राय, पर हमला किया तथा उसकी टाईप की मशीन छीन ली; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) श्री मिहिर कुमार राय ने इस मामले की ओर भारत के हाई कमिश्नर का ध्यान दिला दिया है।

(ख) हमारे हाई कमीशन ने लंदन पुलिस से संपर्क स्थापित किया। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस अभी इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

छिपे नागा

1578. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष में इससे पहले जो 1700 छिपे हुए नागा हथियार प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान गये थे, उनमें से अधिकतर नागा लोग नागालैंड में लौट आये हैं, और वे अपने हथियार बर्मा में बड़ी मात्रा में छोड़ आये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बर्मा सरकार को उनके क्षेत्र में हथियारों के जमा किए जाने के बारे में सूचित कर दिया गया है;

(ग) क्या छिपे हुए नागाओं ने नागालैंड में बलात कर वसूल किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) रिपोर्ट मिली थी कि 1500 नागाओं का एक दल पूर्वी पाकिस्तान से प्रशिक्षण और वहां से हथियार लेने को जाने के लिये, बर्मी इलाके के सोमरा क्षेत्र में पहुंच गया था। असमर्थित रिपोर्टों के अनुसार इस दल में से छोटी छोटी टुकड़ियां नागालैंड में अर्थात् मणिपुर के उखरूल उपविभाग में दाखिल हो चुकी हैं। दल के शेष सदस्य शायद छोटी छोटी टुकड़ियों में बट कर मणिपुर में दाखिल होने की योजना बना रहे हैं, और माजीपुर के क्षेत्रों में अशान्ति फैलाने की भी, जो युद्धविराम समझौते से बाहिर है। सुरक्षा सेनाएं इस स्थिति से अवगत हैं, और इसकी रोक थाम के लिये विभिन्न उपाय कर रही हैं।

(ख) बर्मा सरकार अपने इलाके में सशस्त्र नागा दलों की उपस्थिति से अवगत है।

(ग) करों और चन्दे के तौर विद्रोही नागाओं द्वारा धन इकट्ठा करने के उदाहरण हैं।

(घ) जब भी अपकर्षण और बलात् धन इकट्ठा किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, जन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिये, नागा सरकार, विधि के अन्तर्गत, कार्यवाही कर रही है।

Black Marketing in Newsprint

1579. Shri Sidheswar Prasad : Will the Minister of **Information** and **broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that newspapers and magazines which have not been granted newsprint quota are being published;

(b) if so, whether Government have found out the sources from which such publications get newsprint ; and

(c) the steps taken to check black-marketing in newsprint ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) By and large, these newspapers and periodicals do not use newsprint but other indigenous paper available in the market.

(c) In allotting newsprint, a strict scrutiny of the circulation, periodicity, size, etc., which constitute the basis of newsprint allocation, is carried out to prevent any recipient from getting an excess quantity which might find its way to the market for unauthorised sales.

छावनी निधि कर्मचारी नियम

1580. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी-निधि कर्मचारी नियम, 1937 के प्रारूप संशोधन अक्तूबर, 1964 में प्रकाशित किये गये थे और अभी तक इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक अन्तिम रूप दे देने का विचार करती है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) बद्धहित पक्षों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों की अधिक संख्या पर अन्य संबंधित मन्त्रालयों अर्थात श्रम तथा रोजगार, गृहकार्य तथा विधि से मन्त्रणा सहित विस्तृत विचार करना आवश्यक था। मन्त्रणा प्रगतिशील है और आशा है कि छावनी फंड कर्मचारी नियमों 1937 के संशोधनों के प्रारूपों को निकट भविष्य में अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

Acquisition of land in Nasik for Mig Factory

1581. Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the steps taken for the rehabilitation of persons whose lands have been acquired in Nasik for the setting up of a factory for the manufacture of MIG planes ; and

(b) whether the local people belonging to Ozar will get precedence in the matter of training and employment ?

The Minister of Defence Production (Shri A. M. Thomas): (a) Special training courses are being run for the boys of affected families to prepare them for technical posts in the aircraft factory. Efforts are also being made to absorb as many persons as possible in posts which do not require technical training.

(b) The persons whose lands have been acquired in Nasik for the setting up of the factory get precedence in the matter of training and employment.

Factories in Bhutan

1582. Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any proposal for opening of certain factories in Bhutan with the assistance of Central Government is under consideration; and

(b) if so, the nature of the assistance sought for by the Bhutan Government ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) No, Sir ; there is no definite proposal.

(b) The Government of Bhutan are trying to interest reputable Indian enterprises to set up suitable industries in Bhutan, such as Cement and Matches. Government of India will sympathetically consider request for any assistance that the Government of Bhutan may require from them.

Bombay Telephone System

1583. Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the increasing defects in the telephone system in Bombay area and the complaints being made by the telephone users against it; and

(b) if so, the steps being taken to remove the defects ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati): (a) On the onset of monsoons this year there were failures of some underground cables in June & July when a number of telephones were affected. Apart from dislocation as a result of these cable breakdowns there has been no increase in faults and complaints during the recent past.

(b) A thorough overhaul of the cable system would be undertaken after monsoons when some old cables would also be replaced. Efforts are also being made to improve telephone service in Bombay to the extent possible within the available resource by replacement of old equipment by new equipment, opening of new exchanges using modern type of equipment, expansion of existing exchanges, etc.

दिल्ली में डाकघर

1584. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अनेक डाकघर टूटी-फूटी इमारतों में काम करते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के बहुत से डाकघरों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के बहुत से डाकखानों में पूरा सामान नहीं है और कर्मचारी भी पूरे नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के डाकघरों की व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) यह सच है कि दिल्ली में कुछ डाकघर उपयुक्त स्थान मिलने में होने वाली भारी कठिनाई के कारण कुछ हद तक टूटी-फूटी इमारतों में काम कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जहां कहीं संभव है किराये पर अच्छी इमारतें लेने अ वा विभागीय इमारतें बनाने के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Travelling Concession to Troops in Forward Areas

1585. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to grant travelling concession to the troops stationed in the forward areas;

(b) if so, the broad outlines of the scheme;

(c) whether the concession will also be extended to Officers ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) to (d) : Travelling concessions to Officers as well as Junior Commissioned Officers and Other Ranks stationed in forward areas are admissible as follows :—

(i) When proceeding on duty to and from forward areas, the individuals are allowed free travel on warrant. They are also allowed free conveyance for their families and baggage from the old (peace) duty station to selected place of residence; and back to peace duty station on the individual being posted back to peace area.

(ii) When proceeding on leave from forward areas, the individuals are allowed to visit their families every year at Government expense.

There is no further proposal under consideration.

Telephone in Cars

1586. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Communications** be pleased to state;

(a) whether Government are aware that a telephone has been invented in Europe and U.S.A. which can be fitted into a car ;

(b) if so, whether such telephones are proposed to be manufctured in India; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri B. Bhagavati) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The possibility of development of equipment suitable for cities in India is being examined.

धोखे से मनीआर्डर लेने वाले

1587. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में धोखे से मनीआर्डर लेने वाले लोगों के एक गिरोह का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो धोखे से लिये गये मनीआर्डरों द्वारा कितनी राशि दी गई है, क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) 4097 रुपये की रक़म के अब तक धोखे से लिय 21 मनीआर्डरों का पता चला है ।

(ग) दो विभागीय कर्मचारियों सहित पुलिस ने छः व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है । विभागीय तथा पुलिस कार्रवाई द्वारा अभी तक 1564 रुपये वसूल किये गए हैं ।

मलयेशिया को भारत का समर्थन

1588. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडोनेशिया की सरकार ने इंडोनेशिया तथा मलयेशिया के बीच चल रहे विवाद के मामले में मलयशिया को भारत द्वारा सहानुभूतिपूर्ण समर्थन दिये जाने का कड़ा विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले में अपने दृष्टिकोण की जोरदार पुष्टि की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

I.A.F. Plane Crash Near Kalai Kunda

1589. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1698 on 29th March, 1965 and state :

(a) whether Government have received the report of the Court of Inquiry set up to investigate into an air crash in which the two planes of the Indian Air Force were involved near Kalai Kunda; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) and (b). The report of the Court of Inquiry is presently under scrutiny at Air Headquarters.

कोयला खानों की संख्या में कमी

1590. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 में, भारत में, चालू कोयला खानों की संख्या में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1964 के प्रारम्भ में और अन्त में क्रमशः कितनी कोयला खानें चालू थीं तथा इस समय कितनी खानें चालू हैं;

(ग) इन कोयला खानों में 1964 के प्रारम्भ में और अन्त में क्रमशः कितने कर्मचारी काम करते थे तथा इस समय कितने कर्मचारी काम करते हैं; और

(घ) कोयला खानों के बन्द होने के क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी नहीं, ज्यादा कमी नहीं हुई; 1963 की अपेक्षा 1964 में चालू खानों में केवल 19 की कमी हुई।

(ख) जनवरी 1964 में चालू खानों की संख्या 808, दिसम्बर 1964 में 823 और मार्च 1965 (अंतिम उपलब्ध आंकड़े) 837 थी।

(ग)

मास	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या
जनवरी 1964	4,22,508
दिसम्बर 1964	4,03,936
मार्च 1965	4,14,293

(अंतिम उपलब्ध आंकड़े)

(घ) चालू खानों में कमी होने का कारण खानें बंद होना नहीं था परन्तु इसका कारण कुछ स्वतंत्र इकाइयों का एकीकरण था।

जनशक्ति की कमी सम्बन्धी प्रतिवेदन

1591. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार निदेशालय, दिल्ली के त्रैमासिक प्रतिवेदन से पता चला है कि बहुत से व्यवसायों में, जिनमें मालिकों ने रिक्त स्थानों के भरे न जाने की सूचना दी थी, बहुत से अभ्यर्थी रोजगार दफ्तर के चालू रजिस्टरों में दर्ज थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य कारण है :—

(1) नौकरी के उम्मीदवारों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर और देहाती इलाके में काम करने की अनिच्छा,

(2) उम्मीदवारों का सरकारी नौकरी को तरजीह देना, और

(3) नियोजकों द्वारा नौकरी की शर्तें और सुविधाओं को आकर्षक न रखना तथा लम्बे अनुभव वाले कार्यकर्त्ताओं की मांग करना।

(ग) सरकार स्थिति से परिचित है। जब भी आवश्यकता होती है रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजकों को सलाह दी जाती है कि वे दी गई नौकरी की शर्तों और सुविधाओं तथा मांगे गए अनुभव के बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनावे। ऐसे मामलों में नियोजकों को श्रमिक क्षेत्र की प्रचलित शर्तों को भी ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है।

सरकारी कार्यालयों में उच्च प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन लगाना

1592. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1965 से लेकर आज तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और अधिकारियों के निवास स्थानों पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन लगाने के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस अवधि में कार्यालयों और अधिकारियों के निवास स्थानों पर कितने-कितने टेलीफोन लगाये गये;

(ग) अब तक कितने टेलीफोन नहीं लगाये गये;

(घ) सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रार्थना पत्र दिये जाने के बावजूद भी टेलीफोन लगाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) विलम्ब के लिये कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) अप्रैल, 1965 से 23 अगस्त, 1965 तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टेलीफोन लगाने की 316 मांगे और अधिकारियों के निवास-स्थानों पर टेलीफोन लगाने की 202 मांगें प्राप्त हुई हैं।

(ख) 284।

(ग) 234।

(घ) तथा (ङ): सर्वोच्च प्राथमिकता की मांगों को पूरा करने में आम तौर पर देरी नहीं की जाती। एक्सचेंज की क्षमता, केबल और आम साधनों की सीमित उपलब्धि के कारण पूरी मांगों की पूर्ति करना संभव नहीं होता।

Telephone Directory in Hindi

1593. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Babunath Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the citizens belonging to Hindi-speaking States of Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, etc., have urged the Posts and Telegraphs authorities to publish Telephone Directory in Hindi ; and

(b) if so, the time by which it will be printed ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) and (b). Instructions had been issued for printing some percentage of the telephone directories of Rajasthan, U.P., Madhya Pradesh and Bihar in Hindi. Efforts are being made to bring out these directories as early as possible.

फिजी की जनता

1594. **डा० राम मनोहर लोहिया :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन से प्राप्त राईटर समाचार एजेन्सी की 10 अगस्त की इस रिपोर्ट की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें फिजी की एक वर्ग की जनता का उल्लेख "फिजी के राष्ट्रजन" तथा दूसरे वर्ग का उल्लेख "भारतीय राष्ट्रजन" और "प्रशान्त द्वीप समूह के भारतीय उद्भव वाले लोग" के रूप में किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) हाल ही में लन्दन में फिजी पर जो संवैधानिक सम्मेलन हुआ था, उसके परिणाम के बारे में सरकार ने रायटर न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट देखी है जो 10 अगस्त, 1965 को लंदन से निकली थी। ख्याल है कि यही वह रिपोर्ट है जिसका हवाला इस सवाल में दिया गया है। इस रिपोर्ट में "भारतीय राष्ट्रिकों" अथवा "प्रशांत द्वीपसमूह के भारतमूलक लोगों" का ज़िक्र नहीं किया गया है। हां, इसमें "प्रशांत द्वीपसमूह के भारतीय समुदाय" का उल्लेख है। इसमें फिजी स्थित "फिजीवासियों," "भारतीयों" और "यूरोपीय लोगों" का भी ज़िक्र आया है और इस हद तक यह कुछ न कुछ भ्रामक है क्योंकि इससे यह आभास मिलता है कि सिर्फ फिजी के लोग ही फिजी राष्ट्रिक हैं। बहरहाल, वह रिपोर्ट इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करती है कि फिजी की अबादी बहुत सी जातियों से बनी हुई है।

(ख) भारत सरकार ने इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र में अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं और ब्रिटिश सरकार से कहा है कि वह फिजी में अंततः स्वाधीनता को दृष्टि में रखकर वहां पर संविधान संबंधी सुधार करने की गति में तेजी लाए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मंत्रीयों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले विवरण

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मैं तीसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्र के दौरान, जो प्रत्येक के सामने दिखाये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 3	ग्यारहवां सत्र 1965
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 7	दसवां सत्र, 1964
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 9	नवां सत्र, 1964
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 14	सातवां सत्र, 1964
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 16	छटा सत्र, 1963

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4752 से एल० टी० 4756/65 ।]

भवन तथा निर्माण उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति के प्रथम अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं 13 जुलाई, 1965 को नई, दिल्ली में हुये भवन तथा निर्माण-उद्योग संबंधी औद्योगिक समिति के प्रथम अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 4757/65 ।]**

भारत तथा चीन के बीच पत्र-व्यवहार

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) चीन स्थित भारतीय दूतावास को पेकिंग के विदेश-कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये दिनांक 27 अगस्त, 1965 के नोट के उत्तर में भारत स्थित चीनी दूतावास को दिये गये दिनांक 2 सितम्बर, 1965 के भारत सरकार के नोट की एक प्रति ।

(2) चीन स्थित भारतीय दूतावास की पेकिंग के विदेश कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये दिनांक 27 अगस्त, 1965 के नोट की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4758/65 ।]**

भारतीय सेना द्वारा सीमा पार कर लाहौर क्षेत्र में बढ़ने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : ADVANCE OF INDIAN ARMY ACROSS BORDER IN LAHORE SECTOR

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य को मालूम ही है कि मैं समय समय पर उन्हें पाकिस्तान द्वारा पहले चोरी छुपे और बाद में किये गये खुले आक्रमण के बारे में जानकारी देता रहा हूं। पहला आक्रमण पाकिस्तान की नियमित तथा अनियमित सेनाओं से लिये गये सशस्त्र घुसपैठियों द्वारा किया गया हालांकि पाकिस्तान ने यह कहा कि उन्हें इन घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहली सितम्बर को पाकिस्तान सरकार ने छम्ब क्षेत्र में अपनी नियमित सेनाओं से भारी आक्रमण किया। यह आक्रमण विमानों के संरक्षण में टैंकों से लैस एक बड़ी पैदल सेना द्वारा किया गया। स्वाभाविक है कि हमने इस हमले को पीछे ढकेलना था और हमारी सेनायें कठिनाईयों के होते हुये भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

हमें इस परिवर्तनशील स्थिति के बारे में सजग रहना है तथा देश की प्रतिरक्षा का समूचे रूप से ध्यान रखना है।

5 सितम्बर को दोपहर बाद एक पाकिस्तानी विमान ने अमृतसर के निकट वाधा के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया तथा हमारी वायु सेना की एक टुकड़ी पर राकेट छोड़े। इसके बाद इस सीमा का उन्होंने कई बार उल्लंघन किया। इससे स्पष्ट था कि पाकिस्तान का इरादा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके पंजाब पर आक्रमण करने का था। कुछ समय से इसके बारे में जानकारी मिल रही थी। पाकिस्तान द्वारा एक अन्य मोर्चा खोले जाने की आशंका से पंजाब में हमारी सेना भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिये सीमा के उसपार लाहौर क्षेत्र में आगे बढ़ गई है।

काश्मीर क्षेत्र में छम्ब के स्थान पर पाकिस्तानियों ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का अतिक्रमण करते हुये भारी संख्या में पैटन तथा शर्मन टैंकों से, जिन्हें भारी तथा मध्यम तोपों का समर्थन प्राप्त था, आक्रमण किया। हमने पाकिस्तानी हमलों को पछाड़ दिया है तथा जोरियों के निकट मोर्चे बना दिये हैं। जहां पर हमने शत्रु को रोक रखा है। वहा हमारी स्थिति काफी सुदृढ़ है और हमने उस स्थान के सामरिक महत्व को पूर्णतया समझ लिया है। पिछले 24 घंटों में हमने पाकिस्तान के तीन और शर्मन टैंकों को नष्ट कर दिया है।

काश्मीर घाटी में तथा युद्ध-विराम रेखा के साथ साथ स्थिति पिछले 24 घंटों में सामान्यतः शान्त रही है। टिथवाल के उत्तर में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की दो चौकियों पर कब्जा कर लिया है। भारी संख्या में घुसपैठियों इस क्षेत्र से होकर आते हैं।

हमारे विमानों ने आज प्रातःकाल पश्चिमी पाकिस्तान पर कई उड़ाने की और एक मालगाड़ी, जिसमें सैनिक सामान लदा हुआ था तथा कई सैनिक प्रतिष्ठानों पर आक्रमण किया और काफी क्षति पहुंचाई। हमारे सभी विमान सुरक्षित वापिस आ गये।

इस बात को भली प्रकार समझते हुये कि भिन्न-भिन्न दलों के बावजूद भी सारा राष्ट्र आज सरकार के साथ है, हम ने पाकिस्तानी आक्रमण को पछाड़ने का निर्णय किया है। माननीय प्रधान मंत्री को चारों ओर से इस सम्बन्ध में आश्वासन प्राप्त हुये हैं। मुझे विश्वास है कि जिस वीरता से हमारी सेनायें जम्मू तथा काश्मीर राज्य के कारगिल तथा हाजी पीर क्षेत्रों के कठिन स्थानों में लड़ रही हैं, माननीय सदस्य उसकी सराहना करेंगे। हमारी विमान सेना के जवानों ने जो बहुत से पाकिस्तानी सैबर जैट नष्ट किये हैं, इस पर निस्संदेह इस सभा को गर्व है। अब मुझे कोई सन्देह नहीं कि हमारी सशस्त्र सेनायें शत्रु को पछाड़ने में सफल होंगी।

पंजाबी सूबे के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : PUNJABI SUBHA

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह स्वाभाविक ही है कि संत फतेह सिंह द्वारा 10 सितम्बर से किये जाने वाले अनशन तथा यदि उनकी मांग स्वीकार न की गई तो 25 सितम्बर को जल कर मर जाने के उनके विचार से माननीय संसद सदस्यों को चिंता होगी।

प्रधान मंत्री की संत फतेह सिंह से जो बात हुई है उसका ब्यौरा मैं ने पहले ही सभा-पटल पर रख दिया है। प्रधान मंत्री ने सन्त फतेह सिंह को यह आश्वासन दिया है कि क्षेत्रीय सूत्र (रीजनल फार्मूला), धर्म पुस्तकों का अपमान होने के मामलों, गुरूद्वारा अधिनियम के संशोधन तथा अन्य बातों पर विचार किया जायेगा और यदि कुछ त्रुटियां होंगी या कमी होगी तो वह उन्हें दूर करने की ओर ध्यान देंगे। सरकार संत फतेह सिंह के प्रतिनिधि को किसी ऐसी जांच अथवा कार्यवाही में शामिल कराने के लिये तैयार है जो कि जाने वाली हो।

सदस्यों को याद होगा कि हाल ही के वर्षों में पंजाब राज्य के पंजाबी भाषी क्षेत्र तथा हिन्दी भाषी क्षेत्र की आवश्यकतायों को पूरा करने के लिये आपस में समझौता सम्बन्धी कई उपाय किये गये हैं। ऐसा विचार था की पंजाब के पुनर्गठन के बारे में विवाद 1956 में समाप्त हो गया था जब अकाली दल से परामर्श करके भारत सरकार ने क्षेत्रीय समिति सम्बन्धी योजना बनाई थी। फिर भी पंजाबी भाषी राज्य के लिये पुनः मांग की गई और इस बारे में संत फतेह सिंह ने 18 दिसम्बर, 1960 को अनिश्चित काल के लिये अनशन आरम्भ किया। स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 जनवरी, 1961 को एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि पंजाबी अवश्य ही प्रमुख भाषा है और हर प्रकार से इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। उस समय संत फतेह सिंह ने मास्टर तारा सिंह का यह तार प्राप्त होने पर अपना अनशन समाप्त कर दिया कि वह प्रधान मंत्री के सरदार नगर में दिये गये भाषण से सन्तुष्ट हैं और कि वह यह प्रार्थना करते हैं कि संत फतेह सिंह अपना अनशन समाप्त कर दें क्योंकि उस वक्तव्य से उनकी आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं। तत्पश्चात् आन्दोलन समाप्त कर दिया गया।

संत फतेह सिंह ने पंजाबी सुबे की फिर से मांग की है। मुख्यतः ऐसा मालूम होता है कि यह उस असंतोष का कारण है जो पहले दिये गये आश्वासनों को पूरा न करने से पैदा हुआ है। प्रधान मंत्री के आश्वासन से स्थिति की आवश्यकतायें पूरी हो जानी चाहियें थी परन्तु संत फतेह सिंह इसपर भी पंजाबी सूबे की मांग करने पर कटिबध्य हैं। अनशन रख कर सरकार पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिये अन्यथा सरकार के लिये सामान्यतः शासन चलाना सम्भव नहीं होगा। ऐसे लोगों की संख्या भी काफी है जो इस मांग के विरुद्ध हैं। इस सारे मामले पर पुनः खुले दिल से विचार होना चाहिये। सरकार इस मामले पर आगे विचार करने को तैयार है। आजतक हुई चर्चा में जितनी बातों का हल होना अभी बाकी है, उनके बारे में बातचीत हो सकती है। इसके लिये शान्ति और सद्भावना का वातावरण पैदा करने की आवश्यकता है।

यह इस बात के लिये उपयुक्त समय ऐसा नही है कि कोई कदम उठाया जाये जिससे सीमा के उस पार से हमारे देश को जो खतरा देश है, उसका सामना करने के लिये सरकार और जनता की शक्ति को दूसरी ओर लगाया जाये। मेरी संत फतेह सिंह से अपील है कि वह प्रस्तावित कदम उठाने का विचार छोड़ दें तथा उस प्रबल प्रयास में अपना सहयोग दे जो देश इस समय पाकिस्तानी आक्रमण का सामना करने के लिये कर रहा है।

[श्री नन्दा]

जहां तक मास्टर तारा सिंह द्वारा की जा रही मांग का सम्बन्ध है, ऐसी किसी मांग पर विचार नही किया जा सकता जिससे देश की अखण्डता और प्रभुसत्ता पर आंच आती हो।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : क्या माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से हम यह समझे की सरकार भाषा के सिद्धान्त पर पंजाबी सुबे के सारे प्रश्न पर विचार करने की मांग को अस्वीकार नहीं कर रही है।

श्री नन्दा : जैसा मैंने पहले ही कहा है, उससे यह स्पष्ट है कि हम इस प्रश्न के सभी पहलूओं पर विचार करन के लिये तैयार हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त हुये विभिन्न प्रस्तावों की बहुत सी कठिनाइयों पर विचार किया जाना होगा तथा उनके बारे में बातचीत की जानी होगी।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know for how long the door for negotiations will be kept open and when the problem will be solved?

श्री नन्दा : मै यह नहीं बता सकता कि कितना समय लगेगा। बातचीत अभी आरम्भ हो सकती है परन्तु निस्संदेह काश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम इस समस्या को यथासम्भव शीघ्र हल करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार केवल उन्हीं लोगों से, जिन्होंने कि पंजाबी सुबे की मांग की है, ही नही परन्तु उन लोगों, जिन्होंने कि इस मांग का विरोध किया है, से भी बातचीत करेगी ? क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रश्न के दोनों पहलूओं पर, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, युक्तियुक्त तथा निष्पक्ष रूप से विचार करने के लिये क्या साधन अपनाया जायेगा ?

श्री० नन्दा : जसा कि मैंने कहा इसका हल मिलजुल कर निकाला जायेगा। इसलिये सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को निश्चय ही इसमें भाग लेने का अवसर दिया जायेगा ?

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Hindus and Sikhs are descendents of the same forefathers and are very closely related to one another. They are pained as a result of untimely fast by Santji and the threat given by Master Tara Singh. The Hon. Home Minister has just now appealed to Santji that keeping in view the national emergency, he should not go on fast. May I know whether along with this appeal the Hon. Minister would give an assurance to the representatives of the Punjab through this House that after the emergency, he would have talks with the representatives of both sides and find a solution for this problem ?

श्री नन्दा : मै माननीय सदस्य का आभारी हूं। मैं सन्त फतेह सिंह के प्रतिनिधियों से मिलने और बातचीत करने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ताकि मैं उनको बता सकूं कि जो कुछ कहा गया है उसका क्या महत्व है। मुझे विश्वास है कि इस स्थिति के बारे में जितनी जानकारी है और जो कुछ यहां कहा गया है, इसको ध्यान में रखते हुये संत फतेह सिंह अनशन नही करेंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : At present, our country is facing emergency and as such I would not like to ask any question.

Shri Gulshan (Bhatinda) : Injustice to Sikhs weakens the strength of the Country and thus it is anti-national. In this context, I would like to know why Government does not declare the Punjabi speaking area of the present Punjab as Punjabi Suba. I would like to know the difficulty that Government is facing in arriving at this conclusion.

Shri Nanda : Whatever I had to say, I have said.

श्री कपूर सिंह खड़े हुए.....

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। यदि मैं उन्हें अनुमति देता हूं तो अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछेंगे।

श्री कपूरसिंह (लुधियाना) : क्या ऐसे गम्भीर अवसर पर प्रक्रिया का अनुसरण करना उचित होगा ? यदि मुझ कुछ शब्द कहने की अनुमति दी जाये तो सभा के सामने जो प्रश्न है उसे ठीक तरह समझा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने विचार किसी और समय रख सकते हैं। मेरे लिय कठिन हो जायगा।

श्री कपूर सिंह : यदि आप प्रक्रिया की भावना पर नहीं बल्कि उसकी भाषा पर चलते हैं तो यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं एक माननीय सदस्य को अनुमति देता हूं, तो बहुत से अन्य सदस्यों को भी अनुमति देनी होगी।

श्री कपूर सिंह : यह मामला उन लोगों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है जिनका मैं यहां प्रतिनिधित्व करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह कोई अन्य तरीका अपनायें तो मैं निश्चय ही उन्हें सहायता देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री कपूर सिंह : मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही उचित समय है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा चाहती है कि मैं प्रक्रिया से बाहर.....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, श्रीमान्।

श्री नन्दा : मैं उनको इसके तत्काल बाद ही बातचीत के लिये बुलाऊंगा।

श्री कपूर सिंह : यदि इस सभा में मुझे भारत की 44 करोड़ जनता के प्रतिनिधियों के समक्ष बोलन की अनुमति नहीं दी जाती, तो मझे और अधिक कुछ नहीं कहना है।

Shri Buta Singh (Moga) : Mr. Speaker, I would like to make a submission.

Mr. Speaker : As his name was not in the list, I cannot permit him to speak.

Shri Buta Singh : How is it that we are not being allowed to speak on this question of Punjabi Suba more particularly when we have won the elections on this very question ?

Mr. Speaker : You should also realise that others also have feelings like you and I also have the same feelings. I seek your help to maintain the procedure we have adopted here.

Shri Buta Singh : Mr Speaker, I was thinking that the statement made by the Home Minister would lead to some solution but I regret to say that there is neither any solution nor any improvement in the situation. Only four days remain for Santji's proposed fast unto death. Once the fast is started, that cannot be abandoned. Under these grave circumstances, I request the Government to make an announcement regarding Punjabi Suba.

श्री कपूर सिंह : जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह मैं संक्षेप में बहुत कहूंगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : हम आज शाम को इस पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज शाम को ? यदि इस बारे में कोई सूचना दी गई तो उसपर विचार किया जा सकता है। मैं उनको बार-बार यही कह रहा हूं।

Shri Buta Singh : The situation is very grave. There are only four days for the proposed fast. It should be discussed without any further delay.

Mr. Speaker : You should send a notice.

Shri Buta Singh : I would like to submit.....

Mr. Speaker : I cannot allow him now. He may resume his seat. Even in spite of my not allowing him, he has spoken whatever he wanted to speak.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के उन्तालीसवें प्रतिवेदन से, जो 3 सितम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखूंगा।

पंजाबी सूबे के बारे में वक्तव्य--(जारी)

STATEMENT RE : PUNJABI SUBA—*Contd.*

श्री रंगा (चित्तूर) : पंजाबी सुबे की मांग के लिये सन्त फतह सिंह द्वारा अनशन की धमकी से पंजाब के सभी लोगों में हलचल है। माननीय गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य तथा कुछ माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये उग्र विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को शीघ्र से शीघ्र किसी अवसर पर इस सभा में चर्चा करनी चाहिये।

Shri Buta Singh : Mr. Speaker, Sir, I want to submit a few words in this connection.

Mr. Speaker : It is for the Government to consider. They will consider it.

कार्य मंत्रणा समिति–(जारी)

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE—*Contd.*

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री दाजी (इन्दौर) : श्रीमन्, तेल नीति पर चर्चा के लिये केवल दो घंटे नियत किये गये हैं। इतने समय में तो प्रमुख दलों के सदस्य भी नहीं बोल सकेंगे। इस पर चर्चा के लिये कम से कम चार घंटे नियत होने चाहिये ताकि चर्चा लाभदायक हो सके।

श्री सत्य नारायण सिंह : यह समय कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा नियत किया गया है। यदि सभा समय बढ़ाना चाहती है मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें तेल नीति पर चर्चा के लिये समय नहीं दिया गया है।

Shri Buta Singh : Mr. Speaker, Sir, the issue referred by Shri Ranga is very important. If you kindly permit we may have some discussion to-day on this issue.

Mr. Speaker: The hon'ble member is aware that for raising any discussion notice is to be given. If there is a notice I can look into it. Without notice there can be no discussion. Shri Ranga has given a suggestion to the Government. Either Government should have a discussion themselves or a member should give notice of it. How can I put down any item for discussion on my own ?

Shri Buta Singh : You kindly request the Government on our behalf.

श्री सत्य नारायण सिंह : सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी।

Shri Iqbal Singh (Ferozepur)**:** Mr. Speaker, Sir, the appeal by the hon'ble Minister speaks of amity. Now our country has been attacked and the fighting is going on. The hon'ble member should take into account these factors. After all the country is above all things. Why the hon'ble Member wants to vitiate the atmosphere. (**अन्तर्बाधा**)

Shri Kapur Singh : We do not want to vitiate the atmosphere. In fact we want to improve it. (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के उन्तालीसवें प्रतिवेदन से, जो 3 सितम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। *The motion was adopted.*

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक–(जारी)

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री मु० क० चागला द्वारा 3 सितम्बर, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा करेगी :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पारित किया जाये।"

Shri Yashpal Singh (Kairana) **:** Mr. Speaker, Sir, I beg pardon of you that my agitation has caused some discomfiture in the House. (**अन्तर्बाधा**)

श्री रघुनाथ सिंह : संसद् कार्य मंत्री फिर अपने स्थान से दूर चले गये हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : उन्होंने एक प्रश्न उठाया है और मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह : वह अपने स्थान पर नहीं हैं, वह नहीं बोल सकते।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं किसी भी स्थान से बोल सकता हूं।

श्रीमन्, हाउस आफ कामन्स में प्रधान सचेतक को अदृश्य माना जाता है। उनके घुमने फिरने पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : लेकिन वह संचार मंत्री भी तो हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कहना चाहता था। हम मंत्री के स्तर को नहीं गिरा सकते। अन्य संसदों में केवल प्रधान सचेतक अदृश्य समझा जाता है। लेकिन यहां पर एक संसद्-कार्य मंत्री है। वह "अदृश्य" कैसे हो सकता है? उस समय मैंने कहा था कि मंत्री एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है। मेरा अभिप्राय यह था कि उन्हें अपने कार्य के बारे में कभी कभी इधर-उधर फिरना पड़ता है। लेकिन इसके साथ मुझे उनसे यह प्रार्थना भी करनी है कि वे इस प्रकार न घूमें कि सबका ध्यान उनकी ओर जाये।

Shri Yashpal Singh : Mr. Speaker, Sir, I apologise to you, the hon'ble Deputy Speaker and the House for the unpleasantness created in the House the other day because of me. I assure you, Sir, that such an action will not be repeated in future. During period of three years as a Member, I have never tried to interrupt or hoodwink any Member in his speech. Therefore, I will like to request the hon'ble Education Minister kindly not to interrupt me.

I feel that if the Vice-Chancellor of the Aligarh University had dealt with the dispute in a dignified and peaceful manner and treated the students and teachers with love and affection the dispute would have ended long ago. The late Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was meted out rough treatment in Fatehgarh sahib by the party of Master Tara Singh and had to return withough making a speech. Had he represented to the President that he would continue as Prime Minister only after the dismissal of the Governor and the Government of Punjab, it would not have been proper for him. But here our Education Minister takes pride in saying that Shri Ali Yavar Jung has stated that he cannot go back unless the constitution of Aligarh University is suspended, the Executive Council is dismissed and the ordinance is promulgated. This does not speak of dignity of greatmen.

There are other Universities in India, whose Vice-Chancellors are worshipped. There is a University in Deoband by the name of "Darul Ulum". The head of that University walks down the streets with majistic dignity and people rush out of there houses to have a glimpse of him. The students and professors are the backbone of a University. But when they do not want a Vice-Chancellor, how long will he continue in office with the help of ordinance and bayonets. It is the behaviour of the Vice-Chancellor and the affection of the people towards him, which count very much.

The Education Minister, when he was Chief Justice of Bombay State had said in a judgement that under Article 30(1) not only was a Minority given the right to establish and administer educational institutions but the educational institutions must of their own choice. Now he says in this House that if an amendment to drop the Muslim nomenclature of the Aligarh University, he will see that it is passed. But he could not support it with logic, tacts and figures. Sir Syed Mahmood had founded this institution for imparting religious trainings to the Muslims. In Aligarh there are only 35 percent non-muslims. I want to ask who are the people other than the Hindu majority in the country who support the measures proposed by him. Law is nothing but the will of the people expressed in terms of law. So I say that you have no right to meddle in the affairs of such a big University without ascertaining the will of the people.

How long this Ulcer will continue to trouble us. The atmosphere has been vitiated only for the last six weeks. This University enjoyed the world-wide reputation and won the appreciation of Pandit Nehru and our present Prime Ministere Shri Lal Bahadur Shastri. What are factors that have poisoned the atmosphere during the last 6 weeks. The matter should be looked with a secular point of view. This Bill is one man's show.

श्री रघुनाथ सिंह : वह ऐसा कैसे कह सकते है । प्रस्ताव को सारी सभा ने पास किया है । हमें इसका विरोध करना चाहिए ।

Shri Yashpal Singh : I will appeal to the Education Minister to give up the idea of trampling (पामाल) the Aligarh University.

Mr. Speaker : I will request the hon'ble Member not to use such words as trample (पामाल). This is a very harsh expression.

Shri Yashpal Singh : We want to uphold the secularism whose foundation stone was laid in the fifteenth century by the fifth Guru Arjun Dev in the Golden Temple and by Miyan Mir in Hari Mandir. It is said that he has the support of the entire house. I have read history. When Draupadi was being forcibly undressed not a single voice was raised against Duryodhana....

श्री रघुनाथ सिंह : हम इसका विरोध करते हैं, यह गलत है । सभा में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने दिया चाहिये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत अनुचित बात है । हम इसका विरोध करते हैं ।

Shri Raghunath Singh : He has insulted the entire House by drawing a comparison with the attempt to undress Draupadi.

Shri Bade (Khargone) : He should withdraw his words.

Shri Yashpal Singh : I will not refer to that incident. I withdraw my words.

I want to know whether the people of India have been consulted in the matter? My hon'ble friend Shri Prakash Vir Shastri had made out certain charges against Aligarh Muslim University which were found baseless one and all by the Chatterji Committee. In this very House certain allegations were made. I have got that letter with me. If the hon'ble Education Minister reads it out and you find even a single undignified word in it, I assure you that I will no more speak in the Parliament. Twisting of words is not going to help.

[Shri Yashpal Singh]

The number of seats in the Aligarh University for Engineering have been brought down to 50 per cent from 75 per cent. Where these 25 per cent. students will go? The Aligarh Muslim University has been defamed so much that even the mention of its name leaves a bad taste. What will happen to the career of these 25 per cent students? No outsiders are admitted in the Osmania University of Hyderabad but Aligarh University is asked to admit outsiders.

Shri Prakash Vir Shastri had said a lot in this very House about General Shah Nawaz Khan. General Shah Nawaz has not to look to me for defence but I will be betraying my own conscience if I donot narrate an incident about him. When I visited Pakistan I expressed my desire to Sardar Abdur Rab Nishtar to visit the native village of General Shah Nawaz. I was warned by Sardar Abdur Rab Nishtar that people who talk of General Shah Nawaz are put behind the bars. Pandit Nehru had referred to him as the most efficient General he had seen in his life. Adverse reference by Shri Prakash Vir Shastri about a man who had been a confidant of Netaji Subhas Chandra Bose and a true associate of Pandit Nehru is an insult to Parliament. I will request that this matter of Aligarh University should not be left to the discretion of Justice Chagla but should be placed before the court of the people.

I appeal to Shri Chagla to withdraw this Bill and burn its copies and even its ash should not be allowed to remain on the Indian soil.

Mr. Speaker : The hon'ble Member can oppose the Bill but when a matter has been decided in the House, it is improper on his part to talk of burning its copies in flames.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि श्री चागला अलीगढ़ विश्वविद्यालय को एक वास्तविक, धर्मनिर्पेक्षवादी तथा प्रजातंत्रात्मक रूप देना चाहते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह बिल्कुल उचित है। परन्तु मुसलमान भाई समझते हैं कि इस प्रबन्ध से विश्वविद्यालय का स्वरूप ही बदल जायेगा उनके इस भ्रम को दूर करने के लिये शिक्षा मंत्री के लिये यह अच्छा होगा कि वह उन आश्वासनों को स्पष्ट रूप से दुहरायें जो उन्होंने दिये हैं क्योंकि सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि उनकी आशंका को दूर करे। इस के अतिरिक्त हमें यथाशीघ्र एक स्थायी विधेयक संसद् में लाना चाहिये। ताकि वह इस विधेयक का स्थान ले सके जोकि विश्वविद्यालय में बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार लाने के लिये वहां के अधिकारियों को अधिक शक्तियां देने के लिये अब हमें पारित करना पड़ रहा है।

इस समय हमें अपने देश की मिली जुली संस्कृति के सन्दर्भ में अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने जो योग दिया है उसे याद करना चाहिये। निःसन्देह इस विश्वविद्यालय में कुछ बुरी बातें होती रही हैं परन्तु हम इस बात को कभी नहीं भुला सकते हैं कि असहयोग के उन दिनों में अलीगढ़ के लोगों ने एक ऐसे राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जिसने कई राष्ट्रवादी नेताओं को जन्म दिया।

यह विश्वविद्यालय केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लिये ही नहीं है अपितु सब समुदायों के लिये है, इसीलिये तो आज वहां 1625 गैर-मुसलमान तथा विभिन्न 23 देशों से आये हुए 130 विदेशी विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की ख्याति का न केवल मुसलमानों को ही ध्यान रखना है परन्तु सारे देश को ध्यान रखना है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि छात्रावास में रहने वाले हिन्दु तथा मुस्लिम विद्यार्थियों में सांस्कृतिक एकता लाने के लिये कुछ और अधिक ठोस उपाय किये जायें।

भारत में इस विश्वविद्यालय की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करने के लिये हमारे देश में मुसलमानों को भी प्रयत्न करना चाहिये। पाकिस्तान आज इस्लाम की सहज सहानुभूति का हमारे विरुद्ध शोषण कर रहा है। हमें इस का प्रतिकार करने का प्रयत्न करना चाहिये और हमें संसार को बताना चाहिये कि इस देश में इस्लाम ने एक सत्कारशील घर पा लिया है तथा सारे संसार भर में यह एक ही ऐसा देश है जिस में इस्लाम ने अपनी स्थिति को दशानुकूल बना लिया है और यही कारण है कि यहां पर मिली जुली संस्कृति है। देश में मुसलमानों को यह भी याद रखना चाहिये कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यहां पर जामा-मिलिया इस्लामिया, खुदाबख्श अनुसन्धान पुस्तकालय, देवबन्द में दार-उल-अलम तथा लखनऊ, सहारनपुर, आजमगढ़ तथा हैदराबाद में धर्म-प्रशिक्षणालय और विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस्लामी इतिहास तथा संस्कृति के विभाग भी हैं। यही नहीं, उसमानिया विश्वविद्यालय में एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम "इस्लामिक कल्चर" है। हमें इन सब बातों का उपयोग पाकिस्तान के इस प्रचार के विरुद्ध करना चाहिये कि भारत में मुसलमान एक पद्दलित अल्पसंख्याक समुदाय है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि मुसलमानों की कुछ शिकायतें हैं जिनको दूर किया जाना चाहिये, परन्तु इस बात का कोई कारण नहीं है कि हम पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे विरोधात्मक प्रचार के सामने झुक जाये। पाकिस्तान आज सारे संसार को बता रहा है कि भारत में इस्लामी संस्कृति की अवहेलना की जा रही है जबकि स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि भारत एक है और हमें सारा काम मिलकर करना है चाहे वह युद्धक्षेत्र में हो अथवा अन्यथा। जितने राष्ट्रवादी मुसलमान नेता हुए हैं वह न केवल मुसलमानों के ही नेता थे परन्तु इस देश में रहने वाले सभी लोगों के नेता थे। आज काश्मीर में क्या मुसलमान नहीं लड़ रहे हैं। सब से पहले परम वीर चक्र प्राप्त करने वाला भी एक मुसलमान ही था जो ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से विख्यात है। हमें अपनी छोटी छोटी बातों को भूल कर अपने देश की एकता को भंग नहीं होने देना चाहिये।

इसीलिये मैं श्री चागला से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उन आश्वासनों को पुनः दुहराये जो उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में दिये हैं। इस सम्बन्ध में मुसलमानों के दिमागों में जो आशंका उत्पन्न हो गई है कि इस नये प्रबन्ध से इस विश्वविद्यालय का स्वरुप बदल जायेगा उसे दूर करने के लिये सरकार को हर सम्भव कार्यवाही करनी चाहिये।

Shri Mohammad Tahir (Kishanganj) : Mr. Speaker, Sir, I am glad that neither our Congress Party nor its Working Committee has said anything to this effect that the character and the individuality of Aligarh University should be changed. This question has on the other hand been raised by the opposition party both inside and outside the House.

It is wrong to say that the happenings at the Aligarh University on the 25th April were the result of any conspiracy to murder the Vice-Chancellor. The reason for this so called conspiracy has been given that he is a nationalist. I want to enquire as to whether Dr. Zakir Hussain, Colonel Zaidi are not nationalists? This contention is, therefore, contrary to the facts. The facts are that a conspiracy is being hatched as to how such conditions could be created which would facilitate the issuing of an ordinance and as a result of which the special character of the University would be destroyed. My contention can be proved from the proceedings of the parliament itself.

[Shri Mohammad Tahir]

In 1961, various charges of indiscipline and embezzlement were levelled against this University by Shri Prakash Vir Shastri. These charges were of such a nature that an ordinance could be issued but the then Education Minister, acting wisely, appointed a committee to go into these charges. As a result of this enquiry all the charges were found baseless and on the other hand, discipline of the University was praised. Thus the efforts to get an ordinance issued then failed.

This time another method was adopted. Shri Bhim Singh, a Jana Sangh worker of Jammu had been sent there to incite the students to stage an agitation. You know, Sir, that there are some Muslim students also who are mischievous and can be incited to get any worst thing done. There are 5,000 students there but only one hundred or hundred fifty students took part in it. In order to instigate them further Police was called which opened fire. The students were, therefore, instigated to do such heinous act by the conspirators themselves in order to get an ordinance issued. It is, therefore, regretted that it has been said that there was a conspiracy to murder the Vice-Chancellor.

The ordinance has been issued in contravention of Articles 13, 30 and 123 of our Constitution.

In case of Banaras University which is also an institution of national importance, no member of the minority community has been associated with the Joint Committee because of the fact that it is mainly for Hindus. Similarly Aligarh University is an institution of national importance but it is mainly for the Muslims as the Banaras Hindu University has been termed as a University mainly for the Hindus.

As regards Mujlise Mushwarat, it may be pointed out that this organisation has worked for uniting the people, Hindus as well as Muslims. All the big meetings held under the Mujlise Mushwarat were presided over by Hindus. The criticism made by the Education Minister against Dr. Mahmood is unjust and uncalled for.

This issue has now become a prestige issue and it is now for the Government to decide whether the prestige of Shri Chagla is more important or the prestige of the whole Muslim Community is more important. If the prestige of Shri Chagla is more important then the Bill should be passed without any delay but if the prestige of Muslim Community is more important then it would be rejected straight away.

डा० मा० श्री० अणे : मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं। श्री चागला ने जिस बुद्धिमता तथा योग्यता से इसे प्रस्तुत किया है और जिस प्रकार से उन्होंने एक उच्च विचारशील तथा राष्ट्रवादी मुसलमान होने के आदर्श को सारे देश के समक्ष रखा है इसके लिये मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत 'संस्था' तथा 'विश्वविद्यालय' शब्दों में जो भेद किया गया है वह सभा को ठीक लगा है और इससे विधेयक को भारी बहुमत का समर्थन मिल गया है। श्री एन्थनी की यह धारणा गलत है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम को संसद अथवा भारत सरकार द्वारा केवल सरकारी मान्यता देने के लिये पारित किया गया था। तथा कि इस से यह तथ्य गलत नहीं हो जाता है कि मुस्लिम समुदाय ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। श्री एन्थनी ने यह नहीं सोचा कि मान्यता तो उस चीज़ को दी जाती है जो विद्यमान होती है। जिस प्रकार बनारस हिन्दू कालेज से हिन्दू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार द्वारा की गई थी

उसी प्रकार ए० एम० ओ० कालेज से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार द्वारा ही की गई थी। मेरे विचार में इन के नामों के साथ 'हिन्दू' तथा 'मुस्लिम' शब्दों को बनाये रखने का कारण उन संस्थाओं के साथ इन विश्वविद्यालयों के ऐतिहासिक सम्बन्ध को मान्यता देना था न कि इनके साम्प्रदायिक स्वरूप को बल देना था। कुछ सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि पुराने कालेज और तत्पश्चात इस विश्वविद्यालय का जो धन था वह मुसलमानों ने दिया था। यह एक कानूनी महत्व का प्रश्न है। अब यह धन इस विश्वविद्यालय का है न कि मुस्लिम समुदाय का। यदि किसी प्राकृतिक आपत्ति के फलस्वरूप यह विश्वविद्यालय बन्द हो जाता है तो इसका जो यह धन है उसका उपयोग कैसे किया जायेगा इसका फैसला करना लोक न्यास विधि के अनुसार भारत सरकार का काम है। अतः मुसलमानों का इस धन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि जैसाकि विधेयक के स्वरूप से स्पष्ट है यह एक अस्थायी विधान है। इसका उद्देश्य केवल वहां की स्थिति में सुधार लाना है जोकि बहुत बिगड़ गई है और ऐसा करने के लिये वहां के अधिकारियों के हाथों को मज़बूत करना है। मुझे पूर्ण आशा है कि वहां पर जल्दी स्थिति सामान्य हो जायेगी और इस विश्वविद्यालय के बारे में एक नया विधेयक यथासम्भव शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

आज हमें हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा राष्ट्रीय अखंडता और एकता की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि इस विधेयक से हिन्दू-मुस्लिम एकता को और बल मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इससे भारत के संविधान के कई उपबन्धों का उल्लंघन होता है। शिक्षा मंत्री अनुच्छेद 30 में उल्लिखित "स्थापित करना" शब्दों के सम्बन्ध में वाकछल कर के संवैधानिक कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं। यह संस्था गत शताब्दी से मुसलमानों की रही है और इस समय के इलावा गत इतने वर्षों में इस बात पर कभी कोई सन्देह नहीं किया गया है। इस विश्वविद्यालय में अनुशासन की हमेशा सराहना की जाती रही है। 1961 में चतर्जी समिति ने तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू और भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री ने भी इस विश्वविद्यालय की सराहना की थी। परन्तु अब एकदम ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत अनुशासनहीनता है। माननीय मंत्री जो कहते हैं कि यह एक षडयंत्र था। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यदि ऐसी बात थी तो उनको नारे लगाने तथा अपने साथ कफ़न लाने की क्या आवश्यकता थी। यदि यह कुचक्र जैसा कि दावा किया गया है, बहुत गहरा है तो यह एक विचित्र बात है कि थोड़े से समय में ही यह सब अनुशासन जिसकी हमारे नेताओं द्वारा बड़ी सराहना की गई थी, समाप्त कैसे हो गया। यदि इसे मान भी लिया जाये तो इस बात की न्यायिक जांच की जानी चाहिये थी कि यह कुचक्र क्या था जिसकी जड़े इतने थोड़े समय में इतनी गहरी हो गई।

शिक्षा मंत्री ने डा० सैयद महमूद मजलिसे मुशवरात तथा मुस्लिम लीग पर हमला किया जोकि अकारण और अनुचित था। मुशवरात ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। इसी उद्देश्य से ही इसने सारे देश का भ्रमण किया है। मुस्लिम लीग सभी लोगों के सम्मानपूर्वक अस्थित्व, देश की सुरक्षा, अखण्डता तथा इसके सम्मान का समर्थन करती है। जमियते इस्लाम जिस के विरुद्ध भी शिक्षा मंत्री ने अपने विचार प्रकट किये हैं, के सम्बन्ध में यह बता देना चाहता हूं कि यह केवल एक धार्मिक संगठन है और इसने लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के इलावा और कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके कारण उसकी आलोचना की जाये।

Shri Sinhasan Singh (Garakhpur) : Mr. Speaker, when such a bill had been brought in respect of Banaras Hindu University at that time there was no such agitation over the word "Hindu", as we have seen now when a Bill has been brought in connection with the Aligarh Muslim University. It is not proper that even after 18 years of working of our secular State, the words 'Hindu' and 'Muslim' have not been eliminated from the names of the Universities at Banaras and Aligarh, although these Universities are mainly run by the contributions made by all castes and creed.

A reference has, in this connection been made to the Article No. 30 of our Constitution and said that this bill violates the provisions made therein. I may, in this connection point out that this Article do not apply to Universities. It applies only to those institutions which are established by individuals and to which Government may or may not give any grant. But so far as University is concerned, it cannot be a centre only of a particular religion or faith. A number of subjects like Geography, Science, Arithmatic, History etc. are taught in a University which do not relate to any particular religion. All these subjects are of Universal nature and that is why it is known as a University. Religious education may be imparted in the Aligarh University but it cannot be enforced on others. Not only this University but other Universities like Hindu University cannot enforce students to get religious education. In case of Banaras University, we have provided in the Bill to be presented by the select committee to the House shortly that arrangements should be made for imparting of education of all religions so that a student may take up any subject which he likes. Such provisions should also be made in respect of Aligarh University also.

So far as admissions are concerned no reservations should be made on any ground. Admissions should be given on merits and on the basis of competitive examinations. The doors of Institutes of Engineering, technology and Science should be opened for all students irrespective of the Universities or States to which they belong.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : अध्यक्ष महोदय, इस समय हम बड़ी कठिन परिस्थितियों में से गुज़र रहे हैं। इस समय हमें साम्प्रदायिक एकता और शांति को बनाये रखना है और हमें यह नहीं सोचना है कि हम हिन्दू या मुसलमान हैं अपितु यह कि हम भारतीय हैं।

श्री मुकर्जी ने जो कुछ कहा मैं उससे काफी हद तक सहमत हूं। इस विश्वविद्यालय के स्वरुप इस विधेयक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं श्री मुकर्जी के शब्दों को दोहराना चाहता हूं कि भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय को मुस्लिम संस्कृति का प्रतीक होना चाहिये। इस विश्वविद्यालय को सारी दुनिया के सामने यह उदाहरण रखना है कि हमने किस प्रकार अनेकता में एकता बनाई है।

मेरे माननीय मित्र श्री यशपाल सिंह ने मेरे लिये बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। मैं नहीं समझता कि मैंने किस प्रकार अलीगढ़ विश्वविद्यालय को पायल कर दिया है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मेरी एक मात्र इच्छा अलीगढ़ की शान बनाय रखना है। हमारे बौद्धिक जीवन और राष्ट्रीयता में इसका बड़ा भाग है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ। /*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 97; विपक्ष में 8।/Ayes 97; Noes 8.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

अधिलाभांश की अदायगी अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और अधिलाभांश अदायगी विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : PAYMENT OF BONUS ORDINANCE AND PAYMENT OF BONUS BILL

श्री मी० रु० मसानी : (राजकोट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अधिलाभांश की अदायगी अध्यादेश, 1965 (1965 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है जो कि राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 1965 को प्रख्यापित किया गया था"।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *In the Chair*]

इस संकल्प को प्रस्तुत करने में मेरा उदेश्य अध्यादेश या इस विधेयक के गुणदोषों में जाना नहीं है। मैं तो इस बात पर बोलना चाहता हूं कि 29 मई को इस अध्यादेश को जारी करने का क्या औचित्य है।

अध्यादेश के प्रिएम्बुल में कहा गया है कि चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति सन्तुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति मौजूद है कि अधिलाभांश की अध्यादेश को लागू करना आवश्यक है।

6 सितम्बर, 1961 को सरकार ने एक संकल्प द्वारा एक त्रिपक्षीय आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने 24 जनवरी 1964 को अपना प्रतिवेदन दिया। छः मास बाद सरकार ने 2 सितम्बर, 1964 को इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया फिर 9 महीने तक सरकार इस प्रतिवेदन को लेकर सोती रही।

बीच में बजट अधिवेशन में भी सरकार इस विधेयक को नहीं लायी और इसकी ओर कई बार सरकार का ध्यान दिलाया गया था जब सरकार ने चार साल तक कुछ नहीं किया तो अब कौनसी मुसीबत आ रही थी जो अचानक अध्यादेश जारी किया गया। इस अध्यादेश के जारी किये जाने से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस अध्यादेश में अनेक त्रुटियां हैं और इसलिये बहुत सारे संशोधनों की सुचना दी गई है।

[श्री मी० रु० मसानी]

सरकार संविधान की अवहेलना करती है और संसदीय संस्थाओं और लोकतन्त्रात्मक प्रक्रियाओं का अनादर करती है।

मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति समय समय पर मंत्रियों की अनुचित कार्यवाहियों के विरुद्ध यह कहें "मैं इस संदिग्ध मामले में आपका पक्ष नहीं लूंगा; अगली बार जब संसद का सत्र हो तो सभा में अपनी सफाई पेश करो और अपना कार्य करो।"

ग्यारह वर्ष पूर्व 1954 में इस विषय पर इस सभा में बड़ी लम्बी चर्चा हुई थी। जो मंत्री उस समय थे लगभग वे ही आज भी हैं। उस समय पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि यदि सरकार को इस प्रकार अध्यादेश बनाने की नीति का दुरुपयोग करने दिया जायेगा तो हमारी सांवैधानिक एकता खतरे में पड़ जायेगी। उस समय लोक सभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर ने अध्यादेश के बारे में कहा था कि कार्य करने का यह लोकतन्त्रात्मक तरीका नहीं है; बहुत ही विशेष मामलों में सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है। इस बार ऐसी कोई बात नहीं थी। सरकार साधारण रूप में अध्यादेश का उपयोग करती है। सरकार या तो इसका औचित्य बताये। और अगर ऐसा नहीं है तो खेद प्रकट करे और यह वायदा करे कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री संजीवय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय संस्थापनाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को अधिलाभांश की अदायगी करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

द्वितीय योजना के दौरान योजना आयोग ने सुझाव दिया कि कोई भी निर्णय करने से पूर्व इस प्रश्न पर काफी विचार किया जाये। इस बीच यह सुझाव दिया गया कि झगड़ों को औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा तय करने की प्रथा को जारी रखा जाये। अन्त में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने कुछ ऐसे सिद्धान्त निकाले जिनके आधार पर इन झगड़ों को निपटाया जा सकता है। एक मुकदमें में उच्चतम न्यायालय ने भी इन सिद्धान्तों का समर्थन किया। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि संसद यदि ठीक समझे तो इस बारे में विधान बना सकती है। इस उद्देश्य से मार्च-अप्रैल 1960 में यह मामला स्थायी श्रम समिति के सामने रखा गया था और अन्त में अधिलाभांश आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया गया था। अधिलाभांश आयोग के निर्देश पद निर्धारित करने के लिये 6 दिसम्बर, 1961 को एक छोटी त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था। इस आयोग में मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधियों को भी लिया गया था। इस आयोग ने लगभग 2 वर्ष बाद 24 जनवरी, 1964 को अपना प्रतिवेदन दिया। आयोग की अधिकांश सिफारिशें एकमत से दी गई हैं सिवाय इसके कि मालिकों के एक प्रतिनिधि ने विमति टिप्पण दिया है। सरकार ने इन शिफारीशों पर और विमति टिप्पण पर बड़े गौर से विचार किया है। उन सिफारिशों को जिनमें विमति टिप्पण था हमने कुछ फरबदल करने पश्चात स्वीकार कर लिया है। यह निर्णय, सरकार ने 2 सितम्बर को किया था और ७ सितम्बर को सरकार के निर्णयों संबंधी एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया था।

एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तो यह है कि सभी प्रत्यक्ष कर पूर्व प्रभार के रूप में काट लिये जायेंगे और सकल मुनाफे की गणना के लिये सरकार द्वारा दी गई सहायता और रियायतों को शामिल नहीं किया जायेगा। अब हमने इक्विटी पर 8.5 प्रतिशत और रिझर्व पर 6 प्रतिशत ब्याज की दर निर्धारित करने का विचार किया है। आयोग ने इनके लिये क्रमशः 6 प्रतिशत और 4 प्रतिशत ब्याज की सिफारिश की थी। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि यह 6 प्रतिशत और 4 प्रतिशत ब्याज तो पहले भी था परन्तु उस समय इस पर कर नहीं लगता था परन्तु अब इस 8 प्रतिशत और 6 प्रतिशत पर कर देना होगा।

ब्याज की वर्तमान मार्किट दर पर भी विचार किया गया है। फिर आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि इस विधेयक को 1962 से भूतलगी प्रभाव से लागू किया जाये। सरकार ने ऐसा करना इसलिये उचित नहीं समझा कि जो मामले निपटाये जा चुके हैं उनको भी फिर से खड़ा करने की संभावना थी। इसलिये हमने इस सिफारिश को केवल बोनस के मामले में ही लागू करना उचित समझा। सरकार के इस निर्णय के पश्चात मजदूरों की कई संस्थाओं ने अभ्यावेदन दिये कि नये फारमूले से कुछ मजदूरों को बोनस कम मिलेगा। फिर 18 सितम्बर, 1964 को मैंने इस सभा में वक्तव्य दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि मजदूरों को बोनस नये अथवा पुराने फारमूले के आधार पर जिसमें भी अधिक लाभ होगा दिया जायेगा। विधेयक का खंड 34 मेरे द्वारा सभा में दिये गये आश्वासन के बारे में है।

श्री मसानी ने कहा कि सरकार ने अपने निर्णय की घोषणा 2 सितम्बर, 1964 को कर दी थी परन्तु 29 मई, 1965 तक सरकार सोती रही और 10 महीने तक कोई कदम नहीं उठाया। निर्णय करने के तुरन्त बाद सरकार ने विधेयक को तैयार किया और पिछली परम्परा के अनुसार हमें प्रारुप विधेयक को एक त्रिपक्षीय सम्मेलन के सामने रखना पड़ा। अतः 9 और 10 दिसम्बर, 1964 को अस्थायी विधेयक स्थायी श्रम समिति के समक्ष रखा गया था। काफी सोचविचार के बाद स्थायी श्रम समिति ने यह महसूस किया कि इस मामले को एक उपसमिति को सौंपना वांछनीय होगा। एक उपसमिति नियुक्त की गई और वह इस नतीजे पर पहुंची कि सारे मामले को फिर से यथाशीघ्र स्थायी श्रम समिति के सामने रखा जाना चाहिये। फिर स्थायी श्रम समिति की बैठक 27 मार्च, 1965 को हुई और उसने उपसमिति द्वारा की गई सिफारिश का समर्थन किया।

इसके पश्चात् हमने विधेयक को अन्तिम रूप देने का भरसक प्रयत्न किया। वास्तव में यह एक मूल विधेयक है, संशोधन विधेयक नहीं है और सरकार द्वारा दिये गये कुछ आश्वासनों को कानूनी रूप देना बहुत कठिन है। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद हम इस विधेयक को बजट सत्र में पुरःस्थापित नहीं कर सके। 2 सितम्बर, 1964 को हमने इस निर्णय की घोषणा की और सभी मालिकों से अपील की कि वे संकल्प को क्रियान्वित करें। परन्तु उन्होंने उसे तब तक के लिये क्रियान्वित करने से इन्कार कर दिया जब तक कि उसे कानूनी रूप न दिया जाये। क्योंकि काफी झगड़े पैदा हो गये थे इसलिये हमने अध्यादेश को जारी करना अधिक अच्छा समझा। 16 अगस्त को मैंने सभापटल पर एक विवरण रखा जिसमें बताया गया है कि अध्यादेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी।

इस विधेयक की सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले बोनस मूल वेतन पर दिया जाता था, परन्तु अब मूल मजूरी में महंगाई भत्ते को जोड़ कर उसपर बोनस दिया जायेगा। इसमें कम से कम 4 प्रतिशत अथवा 40 रुपये और अधिक से अधिक

[श्री संजीवय्या]

20 प्रतिशत बोनस देने का भी उपबन्ध है। ये सब बातें पहले नहीं थीं। इस विधेयक के अन्तर्गत अब उन 45 लाख मज़दूरों को बोनस मिलने लगेगा जिन्हें पहले बोनस नहीं मिलता था। यदि उन्हें कम से कम 40 रुपये प्रति वर्ष भी मिले तब भी उन्हें काफी राहत मिलेगी। मज़दूरों की सारी बातों को पूरा करना तो सरकार अथवा आयोग के लिये संभव नहीं है। हम आशा करते हैं कि मालिकों और मज़दूरों के सहयोग से हम इस देश में शांतिमय वातावरण बना पायेंगे और देश के उत्पादन को बढ़ा पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दाजी (इन्दौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "विधेयक की एक प्रवर समिति, जिसमें 15 सदस्य अर्थात् श्री बड़े, श्री त्रिदिब कुमार चौधरी, श्री दाजी, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री हरि विष्णु कामत, श्री मधु लिमये, श्री मी० रु० मसानी, श्री हरिश्चन्द्र माथुर, श्री मौर्य, डॉ० मेलकोटे, श्री काशीनाथ पांडे, श्री संजीवय्या, श्री अ० प्र० शर्मा, श्री दी० चं० शर्मा तथा श्री स० मो० बनर्जी हों, को सौंपा जाये और इसे 22 सितम्बर, 1965 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये" [81]

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : इस विधेयक में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें उत्पादन बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बोनस को मुनाफे के साथ जोड़ना है। सरकार को ऐसी बोनस योजना बनानी चाहिये थी जिसमें देश के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया होता। खंड 32 में मालिकों और मज़दूरों के लिये स्वयं ऐसी योजना तैयार करने का उपबन्ध किया गया है। परन्तु मज़दूर तो यह चाहते हैं कि कम से कम काम करें और अधिक से अधिक मजूरी लें। मालिक सुस्त हैं और उत्पादन बढ़ाने के कठिन कार्य को आरम्भ नहीं करना चाहते। इसलिये मैं चाहता हूं कि स्वयं सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिये थी।

यह विधेयक उन सभी संस्थानों और कारखानों पर लागू होता है जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं न कि कुछ विशिष्ट कर्मचारी वर्गों पर ही जिनके नाम खंड 32 में दिये गये हैं। जिन कारखानों और संस्थानों को छूट नहीं दी गई है उनके मामले में यह विधेयक 1964 से और कुछ परिस्थितियों में 1942 या इसके बाद से भूतलक्षी प्रभाव से लागू माना समझा जायेगा। यह बोनस आयोग की सिफारिशों के अनुकूल है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

यह विधेयक बहुत गलत तरीके से तैयार किया गया है और इसमें बहुत से परस्पर विरोधी उपबन्ध हैं। उदाहरण के रूप में खंड 32 और खंड 34 के उपखंड (3) को लीजिये। इस विधेयक के कुछ उपबन्धों में दिया है कि इस विधेयक का कोई उपबन्ध 'क' पर लागू नहीं होगा और फिर कुछ और उपबन्धों में मत दिया है कि इस विधेयक का कोई उपबन्ध 'ख' पर लागू नहीं होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि कौन सा उपबंध किस पर लागू होगा।

देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक में कोई त्रुटि नहीं है। परन्तु इसमें कई बातों को स्पष्ट नहीं किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि किन मामलों में किन किन वर्षों की स्थिति को लागू किया जायेगा। इस मामले में बड़ी खोज करने की आवश्यकता है कि किस मामले पर कौनसा कानून लागू होगा।

मेरा अपना अनुमान है कि इस विधेयक के लागू होने के पश्चात् बोनस के संबंध में 24 भिन्न स्थितियां पैदा हो जायेंगी और मालिकों और मजदूरों के लिये कानूनों का एक जंगल सा बन जायेगा। खंड 34 के उपखंड (2) में कहा गया है :

"यदि किसी लेखा वर्ष के संबंध में इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी संस्थान में सभी कर्मचारियों को देय बोनस की कुल राशि आधार वर्ष के किसी पंचाट, करार, समझौते के अन्तर्गत उसी संस्थान के सभी कर्मचारियों को देय राशि से कम है.."

यहां यह सपष्ट नहीं है कि किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाये और उसके किस पंचाट, समझौते अथवा करार को अधिकृत माना जाये।

आरंभ में तो बोनस योजना बहुत ही सराहनीय मालूम पड़ती है। यह बोनस आयोग के रवैये के अनुसार ही है। परन्तु एक या दो मामलों में परिवर्तन किया गया है। इसमें न्यूनतम बोनस की व्यवस्था भी कर दी गई है। यह पहली बार किया गया है। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है इससे 45 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। यह बहुत ही लाभदायक बात होगी। यह बात सूती कपड़ा उद्योग में स्वीकार की जाती है कि श्रमिकों को कम से कम बोनस दो सप्ताहों की मजूरी के बराबर मिलना ही चाहिये। बोनस आयोग ने भी इसे स्वीकार किया है। इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि यदि कोई चाहे तो इसकी अवहेलना भी कर सकता है। धारा 34 की उपधारा (2) के अनुसार इस योजना का त्याग भी किया जा सकता है और किसी और योजना का अनुसरण किया जा सकता है। यह ठीक मालूम नहीं पड़ता। मेरे विचार में यह कानून दोषपूर्ण है, और इस पर विचार ही नहीं किया जाना चाहिये।

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। सरकार श्रमिकों के अधिकारों को ठुकरा नहीं सकती, बोनस आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय करने में बहुत विलम्ब हुआ है। इस कारण बहुत से निर्णय रुके हुए थे और श्रमिकों को चिन्ता हो रही थी। सरकार ने इस बारे में अध्यादेश जारी कर के बहुत अच्छा किया है। आज देश संकट की स्थिति में है। ऐसे समय में आंदोलन करना देश के हित में नहीं है।

बोनस बहुत जरूरी चीज़ बन गया है। श्री दांडेकर इसके समर्थन में नहीं है, परन्तु उन्हें मानना होगा कि आज के युग में श्रमिकों के भी अधिकार हैं। और कारखाने में होने वाले लाभ से उनको भी बोनस मिलना चाहिये। इसको निर्धारित करने के लिये कोई प्रबन्ध भी होना चाहिये। अब हम उसी बात पर विचार कर रहे हैं।

चीनी उद्योग में बोनस के भुगतान के बारे में श्रम मंत्री ने 18 सितम्बर, 1964 को एक घोषणा की थी। पुरानी व्यवस्था के अनुसार श्रमिकों को 16 करोड़ से 17 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दिये जाते थे परन्तु अब बोनस आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन को बहुत कम मिलेगा। इस का अर्थ यह नहीं कि यह आयोग बोनस की राशि कम करने के लिये नियुक्त किया गया था। इस का उद्देश्य तो यह देखना था कि सभी श्रमिकों को कम्पनी के लाभ में से उचित और ठीक बोनस मिले। उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई बात का भी ध्यान रखा गया था। सरकार ने इस की रिपोर्ट को कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया है।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात का आश्वासन दे कि इस कानून से किसी भी श्रमिक के हितों को हानि नहीं होगी। जहां पर पहले ही अधिक बोनस दिया जा रहा था वहां इस कानून के फलस्वरूप कमी नहीं की जायेगी। इस का उल्लेख इस विधेयक में होना चाहिये।

[श्री काशीनाथ पांडे]

चीनी उद्योग में लगे मज़दूरों की स्थिति असाधारण है। इसमें वर्ष में केवल छः महीने काम होता है। इस समय में ही कारखानों के मालिकों को बहुत अधिक लाभ हो जाता है और वे कई नये कारखाने स्थापित करने योग्य हो जाते हैं। नई व्यवस्था के अनुसार अस्थायी मजदूरों को बहुत कम बोनस मिलेगा। चीनी उद्योग में लगभग दो लाख मज़दूर लगे हुए हैं। मैंने पहले भी अभ्यावेदन भेजे हैं। जो मज़दूर केवल छः महीनों के लिये काम में लगाये जाते हैं उनके लिये सरकार कुछ करे। नहीं तो औद्योगिक शान्ति बनाये रखना कठिन होगा। इस संकट की स्थिति में यह बहुत हानिकारक होगा। श्रम मंत्री को इस बारे में अवश्य कुछ करना चाहिये। इस समय उच्च न्यायालयों के समक्ष दो ऐसे मामले विचाराधीन हैं जिन में मिल मालिकों का कहना है कि जब कोई लाभ नहीं हो तो मजदूरों को बोनस नहीं मिलना चाहिये। इस बारे में सरकार को पहले ही विचार कर लेना चाहिये। न्यायालय का निर्णय अभी नहीं आया है। सरकार को मज़दूरों के हितों का पूर्णरूप से संरक्षण करना होगा।

हमारे देश में मज़दूरों को अपने संघों द्वारा कठिनाइयों को दूर करने की आज़ादी है। उन को चीन जैसे देश की तरह दबाया नहीं जाता। यहां मज़दूरों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिये आन्दोलनों का सहारा नहीं लेना पड़ता।

मैं माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि समाज के इस वर्ग की ओर विशेष ध्यान दिया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : माननीय श्रम मंत्री ने विचार के प्रस्ताव करते समय यह कहा है कि सरकार ने बोनस कमीशन की लगभग सभी सिफारिशें मान ली हैं और वे इस अध्यादेश में शामिल कर ली गई हैं। परन्तु उनका यह कथन तथ्यों पर आधारित नहीं है हमें उन सिफारिशों की संख्या को नहीं देखना बल्कि यह देखना है उन में निहित सारवान बातों को स्वीकार किया गया है या नहीं।

बोनस के निर्धारित करने सम्बन्धी सिफारिश को सरकार ने नहीं माना। इससे दिये जाने वाले बोनस की मात्रा में कमी कर दी गई है। मुझे भय है कि इससे देश का मजदूर वर्ग सन्तुष्ट नहीं होगा। इस आयोग के सात सदस्य थे। इनमें से छः ने तो एक राय दी परन्तु मालिकों के प्रतिनिधि ने रिपोर्ट से अपनी सहमति प्रकट नहीं की और विमति का टिप्पण दिया। यह बोनस के निर्धारित करने के प्रश्न पर था। हमें यह कहा जाता है कि हमारे देश में लोकतन्त्र है अर्थात् बहुमत की राय के अनुसार निर्णय होते हैं परन्तु इस मामले में इस के बिल्कुल विपरीत हो रहा है। कमीशन के एक सदस्य की बात को विधेयक में रखा जा रहा है। इससे तो कुछ स्थितियों में बोनस मिलेगा ही नहीं। इससे तो आयोग की सिफारिशों को बिल्कुल समाप्त करके रख दिया गया है।

इस विधेयक में एक और दोष है और उससे लाभ में से विकास-छूट घटाने की व्यवस्था करना है। इससे कम्पनी वालों को बोनस के लिये रुपया देने से बचने का एक और साधन मिल जायेगा। सरकार ने कमीशन की रिपोर्ट में बहुत से परिवर्तन कर दिये हैं। अब तो इस का नाम भी बदल देना चाहिये। इसे 'बोनस का भुगतान' के स्थान पर 'बोनस का भुगतान न करना' करना पड़ेगा। अब इस विधेयक का यह आशय मालम होता है कि बोनस पाने वालों की संख्या कम से कम कर दी जाये। यह बात ठीक है कि इससे उन मज़दूरों को लाभ होगा जिन के मज़दूर संघ नहीं हैं अथवा

जो छोटे छोटे कारखानों में काम करते हैं। उन को पहले कोई बोनस नहीं मिलता था। हमारे देश में बड़े बड़े कारखानों के मालिक भी बोनस नहीं देते। इसके लिये विधेयक में सरल व्यवस्था कर देनी चाहिये। वर्तमान उपबन्धों के अनुसार मज़दूरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी सरकार को मज़दूरों के हितों का उचित ध्यान रखना होगा। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मज़दूरों का प्रबन्धकों से एक वाद चल रहा है और स्थिति खराब होती जा रही है। सरकार को इस बारे में कुछ सहायता करनी चाहिये।

मंत्री महोदय ने अन्तिम समय तक बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये हैं। इससे पता चलता है कि वह स्वयं भी अपना मत भी स्पष्ट नहीं करते हैं। सरकार ने खिर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी जो कि एक ब्रिटिश कम्पनी है अपने नियन्त्रण में ले ली है। इसे बोनस देने के मामले में छूट दे दी गई है। यह अनुचित है।

श्रमिकों के बहुत से वर्गों पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। शिक्षार्थी और ठेके पर लगाये गये मजदूरों को बोनस नहीं मिलेगा। इस विधेयक के अनुसार बोनस निर्धारित करने के लिये श्रमिकों के वेतन के साथ मिलने वाले कमीशन तथा भत्तो आदि को निकाल दिया जायेगा। यह बहुत अनुचित है। इससे श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या को वंचित किया जा रहा है।

हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि श्रमिकों को पहले से मिले अधिकारों को छीना नहीं जाये। उन को किसी प्रकार की हानि नहीं होने दी जायेगी। माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में आश्वासन देना चाहिये।

यदि मूल वर्ष के साथ अनुपात के आधार पर सम्बन्ध हो तो वर्तमान वर्ष में बोनस बिल्कुल अलाभकर हो सकता है। यह सारा मामला भ्रमपूर्ण है। यदि अनुपात बनाये रखा भी जाये तो भी इस दौरान में श्रमिकों की संख्या अधिक हो जाने के कारण प्रति श्रमिक बोनस काफी कम हो सकता है।

'टाईम्स आफ इंडिया' तथा बैनेट कोलमन एंड कम्पनी में हड़ताल, माननीय मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिये जाने के बाद समाप्त की गई कि खण्ड 34 में ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे बोनस कम होने की कोई सम्भावना न हो परन्तु विधेयक के प्रारूप की भाषा में ऐसा कोई आश्वासन नहीं है, इसलिये यह मामला स्पष्ट किया जाना चाहिये।

क्योंकि सभा के विभिन्न अंगों की ओर से विधेयक के प्रारूप के सम्बन्ध में भ्रमों और कई असंगतियों तथा परस्पर विरोधी बातों की ओर संकेत किया गया है। इसलिये, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर फिर विचार करें कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसे सीमित समय के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा जाये।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : बोनस की अदायगी विधेयक, 1965 सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सरकार तथा श्रम मंत्री बधाई के पात्र हैं। सरकारी संशोधनों से पहले मुझे भी विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहना था परन्तु संशोधन प्रस्तुत किये जाने के बाद, विशेष रूप से खंड 33 और 34 के संशोधनों के बाद, मैं विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

[श्री अ० प्र० शर्मा]

विधेयक के अध्ययन से यह पता लगेगा कि इस से लगभग 45 हजार अभागे मज़दूरों को, जिन्हें पहले कभी बोनस नहीं मिला था, कम से कम 4 प्रतिशत बोनस मिलेगा। इस विधेयक से उन मज़दूरों के और अधिक बोनस प्राप्त करने के अधिकार की भी रक्षा होगी जिन्हें किसी समझौते या पंचाट के अधीन और अधिक बोनस मिलता रहा है।

यदि इस बोनस सूत्र को अन्य उद्योगों, विशेष रुप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू कर दिया जाये, उन्हें इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, तो बहुत ही अच्छा होगा।

इस विधेयक के अनुसार बोनस मज़दूरों का अधिकार बन जायेगा। यह विधेयक मज़दूरों के लिये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा और मज़दूरों के बोनस के सम्बन्ध में झगड़ों का निपटारा करने के बारे में यह निश्चित रूप से ही एक रचनात्मक परम्परा की नींव डालेगा।

श्री दांडेकर तथा अन्य नियोजकों ने इस विधेयक का इस आधार पर विरोध किया है कि उन्हें श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के सूत्र के अन्तर्गत कुछ पुनर्स्थापन की छूट मिल रही थी परन्तु अब तक सरकार ने बोनस प्रतिवेदन में जो रुपभेद किया है और इस विधेयक में जो शामिल किया है, उसके फलस्वरूप नियोजकों को निश्चय ही लाभ पहुंचेगा और इस बारे में कोई सन्देह नहीं है, इस लिये, मुझे नियोजकों द्वारा विधेयक के विरोध का कोई कारण दिखाई नहीं देता।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]
[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

नियोजक 4 प्रतिशत न्यूनतम बोनस का भी विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना कि न्यूनतम बोनस का औचित्य नहीं है, ठीक नहीं है, यदि किसी प्रकार कोई उद्योगपति या नियोजक दोषपूर्ण प्रबन्ध के कारण अपने उद्योग को हानि पर चलाता है, तो यह हानि श्रमिकों को नहीं बल्कि नियोजक को सहन करनी चाहिये। 4 प्रतिशत न्यूनतम बोनस तथा 20 प्रतिशत अधिकतम बोनस पूर्णतया न्यायसंगत है, जैसा कि विधेयक में निर्धारित किया गया है।

इन सभी रूपभेदों के बावजूद, जो कि अधिकांश रुप से नियोजकों के हित में है, नियोजक संतुष्ट नहीं हैं। उद्योग को विकास, विस्तार और अपने खर्च के लिये पर्याप्त भत्ता भी मिलेगा।

साम्यवादी दल तथा अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कांग्रेस मज़दूरों की समस्याओं के हल में कोई रुचि नहीं रखते क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह समस्यायें शान्तिपूर्वक और रचनात्मक तरीकों से हल हो जायें तो उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। वे केवल उसी स्थान पर उपयोगी हो सकते है जहां गड़बड़ी हो।

यह विधेयक देश में समाजवाद की ओर एक कदम है। मुझे आशा है कि यह सूत्र रेलवे, प्रतिरक्षा और अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू किया जायेगा।

Shri Bade (Khargone) : This Bill and the ordinance are contrary to the recommendations of Bonus Commission. This has caused discontentment amongst the workers. The ordinance should have been promulgated earlier than the date on which it has been promulgated or the bill should have been brought forward earlier.

I thank the members of the Bonus Commission for having considered this matter and defining bonus. Previously it was considered to be *ex-gratia* payment or it was paid only in case of profit and increase in production. The Government have not given the same justice to the workers as was recommended by the Commission. They have accepted the dissenting note of Shri Dandekar. This amounts to an insult to the Commission.

The Government wants to please both workers and employers. The workers should have been given a share of super profit. Instead of this, it has been allowed to be retained by the employers.

I fail to understand why exemption has been given to new industries for a period of six years and why public sector industries have been exempted from payment of bonus. There is no reason to exempt those industries, which are making profit, from payment of bonus. The industries in the public sector have to make competition in the matter of raw material, labour and capital. It is an injustice to exempt public sector undertakings while imposing it on private sector. There is a great resentment amongst workers in this connection.

As Shri Dandekar and Shri Inderjit Gupta have stated, there is a great confusion with regard to section 34. On the one hand, it has been provided that more bonus can be paid as per agreement and on the other hand a proviso is added that nothing contained in this sub-section shall entitle any employee to be paid bonus exceeding twenty per cent of his salary on wage for the accounting year :

No valid argument has been given about giving exemption to General Insurance business and Life Insurance Corporation of India.

The Government and the Commission have done injustice to the workers by providing for maximum and minimum bonus. I have moved certain amendments. I support the Bill subject to those amendments.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं इस विधेयक का बलपूर्वक समर्थन करता हूं। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि श्रमिकों को इस प्रकार के बोनस का कोई अधिकार नहीं हैं। यह वर्ग यह प्रश्न भी उठाता रहा है कि अध्यादेश क्यों जारी किया गया है। दूसरे वर्ग ने विधेयक में यह त्रुटियां बताई हैं कि उद्योगपति लाभ का बहुत बड़ा भाग हड़प कर जाते हैं ताकि श्रमिकों को बहुत कम बोनस मिल सके।

एक हड़ताल के मामले में उच्चतम न्यायालय के यह कहने पर, कि इस मामले में सरकार द्वारा समिति नियुक्त की जानी चाहिये, बोनस आयोग की नियुक्ति की गई थी। बोनस आयोग में उद्योग के प्रतिनिधि ने विमति टिप्पण दिया है। यदि एक मत से प्रतिवेदन दिया जाता तो सरकार के लिये विधेयक को तुरन्त पुरस्थापित करना सरल होता। हम आशा करते हैं कि औद्योगिक वर्ग के प्रतिनिधि अब भी ठीक कार्यवाही करेंगे ताकि बोनस शीघ्र दिया जा सके। धन की तो कोई कमी नहीं है क्योंकि करोड़ों रुपये रोके पड़े हैं और वे दिये नहीं जा रहे हैं।

[डा० मेलकोटे]

आज श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। गैर-सरकारी उद्योगों को सस्ता कच्चा माल मिलता है, वह बहुत कम मजूरी देते हैं और लाभ कमाते हैं। फिर भी हमारा आरोप यह है कि उन्हें निर्वाह मजूरी भी नहीं मिल रही है। यह दुख की बात है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगपति थोड़ा सा बोनस देने का भी विरोध करते हैं। हमारे देश में एक करोड़ बीस लाख श्रमिक हैं और यदि वर्तमान विधेयक न लाया जाता तो वे विरोध करते। सरकार ऐसी स्थिति से बचना चाहती थी और उसने अध्यादेश जारी करके ऐसा किया है। सरकार को ठीक समय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देनी चाहिये।

कुछ लोगों पर, जिन्हें अधिक बोनस मिल रहा था इस विधेयक का प्रभाव पड़ना था। सरकार यह चाहती थी कि श्रमिक वर्ग को लाभ का उचित अंश मिले। इसलिये, कुछ परिवर्तन किये गये और मैं सरकार को इसके लिये बधाई देता हूं।

जिस प्रशिक्षणार्थी को मजूरी मिलती हो, उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विशेष मद में शामिल किया गया है परन्तु उसे बोनस नहीं मिलेगा। उसे बोनस दिया जाना चाहिये।

[**श्री खाडिलकर पीठासीन हुये**
SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

यह विधेयक उचित समय पर लाया गया है। कुछ मामलों में उद्योगपतियों ने श्रमिकों को यह कह कर कि बोनस आयोग के प्रतिवेदन को अन्तिम रुप देने में काफी समय लगेगा, श्रमिकों से कम बोनस देने के समझौते कर लिये हैं। विधेयक ऐसी बातों से श्रमिकों को बचाता है और इसलिये, वह स्वागत-योग्य है और हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक लाया गया है। मैं इस का स्वागत करता हूं। इस विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजा जाये और उसे आदेश दिया जाये कि वह इसपर विचार करके एक सप्ताह के भीतर ही इसे सदन में प्रस्तुत कर दे। इस प्रकार इस पर अच्छी तरह विचार किया जा सकेगा और इससे दोषों को हटाया जा सकेगा।

इस विधेयक का लाया जाना श्रमिकों की जीत है। बहुत समय से वे इस के लिये कोशिश कर रहे थे। अब उनमें मजदूर संघों सम्बन्धी आंदोलन और सुदृढ़ होगा। बोनस के भुगतान के लिये 4 प्रतिशत न्यूनतम और 20 प्रतिशत अधिकतम निर्धारित की गई। मैं इसे ठीक नहीं समझता। खण्ड 34 से स्थिति स्पष्ट नहीं होती, कई कम्पनियां 20 प्रतिशत से अधिक बोनस देती थी। अब उन पर यह अधिकतम बोनस का प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये। अतिरिक्त धन जो कम्पनियों के पास शेष रह जायगा उस का क्या किया जायेगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करें।

यह उपबन्ध किया गया है कि जो कम्पनियां 20 या इससे अधिक श्रमिकों को लगाये हुए है, बोनस का भुगतान करेंगी। यह भी ठीक नहीं है। ऐसे हो सकता है कि कम्पनियां 20 से कम संख्या में श्रमिक लगायें। यह 20 की शर्त नहीं होनी चाहिये।

फिर श्रमिकों के कई वर्गों को बोनस से वंचित कर दिया गया है। यह भेदभाव नहीं होना चाहिये। सभी श्रमिक कारखाने में काम करते है और उस के लाभ अर्जन में सहायक होते हैं। मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिय और सभी श्रमिकों को बोनस का अधिकार देना चाहिये।

सरकारी-क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करनेवाले श्रमिकों को भी गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में कार्य करने वाले मज़दूरों के बराबर अधिकार तथा बोनस होना चाहिये। सरकार को स्वयं इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये। अब सरकारी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इस में लगे श्रमिकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सरकार को इन उपक्रमों में लगे मज़दूरों को प्रोत्साहन देना चाहिये। रेलवे न केवल औद्योगिक संगठन है बल्कि सरकार के लिये धन कमाने का साधन भी है। रेलवे के मज़दूरों को भी इस बोनस विधेयक के कार्यक्षेत्र से निकालना नहीं चाहिये। प्रतिरक्षा संस्थानों और डाक व तार विभाग में लगे मज़दूर भी तो इसी प्रकार का कार्य करते हैं। और इस से सरकार को लाभ होता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। चीनी उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिकों को पहले जो बोनस मिलता था अब उसमें परिवर्तन कर दिया जायेगा। इन में से कुछ लोग पूरा वर्ष कार्य नहीं करते थे। अब उन को हानि होगी। उन्हें पहले नियमित मज़दूरों की भान्ति बोनस मिलता था परन्तु अब उसमें कमी कर दी जायेगी। यह जो मौसमी मज़दूर होते है उनका अंशदान भी स्थायी मज़दूरों के समान ही होता है। इस लिये बोनस के विषय में दोनों वर्गों में भेदभाव नहीं होना चाहिये। विधेयक में जो यह त्रुटि है इसे हटा देना चाहिये।

Shri A. N. Vidyalankar (Hoshiarpur) : I congratulate the hon. Labour Minister for having brought this Bill. I welcome this measure. It has also been welcomed in the labour circles. I feel that there are some basic defects in this Bill and the same may be removed. We are not clear about the concept of bonus. It is thought that bonus is an *ex-gratia* payment to the labourers. In fact it is not that. The profits to the factory owner are due to the hard work put in by workers. They are responsible for the huge profits of big concerns. These workers are not paid adequately. Their wages are far below in proportion to labour put in by them. The bonus is claimed to make good that gap. Thus it will be admitted that labour is justified in claiming bonus. It is not injustice to the employer.

It is not a favour to the worker. His wages are not adequate. Bonus is given to make good that loss. Before this there was lot of litigation. Now there will be industrial peace.

As a result of this Bill some workers will be put to loss, but the number of beneficiaries will go up. We should see that the workers should not lose anything by this Bill.

There is a tendency in some quarters to reduce the number of workers and avoid the payment of bonus. This should be checked. Then they bifurcate their factories. This should not be allowed to happen. At the time of preparing bonus formula we should have seen that direct taxe were not taken in account. The employer will take undue advantage of this.

[Shri A. N. Vidyalankar]

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

The interest of contract labour should also be salf guarded. They are also paid by the owner of the factory. Wny they should not be paid the bonus. The rights of workers who go on legal strike should be safeguarded. Similarly in the case of lockouts they should not be subjected to loss.

I would like that this benefit is also given to workers in public sector. They should not be denied those rights which are available for the workers in private sector. This should be taken at the higher level and necessary change should be made in this Bill.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Transport workers should also be given benefit under this Bill. I am connected with the P.T.I. workers union. They were paying more than 4 per cent bonus previously. Now they, that in view of this Bill, will not pay more than what is laid down in this Bill. It is very unfair. In this connection clause 34 should be amended suitably.

I want that procedure regarding recovery in industrial desputes should be simplified. In regard to bonus also a clear formula should be laid down. The workers should not be put to take the trouble prolonged litigation etc.

श्री० नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : माननीय श्रम मंत्री श्री नारायण दांडेकर के बताये मार्ग पर चल रहे है। प्रवर समिति की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। एक निर्दलीय सदस्य ने भी सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वालों मजदूरों को इस सुविधा का अधिकारी बनाया जाये। उन्होंने कहा है कि बराबर काम के लिये बराबर सुविधायें होनी चाहियें। बोनस तो एक प्रकार का प्रोत्साहन है। इससे मज़दूरों को अधिक काम करने की प्रेरणा मिलेगी। सरकारी क्षेत्र के कारखानों को भी इस योजना से लाभ उठाना चाहिये। इस विधेयक में तथा इस से पहले अध्यादेश में श्रमिकों के अधिकारों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। बोनस आयोग पर मज़दूरों के प्रतिनिधियों द्वारा कही गई बातों की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। उन्हें कई गलत फहमियों में रखा गया।

विकासशील देश में उद्योग का बहुत महत्व होता है। भारत जैसे देश में इन के कई वर्ग है। कुछ उद्योग आयात किये माल पर निर्भर करते है। उनको बहुत लाभ होता है। दूसरे वर्ग को प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और उसके लाभ कम होते हैं। सरकार को इन वर्गों के लिये यह आवश्यक कर देना चाहिये कि श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा का खर्च वे दे। पिछले चार वर्षों के लाभ को इसी प्रकार प्रयोग में लाना चाहिये। इसे राष्ट्रीय रक्षा कोष में दिया जा सकता है। बोनस को सीमित करने वाला खण्ड हटा दिया जाना चाहिये। पी० टी० आई० में पहले ही भुगतान किया जाता है। इसे बन्द नहीं किया जाना चाहिये।

ठेके पर लगे मज़दूरों को भी बोनस से वंचित किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। चार प्रतिशत वाली बस एक विवादस्पद विषय है। इसे लागू करना है तो

इसको न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रखना चाहिये। चार प्रतिशत के भुगतान की बात नयी नहीं है। केरल में यह 18 वर्षों से चलती आ रही है। इस बारे में कांग्रेस ने 1948 में इसे स्वीकार किया था। यह एक स्पष्ट बात है कि सभी उद्योगों को अपनी वार्षिक आय का चार प्रतिशत श्रमिकों को बोनस के रूप में देना चाहिये। केरल में राज्य सरकार, मालिकों तथा श्रमिकों ने इसे स्वीकार किया था। अब इस कानून के बन जाने से उस सूत्र में परिवर्तन हो सकता है।

अब मैं खण्ड 9 में कहीं गई बातो की ओर आता हूं। इसमें उन का उल्लेख है जो बोनस के लिये अधिकारी नहीं होंगे। मालिकों का व्यवहार सदैव खराब होता है। वे श्रमिकों को किसी बहाने पर निकाल देंगे और उसे बोनस से वंचित कर देंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ऐसी स्थिति में श्रमिकों को बोनस प्राप्त करने का अधिकार है। यह बोनस गत वर्ष में किये काम के लिये होता है। अब इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से हुए लाभ को भी समाप्त किया जा रहा है। माननीय श्री मंत्री बड़े बड़े व्यापारियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

पहले कई स्थानों पर श्रमिकों को 20 प्रतिशत से अधिक बोनस मिलता है। अब इस विधेयक के अनुसार (खण्ड 34) इस 20 प्रतिशत अधिकतम पर सीमित किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। पहले ही मिली सुविधाओं को वापिस नहीं लेना चाहिये।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस प्रकार के कानूनों के लिये अध्यादेश जारी नहीं करने चाहिये। मैं माननीय श्री पाण्डेय से सहमत हूं कि हमें श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर करना है। मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूं ; देश की वर्तमान औद्योगिक परिस्थितियों में हम सभी से एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। हमें उद्योगों का वर्गीकरण करना ही पड़ेगा। जैसा कि चीनी उद्योग में लगे श्रमिकों की बात है। उत्पादन काल के श्रमिकों को अलग तरीके से देखना होगा। चाय बागान में मालिकों की वर्तमान स्थिति बहुत खराब है, उनको बहुत हानि हो रही है। हम अपने देश का अन्य देशों से मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा देश एक पिछड़ा हुआ देश था। अन्य देशों में हमारे देश की अपेक्षा अधिक सुविधायें है। हमें अपने यहां के सभी दोषों को दूर करना होगा। हमें देश के लिये सोचना हैं और आगे बढ़ना हैं। यह ठीक है हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है। हमारे श्रम मंत्री को देखना होगा कि ऐसा निर्णय किया जाये कि सभी को लाभ हो।

मेरा अनुरोध है कि विधेयक के दोषों को हटाया जाये। माननीय मंत्री को इसे ध्यान से देखना चाहिये और अगले सत्र में इसके कई दोषपूर्ण खण्डों का संशोधन करके प्रस्तुत करें।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : यह विधेयक बहुत विलम्ब के बाद लाया गया है। इस के होते हुए भी इसमें बहुत से दोष हैं। सरकार देश के पूंजीपतियों द्वारा बताये गये मार्ग पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। उन्होंने भी इस में सुधार करने की मांग की है। माननीय मंत्री भी अन्तिम समय तक संशोधन भेज रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपेगी और विषयोंपर ठीक प्रकार विचार करने का अवसर देगी। बोनस लेना श्रमिकों का

[श्री सेझियान]

अधिकार हैं । 1936 के मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत भी बोनस के बारे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है । संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार श्रमिकों के कल्याण की कार्यवाही करना सरकार का कर्त्तव्य है । इसलिये हमें श्रमिकों के कई वर्गों को बोनस से वंचित नहीं करना चाहिये । सभी श्रमिकों में भेदभाव नहीं करना चाहिये और सभी के लिये समान सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिये । इसलिये इस विधेयक सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी श्रमिकों पर लागू करना चाहिये । बोनस निर्धारित करने के लिये तीन सूत्र है । एक है श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का सूत्र, दूसरा है बोनस आयोग का सूत्र और तीसरा सरकार द्वारा परिवर्तित सूत्र ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य और भी बोलना चाहते है तो वह अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 सितम्बर, 1965/16 भाद्र, 1887(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, September 7, 1965/Bhadra 16, 1887 Saka.

भा.स.मु.ना.-वि. 1-28 लोक सभा/65-6-5-66-600